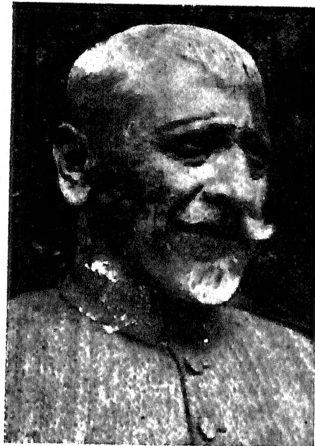
# क़ौल फ़ैसल





# क़ौल-फ़ैसल

अन्याय अदालत से कितने, मैदान जंग के बाद हुए !
इतिहास पुकारे दुनिया का, सब ही तो वे वार हुए ॥





लेखक—
मौलाना अबुलकलाम आज़ाद

अनुवादक—
सैयद कासिम अली 'साहित्यालंकार'
(जबलपुर)

प्रकाशक—
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय,
ज्ञानवापी, बनारस सिटी ।

प्रथम वार ] १९५३ [ मूल्य १॥)

प्रकाशक—
श्रीकृष्णचन्द्र बेरी,
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय,
पो० बक्स नं० ७०,
ज्ञानवापी, बनारस ।

प्रथम वार
१९५३

मुद्रक—
विद्यामन्दिर प्रेस लि०,
मानमन्दिर
बनारस ।

मजिस्ट्रेट !

इतिहास का यह एक दिलचस्प और शिक्षा भरा पृष्ठ है, जिसके लिये (मैजिस्ट्रेट और मैं) हम दोनोंकी कोशिशें हैं। मेरे हिस्सेमें यह मुजरिमोंका कटघरा आया है और मैजिस्ट्रेट के हिस्से में कुर्सी। मैं समझता हूँ कि इस कार्यके लिये वह कुर्सी भी इतनी जरूरी चीज है जिस तरह यह कटघरा। आओ! इस कहानी और यादगार बननेवाले कार्य को जल्द समाप्त कर दें। इतिहासकार हमारी ओर टकटकी लगाये हैं। भविष्य हमारी राह देख रहा है। आप हमें जल्द-जल्द यहां आने दें और स्वयं भी जल्द-जल्द फैसला लिखते रहें। अभी कुछ दिनों तक काम जारी रहेगा, जब तक कि एक दूसरी अदालतका दरवाजा न खुल जाय। और वह अदादत खुदा के कानून की अदालत है। वक्त उसका जज है, वही फैसला लिखेगा और उसीका फैसला आखिरी फैसला होगा।

—आजाद

# महात्मा गाँधीके विचार

मौलाना अबुलकलाम आज़ादने जो ब्यान अदालतमें दिया, उसकी नकल मेरे पास पहुँची। मौलानाके ब्यानमें बहुत बड़ी अदबी (साहित्यक) सौन्दर्य्यता है। वह हक़ीकतके साथ जोश लिये हुए दिलेराना (वीरतापूर्ण) है। उनका ढंग निर्भीक मगर ठोस तथा विश्वसनीय है। सारे ब्यानमें शुरूसे आखीर तक भरपूर जोश भरा है। ऐसा मालूम होता है कि खिलाफत और राष्ट्रीयता पर मौलाना भाषण दे रहे हैं।

मौलानाका ब्यान पढ़कर जब मैंने विचार किया, एक बात मेरे सामने आ गई अर्थात् अदालतोंके बायकाटकी असली जरूरत क्या है? मैंने सोचा कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो यह खूबी और मजबूती हममें कहाँ होती जो हमारे अन्दर काम कर रही है?

इससे भी बढ़कर यह कि हमने अदालतोंका बायकाट न किया होता तो हमको आज मौलानाके इस आदर्श ब्यानकी राजनैतिक खूबियोंसे भरी महान् शिक्षा न मिलती। अदालतोंके बायकाटका असर सिर्फ इसी चीजमें नहीं देखना चाहिये कि कितने वकीलोंने वक़ालत छोड़ दी। असली चीज यह है कि आजसे दो साल पहिले अदालतों में जो चहल-पहल दिखाई देती थी, वह अब कम हो गई है। लेन-देनके और कुछ दूसरे झगड़ेवाले ही अधिक नज़र आते हैं, जिससे देश व जातिका विशेष कोई सम्पर्क नहीं है।

मौलानाका ब्यान अदालतके लिये ही है, लेकिन दर असल वह देश व कौम को संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने ब्यानके द्वारा जन्म-कैदकी इच्छा की थी, किन्तु एक सालकी कड़ी सजा सुनकर उन्होंने कहा था कि "मैं जिस सजाका हकदार था यह उससे बहुत ही कम है।"

## अनुवादकके विचार

भारत में साम्प्रदायिक बीज बोनेवाले ब्रिटिश शासकोंकी नीतिका भंडा-फोड़ करनेवाले राष्ट्रीय मुसलमानोंमें मौलाना आजाद प्रमुख हैं। खिलाफ़त-आन्दोलन चल रहा था। उसमें महात्मा गान्धीने भी सहयोग दिया था। मौलाना आदिने खिलाफ़त-आन्दोलन को भारतके कोने-कोनेमें प्रचारित किया और देशके सैकड़ों मुसलमानोंको राष्ट्र-भक्त भी बना दिया, जिसके कारण वे दोबारा सन् २१ ई० में गिरफ्तार कर लिये गये। असहयोग-अन्दोलनको शक्तिशाली करते हुए उन्होंने अदालतमें जो ब्यान दिया, वह इतिहासकी साहित्यिक और वास्तविक वीर-गर्जना है, जिससे अमर सन्देशके रूपमें हमको स्फूर्ति मिलती रहेगी।

उसी ब्यानमें उन्होंने यह भी कहा था कि—"आज हम जिस बगावतके जुर्म में सजा पायँगे, कुछ समय बाद यह देशभक्तिका पुरस्कार समझा जायेगा और प्रकृति हम भारतवासियों को दासताके बन्धनसे अवश्य मुक्त करायेगी, क्योंकि हम शान्ति और धैर्य्यसे सारे अत्याचार सह रहे हैं। हमें त्याग और बलिदानसे सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्तिका शुभाशीर्वाद मिला है, जिससे जल्द ही आजादीका पूरा अधिकार मिलेगा और यही नौकरशाही हमारे स्वागत और सम्मानमें अग्रसर होगी।" मौलानाका यह अटल विश्वास २५ सालके बाद पूरा और सच्चा हुआ। फिर ऐसा कौन होगा जो इस अमूल्य ब्यानको पुस्तकाकार पसन्द न करे? महात्माजीने स्वयं इस कार्यके लिये प्रोत्साहन दिया था। उसी उर्दू पुस्तकका नाम कौल (प्रतिज्ञा) तथा फ़ैसल (निर्णय) है, जिसका यह अनुवाद है। मौलानाका संकेत था कि भाषा सरल रहे, परन्तु कहीं-कहीं भाषा कठिन हो गई है जिसके लिए मैं मजबूर हूँ। जहाँ-तहाँ अरबी आयतें आई हैं उनका अर्थ दे दिया है। मैं मौलाना साहबका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अनुवाद और प्रकाशनका अधिकार देकर यह सौभाग्य प्रदान किया है। ईश्वर मौलाना जैसी विभूतिको अजर-अमर करे, जिससे राष्ट्र-निर्माणमें देश को बल मिलता रहे।

दिसम्बर १९५२,<br>
जबलपुर।

**सैयद कासिम अली**

# विषय-सूची







# कौल-फैसल

~~~~~~-o-~~~~~

## १

## मौलानाकी गिरफ्तारीका कारण

सन् १९२१ ई० की बात है। बड़े-बड़े नेताओंकी गिरफ्तारी शुरु हुई, आखिरमें श्री सी० आर० दास और मौलानाकी गिरफ्तारी हुई। श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारी स्थानीय घटनाओंके सबब थी, लेकिन मौलानाका मामला दूसरा था। अगर १८ नवम्बरके बादके हालात सामने न आते, तब भी उनकी गिरफ्तारी अटल थी। एक सालके अन्दर शायद ही किसी ने साफ-साफ खरा चैलेञ्ज सरकारको दिया होगा, जैसा कि मौलानाने दिया। खिलाफत और स्वराज्यके मामलेमें वे अंग्रेजी राज्यकी जड़ खोदते रहे और अपनी गिरफ्तारीकी दावत देते ही रहे। मार्च १९२१ में महात्मा गान्धीके साथ मौलानाने देश भरका तीसरा दौरा किया। उस समय लाहौर-अमृतसरमें पाबन्दी थी। न सभा हो सकती थी और न लेक्चर ही दिया जा सकता था। इसलिये महात्माजीने अपना लेक्चर गूजरानवालामें दिया, क्योंकि उस समय तक कानून तोड़नेकी इजाजत नहीं थी। परन्तु मौलानाने इन सबकी परवाह न करके सच्चाईके जोशमें लाहौरकी शाही-मसजिदमें जुम्माके दिन लेक्चर देनेकी सूचना कर दी। पंजाबके कई मिनिस्टरोंने महात्माजीसे शिकायत की कि जब कानून तोड़नेका अभी तय नहीं हुआ, तो मौलाना यह सब क्यों कर रहे हैं? महात्माजीने कहा कि यह सब ठीक है, लेकिन मुल्क की पतवार
~~~~~~

मेरे और उनके हाथमें है, मैं उन्हें रोक नहीं सकता । सरकार चुप थी । मौलाना ने देश-दशाका चित्र जुम्माकी नमाजके समय खींच दिया और दूसरा लेक्चर भी असहयोगपर उसी मसजिदमें इस तरह दिया कि लाहौरमें एक हलचल-सी मच गई । लाहौर के 'सिविल एण्ड मिलिटरी' अर्ध-सरकारी गजटने लिखा था—"इस कार्रवाईके जरिये पंजाबको कानून तोड़नेका हौसला दिया गया है । मिस्टर गान्धी जब अपने साथीको रोक नहीं सकते । तब पंजाब सरकारको फौरन इस असहयोग आन्दोलनकी जड़ें मिटा देनी चाहिएँ । इसीलिये मार्शल-लाके अधिकारियोंने शाही-मसजिदको इसी मजबूरीके कारण बन्दकर दिया था । अब सिविल-अधिकारियोंको भी गौर करना चाहिये ।" ऊपरके हेडिङ्गमें था—**मसजिद में बगावती लेक्चर** ! एक हफ्ताके बाद वे अमृतसर आये । वहां भी पाबन्दी-के रहते हुए उन्होंने वही तूफ़ानी लेक्चर दिया । चूंकि उनको लखनऊ जाना था इसलिये वहां अधिक न ठहर सके, परन्तु पंजाबको अपना राजनैतिक संदेश दे ही दिया और अधिकारियोंको भी खूब आड़े हाथों लिया । फिर भी पंजाब सरकार कुछ न कर सकी ।

इसके बाद कराची-खिलाफत-कान्फ्रेन्सके प्रस्तावसे दोनों भाई मुहम्मदअली, शौकतअली और कई साथी गिरफ्तार हो गए । इनकी गिरफ्तारी १५ अगस्तको हुई थी और कलकत्तामें १८ अगस्तको खबर पहुँची । उसी दिन मौलानाने हालिडे-पार्कमें २० बीस हजारसे ज्यादा जनताके सामने सभा करके कहा था—

"जिस प्रस्तावके ऊपर अली-बन्धू गिरफ्तार किये गये हैं, वह इस्लामका एक माना हुआ मशहूर मसला है और हर मुसलमानका फ़र्ज़ है कि इसका एलान करे । वह प्रस्ताव मेरा ही तैयार किया हुआ है और मेरी ही अध्यक्षतामें सबसे पहिले इसी कलकत्ताके टाउनहालमें मंजूर हुआ था । मैं उससे भी आगे उसका साफ-साफ मतलब बतलाता हूँ । सी० आई० डी० रिपोर्टर अच्छी तरह समझ लें और नोट कर लें । अगर यह जुर्म है तो इस पर हमेशा मुकाबला रहेगा ।"

इसके बाद देहलीमें सेन्ट्रल-जमीयतुल-उल्मा और खिलाफत-कमेटीका जलसा हुआ। दोनों सभाओंमें वही कराची-प्रस्ताव दोहराये गये और उसके साथ यह भी मौलानाने बतलाया—"अगर इस प्रस्तावको सरकार अपने खिलाफ समझती है, तो मैं हर मुसलमानसे इसके प्रचार और पास करानेको जोर देता हूं, क्योंकि यह इस्लामी हुक्म है।" इसका असर सारे देशपर पड़ा और सरकार दंग रह गई कि यह क्या हुआ ?

उसके बाद मौलाना इस कराची-प्रस्तावको लेकर सारे देशमें घूमे। बम्बई, कराची, आगरा, लाहौर इत्यादि शहरोंमें गये। बम्बई, आगरा और लाहौरमें वह सदर भी हुए। आगरा-प्रान्त खिलाफत-कान्फ्रेन्समें उन्होंने सरकारको वह चैलेंज दिया था कि सब ताज्जब कर रहे थे। सबको गिरफ्तारीका अंदेशा था।

अली-भाइयोंकी गिरफ्तारीके बाद महात्मा गान्धीने हिन्दु-मुसलमान नेताओंको बम्बईमें जमा करके एक मेनिफेस्टो छपवाया था। उसमें कराचीके उस प्रस्ताव-क समर्थन किया था—"मौजूदा हालतमें सरकारकी फौजी और सिविल नौकरीको मुल्ककी इज्जतके खिलाफ कहना कोई जुर्म नहीं है और ऐसा कहना जायज भी है।" इसपर 'टाइम्स आफ इण्डिया अख़बार' ने लिखा था—"सरकार इस मेनिफेस्टो (घोषणा-पत्र) पर दस्तख़त करनेवालोंपर कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इस ख्यालको सिर्फ जबानसे कह देना कोई जुर्म नहीं है। बल्कि सिपाहियोंको बहकाना और उन्हें असहयोगकी दावत देना ही जुर्म और बगावत है। कराची-प्रस्ताव सचमूच अमल (सिद्ध) करके दिखाया गया है, इसलिये कराचीमें वह मुकद्दमा चलाया गया है।" यह बात बहुतसे कमजोर-दिलोंके लिये एक बहाना बन गई। कराची प्रस्तावपर वे तरह-तरहकी बातें करते-रहे, परन्तु कोरी हमदर्दी (सहानुभूति) से थोड़े ही काम चलता है। लेकिन मौलाना ने बम्बई, आगरा तथा लाहौरके लेक्चरों और अपने लिखे ब्यानोंमें डंकेकी चोट कहा—"मैं सिर्फ अपनी कलम या मुंहसे ही इस रायको पसन्द नहीं करता, बल्कि

दो सालसे लगातार इसपर खुद चल रहा और सभीको चला रहा हूँ और आयँदा भी इसपर अटल रहूँगा। मैं सभीसे खुल्लम खुल्ला-कहता हूँ कि वे भी ऐसा ही करें। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि हर सिपाही तक इस सच्चे संदेशको पहुँचा दूँ। सरकारने पहिले सिर्फ अली-भाइयोंपर और उनके साथियोंपर ही कराची-प्रस्तावका (इल्ज़ाम) दोष लगाया था। लेकिन मौलानाके कई बार एंलान करनेपर कि देशकी जमीयतुल-उल्माकी खिलाफतकी तैयारियां और फरवरी १९२० ई० खिलाफत-कान्फ्रेन्स कलकत्तामें मेरा खुदका प्रस्ताव था।" इससे सरकार चौंक गई और जैसे ही मुकद्दमा कोर्टमें पेश हुआ, सरकारी वकीलने उसको सुधार कर 'कलकत्ता-कान्फ्रेन्स' भी शामिल कर दिया। इसपर मौलाना-ने एक ब्यान अखबारोंमें फौरन छपाया कि उसमें अभी और भी जरूरी चीजें शामिल होना बाकी हैं। उससे सारे देशमें फिर एक हलचल-सी मच गई। वह ब्यान यह था—

"सबसे पहिले कलकत्ता-कान्फ्रेन्सके लिये यह प्रस्ताव मैंने ही तैयार किया, या खुद अपनी कलमसे लिखा था या मेरी ही अध्यक्षता (सदारत) में स्वीकार हुआ। इसके बाद देहलीमें जमीयतुल-उल्माका जलसा हुआ और उसपर मैंने आदेशके रूपमें अपने दस्तखत किये। फिर बरेलीमें जमीयतुल-उल्माका जलसा हुआ। उसका भी मैं ही अध्यक्ष (सदर) था तथा अध्यक्षकी ओरसे ही उस प्रस्ताव को पेश करके स्वीकार करवाया था। इसके अतिरिक्त उसी विषयपर एक लेख 'खिलाफत' अखबारमें लिख चुका हूँ, जिसकी काफी कापियां बिक चुकी हैं। फिर कलकत्ता, देहली, कराची, बम्बई इत्यादिमें भी मैंने ऐसा ही ब्यान दिया है। मैं इसका भी विश्वास दिलाता हूँ कि यह मेरी सिर्फ मौखिक ही वार्ता न थी, वरन् उन शब्दोंको कार्य-रूप (अमली) में परिणत करता हूँ एवम् सदा लोगोंको कहता रहूँगा कि वे सदैव इसका प्रचार करते रहें। यदि ये षड्यन्त्र है तो इसके भुगतनेको लाख बार कबूल करता हूँ। गवर्नमेण्टको अली-भाईयों, जिन्होंने

केवल मेरी नकल (अनुसरण) की थी, के पहले मुझपर मुकदमा चलाना चाहिये था।"

३० सितम्बर १६२१ का यह ब्यान लगभग सब अंग्रेजी और उर्दू अखबारोंमें छप गया, परन्तु गवर्नमेन्ट की ओरसे बिल्कुल खामोशी रही एवं किसी प्रकारकी कार्रवाई मौलानाके विरुद्ध नहीं की गई। ये बात ठीक है कि इससे मुल्कको उस-पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ था जैसा कि मौलानाने अपने "कथन" की धारा २ में संकेत किया है।

यह कथन उन अनगिनत लेक्चरों और कार्रवाइयोंसे भिन्न है, जिनके कहनेमें वे बराबर बिना किसी रुकावटके बढ़ते रहे। इन हालातमें यदि इतनी उलझनोंके बाद गवर्नमेण्टने उन्हें गिरफ्तार किया, तो वास्तवमें यह आशाके विरुद्ध बात नहीं है और हमको भी इसपर कोई आपत्ति नहीं है।

आखिरमें ऐसा मालूम होता है कि भगवानकी माया उनकी गिरफ्तारी-से अस्थायी रूपसे कोई काम लेना चाहती थी। अतः उनकी गिरफ्तारी बहुतही आश्चर्यजनक रूपमें स्थगित होती गई और फिर ठीक उसी समय हुई जबकि क्रान्तिको जीवित रहनेके लिये उनकी अति आवश्यकता थी। यदि यही घटना दिसम्बरसे पहले हो जाती, तो ऐसा परिणम कैसे होता जैसा कि दिसम्बरके पश्चात् वाली परिस्थितिमें मिलता है?

१५ नवम्बरके बाद अचानक कौमी-स्कीम जिन परिस्थितियोंमें घिर गई थी, उनका केवल उन्हीं लोगोंको अन्दाज़ा है जो आन्दोलनोंके आन्तरिक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। यह वह अवसर था कि देश किसी नई राहका इन्तजार बड़ी व्याकुलतासे कर रहा था। इस सालके आखिरी दो महीने शेष रह गये थे, एवम् समस्त आशाओंका दारोमदार महात्मा गाँधीके इस ब्यानपर था कि वे पहली दिसम्बरसे बारदौली शहरमें आम-असहयोग शूरू कर देंगे। परन्तु एकाएक बम्बईमें 'प्रिन्स आफ वेलस' के दौरेके अवसरपर कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे

महात्मा गाँधीके दिलपर ऐसा बुरा असर पड़ा कि उन्होंने न केवल बारदौलीका प्रोग्राम मंसूख कर दिया वरन् लगातार तीन व्याख्यान प्रकाशित किये कि मौजूदा हालतमें अपने कार्यकी निष्फलता मान लेनी चाहिये। इससे सारे देशमें निराशा व उदासीकी एक लहर दौड़ गई। इसमें कोई शक न था कि लोगोंके दिल बैठ जाते। फिर २२ नवम्बरको जब कांग्रेस-वर्किङ्ग-कमेटीका जलसा हुआ, उस समय मेम्बरोंपर उदासीनता छाई हुई थी तथा कुछ समझमें नहीं आता था कि आन्दोलन जिन्दा रखनेका कौन-सा उपाय किया जाये। ईश्वरकी दया-दृष्टि उस क्षण हुई जबकि २२ नवम्बरको बम्बईमें लोग यही सोच रहे थे कि किस राह पर चला जाये? ठीक उसी समय गवर्नमेन्टने नये जोरसे सख्ती शुरू कर दी, जिससे कलकत्तामें एक नया दरवाजा खुल चुका था। गवर्नमेण्ट बंगालने स्वयंसेवकोंकी संस्था और उसे चलानेवालोंको कानूनके खिलाफ घोषित कर दिया। उसी क्षण कलकत्तावालोंने एक हजार हस्ताक्षरोंसे रजाकारोंकी नई संस्था बना ली।

इसके बाद श्री सी० आर० दास और मौलाना कलकत्ता पहुँचे और उन्होंने मालूम कर लिया कि सफलताका असली क्षेत्र बंगालमें ही गर्म होगा। उन्होंने आल-इन्डिया कांग्रेस-कमेटी या वर्किंग-कमेटी या महात्मा गाँधीकी आज्ञाके इन्तजारमें समय नष्ट नहीं किया, बल्कि उसी समय स्वयंसेवकोंके संगठनका कार्य शूरू कर दिया और वहां प्रतिदिन चार-चार, पांच-पांच सौ गिरफ्तारियोंकी संख्या पहुँच गई। बंगालकी हलचलने दूसरे प्रान्तोंमें भी असर डाला। चारों तरफ एक नई किस्मकी हलचल शुरु हो गई तथा अचानक देशमें एक ऐसी जिन्दगी पैदा हो गई कि लोगोंके ध्यानसे पिछली उदासीन जिन्दगी ख्वाबकी तरह खतम हो गई।

खुद मौलानाको भी इस बातका पूरा विश्वास था जैसा कि उनके ८ सितम्बर के 'सन्देश' से जाहिर होता है। इसके अलावा ता० ४ से ता० ८ तक उन्होंने जो खत लोगोंको लिखे, उनमें भी उन्होंने अपना मत व विश्वास खुलासा जाहिर

किया है। मौलाना किफायतुल्ला साहब सदर जमीयतुल-उल्मा देहलीके नाम जो खत लिखा था—

बुदायूँके जलसा (जमीयत) में आनेका पूर्ण विचार था, परन्तु यहां पहुँचकर जो हालत देखे और दिन प्रतिदिन जो कुछ जाहिर हो रहा है, मैं उनके बाद बहुत फिकरमें हूँ कि कैसे कलकत्तासे निकल पा सकूँ। कलकत्तासे निकलनेका यह अर्थ होगा कि मैं यहाँ काम करनेका सुनहरी मौका जबरन बरबाद कर दूं। मूझे ऐसा भरोसा होता है कि शायद असहयोगकी समस्या यहीं हल होगी। दिन-प्रति-दिन एक नई ज्योतिवान सफलताकी कड़ी खुलती जारही है। विश्वास कीजिये कि बुदायूँके जलसामें न पहुँचनेका मुझे भी अफ़सोस है, परन्तु मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालातमें कलकत्तासे निकलना आपत्तिसे खाली न होगा।"

इसके पश्चात्‌की बातोंने प्रमाणित कर दिया कि उनका विचार किस कदर ठीक था!

कलकत्ताने पूरी ताकतके साथ मैदान जीत लिया और उसकी सफलता के सामने दुश्मनोंको भी सर झुकाना पड़ा। खेद है कि दुर्भाग्यवश देशके सहकारियोंकी बुद्धिने गल्ती की और क्रमशः ये गल्तियां होती रहीं कि १८ से २३ दिसम्बर तक जो बड़ी विजय हुई थी, उसे पराजयका रूप धारण करना पड़ा।



## २

# मुकद्दमे सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ

अब हम पाठकोंका ध्यान उन बातोंकी ओर खींचना चाहते हैं, जिनके कारणोंसे ही यह छोटा-सा मुकद्दमा देशके कई पोलिटिकल मुकद्दमोंमें एक विशेष स्थान रखता है और जिसमें हमारी नीति, सदाचार और राजनैतिक जीवनके लिये अत्यधिक कीमती आदर्श मौजूद हैं।

**पूर्ण सत्या-ज्योति—**

सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है, वह है मौलानाका शक्तिशाली व्यक्तित्व। जो इतना उच्च प्रभाव रखता था, जो उनकी जन-सेवाके हर हिस्सेमें हमेशा रोशन रहा है तथा जिसे कैदखानेकी चार सालकी नजरबन्दीमें अच्छी तरह हम परख भी चुके हैं। परन्तु अदालत और नजरबंदीमें काफी अन्तर है। नजरबन्दीमें तो कोई मौका नहीं मिलता कि तर्क, वाद-विवाद या अपनेको मुक्त कर सकें। लेकिन अदालतका सजा देना डिफेन्स और तर्कके आधार पर ही है। हकीकतमें एक नेताकी हलचल और क्षमता अदालतमें ही जाँची जा सकती है।

इस परिस्थितिको दोनों ओरसे जाँचना चाहिये। इस विचारसे भी कि अधिकतर एक देश-नेता और राजनैतिक लीडरका फर्ज गिरफ्तारीके बाद अदालतमें क्या होना चाहिए? और इस विचारसे भी कि विशेष तौरपर असहयोगी विचारोंके अन्तर्गत एक सच्चे असहयोगीको अदालतमें क्या कहना और करना चाहिये? मौलानाकी विचारधारा इन दोनों परिस्थितियोंमें हमारे लिये शिक्षाप्रद सिद्ध हुई है।

सबसे बड़ी चीज़ 'कौल' और 'अमल' (प्रतिज्ञा और अनूसरण करना) की सच्चाई है, अर्थात् हम जो कुछ कहा करते हैं समय पड़नेपर ठीक-ठीक वैसा ही वरन् उससे भी ज्यादा कार्य रूपमें करके दिखाएँ। मौलानाने अपने विचार तथा कार्योंसे दिखा दिया कि वे समयपर अपनी कोई बात और कोई दावा भी वापस नहीं लेना चाहते।

एक नेता जब गवर्नमेन्टके विरुद्ध अपना मत और कार्य धारण करता है और सच्चाईके कहनेमें अपने आपको निडर और बेपरवाह बतलाता है, तो वह बार-बार प्रकट करता है कि वह हर तरहके बलिदानोंके लिये तैयार हैं तथा गवर्नमेण्टको चैलेन्ज देता है कि उसे जब चाहे गिरफ्तार कर ले। परन्तु जब गवर्नमेण्ट स्वयं उसी-के द्वारा चुने हुए एवम् पसन्द किये हुए मार्गके अनुसार उसे गिरफ्तारकर लेती है और अपने दृष्टिकोण तथा कानूनके अनुसार मुजरिम ठहराकर सज़ा दिलाना चाहती है, तो फिर उस समय सोना अग्नि पर तपने लगता है और खोटे-खरेकी पहचानकी घड़ी आ जाती है। हम देखते हैं कि उस समय तीन प्रकारकी तबियतें तीन प्रकार की राहें तैयार करती हैं—

१. कुछ लोग वे हैं, जिनके जबानी दावोंके अन्दर कोई आदर्श, ईमान और सच्चाई नहीं होती। वे फौरन अपने दावोंसे मुक्त हो जाते हैं, बदल भी जाते हैं और अपने कियेपर पश्चाताप करके सर झुका देते हैं। यह सबसे नीचा दर्जा है।

२. कुछ लोग वे हैं, जो उससे कुछ ऊँचा दर्जा रखते हैं। उनकी तबियत उस महत्वके गिर जानेको तो पसन्द नहीं करती परन्तु सज़ासे बचनेके लिये वे भी व्याकुल होते हैं। इसलिये वे भी फौरन अपना विचार बदल देते हैं और अदालतमें प्रकट करने लगते हैं कि जो कुछ वे करते रहे हैं उसका मतलब वह नहीं है, जो गवर्नमेण्टने समझा है बल्कि कुछ दूसरा ही है। फिर तरह-तरहसे बातें बनाते हैं कि जैसे विरोधीको भी अपना बनाना चाहते हों। कभी पुलिस और सी० आई० डी० की रिपोर्टोंको बिल्कुल झूठा कह देते हैं, कभी अपने किये हुए और लिखे हुए

ब्यानोंको तोड़-मरोड़कर कुछका कुछ बताना चाहते हैं और कभी गवर्नमेंटकी शिकायत करते हैं कि क्यों बेफायदा बिना कसूर उन्हें गिरफ्तारकर लिया ? तात्पर्य गह है कि अपनी समस्त पिछली बीती हुई वारदातोंको दबाकर एक नया ढंग बना लेते हैं। और यदि वे सज़ासे न बच सकें, तो सज़ासे बचनेके लिये जितनी भी टाल-मटोल कर सकते हैं उसमें वे कमी नहीं करते पहले प्रकारके लोगोंकी तरह ये भी बादको अपने विचारोंकी सहायतामें जो बहाना बनाते हैं कि लड़ाई भी एक धोखा है और इस धोखेके जरिये सरकारसे बचकर हम मोर्चा मजबूत करते हैं, उसे लोग प्रायः ठीक समझ लेते हैं; क्योंकि वे ऐसे कई विचार पेश करते हैं कि लड़ाई भी एक प्रकारका ढोंग है। हमने सिर्फ अपने बचावके लिये दुश्मनसे चालाकी की थी। वास्तवमें हमारे दिलमें वही है जो पहले था और लोग भी इसे सच मान लेते हैं।

ये बात मानो इस तरह अकाट्य और पूर्वबोधित है कि जब कोई लीडर अदालतमें ऐसी धारणा बना लेता है, तो जनता बिल्कुल आश्चर्य नहीं करती और समझ लेती है कि यह सब कुछ सिर्फ अदालतके लिये किया गया है, जहाँ ऐसा करना ही चाहिए या पोलिटिक्स ( Politics ) में ऐसा करना ही पड़ता है। मानो पालिटिक्स में झूठ, दगाबाजी, फूट, दोरंगी, अपमान, खुदगर्जी, ढोंग और बनावटीपन के सिवा कुछ चारा नहीं है।

३. कुछ लोग इन दोनों किस्मोंसे भी उच्च, अत्यधिक शक्तिवान और निडर दिल रखते हैं। इसलिये अदालतके सामने भी उनकी हिम्मत व जोश उसी मान-मर्यादापर अड़ा रहता है, जिस तरह जनताके जमघटमें नजर आता है। परन्तु अधिकतर खास अवसरोंपर उनके विचारोंपर ध्यान दिया जाता है, तो वे भी अछूते और आदर्श प्रमाणित नहीं होते। क्योंकि वे सारी बातें तो हिम्मत व निडरताकी करते हैं, परन्तु वास्तविकताको मानने या उसकी क्षमतासे उनको घबराहट होती है; अर्थात् अदालतकी सज़ासे बचनेके लिये वे भी कोई टाल-मटोलमें कमी

उठा नहीं रखते । यद्यपि उनकी टाल-मटोल अत्यधिक कानूनी बहस और भयानक प्रभावशाली होती है, पर पिछले दो दर्जोंकी तरह खुल्लम-खुल्ला स्पष्ट नहीं होती । वे गवर्नमेंटके विरोधसे इन्कार तो नहींकरते, परन्तु इसके साथही अदालत और कानूनकी आड़में शरण भी लेना चाहते हैं ; अर्थात् यह प्रकट करते हैं कि उन्होंने सब कुछ कहा और किया है लेकिन सज़ा नहीं मिलनी चाहिए । क्योंकि अदालत और कानूनके आधारपर वह हर तरह से एक उचित कार्य था और किसी तरह भी सज़ाके योग्य नहीं हो सकता । साथ ही वे इस बातकी बड़ी शिकायत करते हैं कि बिना कसूर उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा अदालतको भी इसे माननेपर लाचार करते हैं कि उन्हें सज़ाका देना बहुत अन्याय होगा । यह विचार उनका उस गवर्नमेंट और गवर्नमेण्टकी अदालत में होता है, जिसके जुल्म व अन्यायका वे सब प्रतिदिन रोना रो चुके हैं और जिसके न्यायसे उन्होंने सदैव निराशा प्रकटकी है तथा जिसके प्रति उन्हें यकीन भी है कि चाहे कितनी ही कानून और न्यायके नाम पर अपीलें की जायँ, परन्तु उन्हें सज़ा दिये बिना नहीं छोड़ा जायेगा ।

यह आखिरी किस्म मानो सबसे उच्च और अच्छासे अच्छा दर्जा है, जो हमारी राजनैतिक (Political) हलचलका दौर इस समय तक पैदाकर सका है; परन्तु 'कौल और फेल' (प्रतिज्ञा और कार्य) के अनुसार उनकी कार्यशैली भी खोखली है । यदि सचमुचमें वह अपने समस्त दावोंमें सच्चे थे और स्वतन्त्रताका निमन्त्रण और सत्य-पूजाके फल भुगतनेके लिये तैयार थे, तो चाहिये था कि वे अपनी गिरफ्तारी और सजा पानेका हक बिना किसी दलील और शिकायतके स्वीकार करते और साफ-साफ कह देते कि वास्तवमें हमने ऐसा काम किया है, जिसपर गवर्नमेंटके दृष्टिकोणके अनुसार सज़ा मिलनी ही चाहिये । क्योंकि स्वयं अपनी पसन्दसे यह मार्ग चुना है, इसलिये उसके फलके लिये वे किसी तरह गवर्नमेण्टकी बुराई भी नहीं करते । गवर्नमेण्ट संसारके समस्त प्राणियोंकी तरह निःसन्देह अपने दुश्मनोंको भरपूर सज़ा देगी, फूलोंका ताज़ नहीं पहनायेगी ।

अतः जब एक बात स्वाभाविक और अनिवार्य है, तो उसका किस तरह निवारण किया जाये ? यदि निवारण योग्य है, तो आजादी और न्यायकी माँगके मार्ग-पर चलना ही नहीं चाहिये ।

परन्तु मौलानाके विचार, कार्य तथा व्यवहार इस विश्वाससे बिल्कुल एक नई राह हमारे सामने खोलते हैं । उन्होंने बतला दिया है कि 'कौल' व 'फेल' (प्रतिज्ञा और कार्य) के मुताबिक सच्ची सत्यसेवा के अर्थ क्या हैं ? उन्होंने अपने ब्यानमें सबसे पहले इसी सवालपर बहस की है । उन्होंने साफ-साफ मान लिया है कि वे मौजूदा गवर्नमेण्टकी नजरों तथा कानूनके अनुसार सचमुच 'मुजरिम' हैं और उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं है कि गवर्नमेण्ट उन्हें सजा दिलाना चाहती है । उससे भी बढ़कर यह कि जब उन्होंने इस मुकद्दमेके संग्रह-को बहुत ही नाजुक पाया, तो एक ऐसी शक्तिके साथ जिसका कोई उदाहरण ही नहीं मिलता, मुकद्दमेंके और भी प्रमाणोंकी विशेष जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली और स्वयं अपनी कलमसे समस्त बातें लिखदीं जिनका प्रमाण मुकद्दमे-के लिये बहुत आवश्यक था और मिसिलमें शामिल न था । वह सब फिरसे शामिल कराया । इस प्रकार अदालतपर अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि सरकारके दावेसे भी कहीं अधिक वे कानूनके मुजरिम हैं और यह बिल्कुल एक स्वाभाविक बात है कि उन्हें सजा दी जाये ।

इसीलिये हम स्वयं उन्हींके मुखसे सुनते हैं कि उनकी भावना ब्यान देने-के लिये न थी; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके विरुद्ध गवर्नमेण्टको जो कुछ कहना चाहिए वह सब कुछ पेश कर देगी । परन्तु जब कार्रवाई शुरू हुई और उन्होंने देखा कि केवल दो लेक्चर (भाषनों) के आधारपर ही मुकद्दमा दायर किया गया है और वह उन बहुत-सी बातोंसे बिल्कुल खाली है जो सदैव वे कहते रहे हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि—"गवर्नमेण्ट मेरे विरुद्ध सम्पूर्ण जरूरी चीजें हासिल करानेमें सफल नहीं हुई, इसलिये मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अदालत-

को वास्तविकता बता दूँ। परन्तु सच्चाई का कानून अदालती तरीकोंकी टाल-मटोलों के समान नहीं है, इसलिये विश्वास कीजिये कि यह सच्चाईके विरुद्ध होगा कि एक बात केवल इसलिये गुप्त रहने दी जाये कि दुश्मन अपनी कमजोरीके कारण प्रमाणित न कर सका।"

इसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वह क्यों 'जुर्म' को स्वीकार करते हैं? वे कहते हैं—"इसीलिये कि जब एक जाति अपने देशकी आजादीकी कोशिश करती है, तो उसका मुकाबला उस ताकतसे होता है जो काफी समयसे उसके देशपर अधिकार जमाये हुये होती है। कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके अधिकार में आई हुई चीज़ वापिस चली जाये और जहाँ तक उसके बसमें होता है वह अपने लाभके लिये प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न कितना ही न्यायके विरुद्ध हो, परन्तु किसी तरह भी बुराईके योग्य नहीं है; क्योंकि प्रत्येक मानव अपनी रक्षाके लिये ज़रूर हाथ-पाँव मारेगा। ऐसा ही मुकाबला हिन्दुस्तानमें शुरू हो गया है। बस यह आवश्यक है कि जो लोग वर्तमान कशमकशके विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार भी अपनी नीति से प्रयत्न करे और जहाँ तक हो सके उनको सज़ायें दे, क्योंकि वे न सिर्फ प्रयत्न ही करनेवाले हैं वरन् इस प्रयत्नकी दावत देनेवाले भी हैं। इसीलिये ज़रूरी है कि उन्हें सजा दी जाये और अधिकसे अधिक सज़ा दी जाये।" मौलाना कहते हैं—"क्या मैं गवर्नमेण्टसे यह आशा रखूँ कि वह अपने विरोधियोंको प्यार करेगी? वह तो वही करेगी जो सदैव ताकतने आज़ादीके प्रयत्नोंके मुकाबलामें किया है। बस ये एक ऐसा स्वाभाविक मामला है जिसमें दोनों पार्टियोंके लिये शिकायत-के लिये कोई स्थान नहीं। दोनोंको अपना-अपना काम किये जाना चाहिये।"

उन्होंने अपने ब्यानके आखीरमें इसको भी मान लिया है कि—"आज़ादी तथा अधिकारकी माँगके प्रयत्नोंके सामने संसारकी प्रबल गवर्नमेण्टें जो कुछ कर चुकी हैं, उसको देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि हिन्दुस्तानमें इस समय जिस प्रकार जुल्म हो रहा है वह बहुत ही कम है।"

कैसी बेलाग और पवित्र सत्यता है, जो इस ब्यानसे टपक रही है ! क्या इससे भी बढ़ कर सत्याचरण और दृढ़ताका कोई उदाहरण हो सकता है ?

लोगोंको सत्याचरणके उस नये नमूनेपर यदि आश्चर्य हो, तो कोई हैरानी की बात नहीं; क्योंकि अभी हम इस मंजिलसे बहुतही दूर पड़े हुए हैं। अभी तक तो हमारा यह विचार था कि पालिटिक्स (Politics) में हर तरहकी हठधर्मी और मिथ्याचरण तक भी उचित है। लेकिन मौलानाकी यह भावना विचारोंसे किस कदर भिन्न है, इसका अनुमान निम्नलिखित घटनासे होगा।

मौलानाने उपरोक्त बातें लिखते हुये ये शब्द लिखे हैं—"कहा जा सकता है कि पहिली पार्टीकी तरह दूसरी पार्टीके प्रयत्न भी बुराईके योग्य नहीं, अर्थात् जातिकी तरह गवर्नमेण्ट भी अपने प्रयत्नोंमें बुराईके योग्य नहीं। क्योंकि ये विचार आम विचारसे बिल्कुल ही दूर हैं और लोगोंकी समझमें किसी तरह यह बात नहीं आ सकती थी कि गवर्नमेण्टको भी उसकी जबरदस्तीमें बुराईके अयोग्य माना है। इसलिये सब अखबारोंने उसे लिखावटकी गलती समझा और 'कहा जा सकता है' की जगह 'कहा जाता है' बना दिया। मानो गवर्नमेण्ट या उसके तरफदार ऐसा कहते हैं, वरना वास्तवमें ऐसा नहीं है। यद्यपि उसके बादकी धारा बिल्कुल इस तब्दीलीके विरुद्ध थी।"

यह जो कुछ हमें नज़र आया, मौलानाके लगातार प्रयत्नोंका ही फल था। अगर 'असहयोग' का प्रोग्राम (Programme) न होता, तब भी वे ऐसा ही करते। परन्तु अब उस विश्वाससे भी देखना चाहिए कि 'असहयोग' का ध्येय पूरा रखते हुए उनके विचारोंका क्या हाल है ?

असहयोग और अदालतके बहिष्कारसे ध्येय यह था कि अदालतमें किसी तरहकी भी उज्रदारी (Defence) न की जाये, अर्थात् अपनेको सज़ासे बचानेके लिये कोई कार्रवाई न की जाये। क्योंकि असहयोगी (Non Co-operator) को अदालतके अन्यायसे असन्तोष है, इस विश्वाससे भी मौलानाने हमें बतला दिया है कि पैरवी न करनेके क्या अर्थ हैं ?

बहुतसे लोगोंने उजर न करनेपर केवल इतना ही अमल किया कि अदालती नियमके अनुसार वकील और कानूनपेशा व्यक्तियोंको अपनी तरफसे नियुक्त नहीं किया। परन्तु जहाँ तक सम्बन्ध असल पैरवीका है, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं की। पूरी तरह अपनी बेकसूरी (निर्दोषता) और मुकद्दमेके विरुद्ध कानून व न्याय होनेपर बहसेंकीं और हर तरहकी कानूनी सामग्रीसे मुकाबिला किया और कुछ हालतोंमें अदालतोंसे न्यायकी अपील भी की गई; अर्थात् स्वयं अपनी ज़बान व कलमसे वे सब कुछकर गुजरे जो वकील और कौंसिल (Council) उनकी तरफसे कर सकती थी। बस वास्तवमें ये पैरवी 'न कराना' नहीं हुआ बल्कि 'स्वयं पैरवी करना' हुआ।

परन्तु मौलानाकी भावना किस तरह एक समान और पूर्ण रूपमें पैरवीसे मुक्त है? उन्होंने निर्दोषता दिखानेकी जगह जुर्मको साफ-साफ मान लिया और बजाय न्यायकी अपील करनेके अदालतको स्वयं ही अपने समस्त जुर्मोंकी सूची सुना दी। साथ ही शूरूसे आखीर तक किसी तरहकी कानूनी बहस नहीं की। एक शब्द भी इस बारेमें हम उनकी ज़बानसे नहीं सुनते। यहाँ तक कि वे यह भी नहीं पूछते कि जो दफा उनपर लगाई गई है, वास्तवमें उनके भाषण (Speeches) उसमें आते भी हैं या नहीं? और आते हैं तो क्योंकर? वे तो स्वयंही अपने भाषणोंके समस्त उद्देश्य तथा भाव प्रकट कर देते हैं और सी० आई० डी० की रिपोर्टोंकी अयोग्यतासे जहाँ कहीं कोई कमी रह गई है, उसको भी मुकद्दमेंकी सुविधानुसार पूर्ण करा देते हैं। और अदालतोंके बहिष्कारका वास्तविक भाव वह था, जिसका पूरा नमूना हम उनमें देखते हैं। उसमें यह भी नहीं था कि उज्र (Defence) और मुक्तिका एक तरीका छोड़कर दूसरा उपाय निश्चित कर लिया जाये।

जो लोग न्यायप्रिय हैं, वे निसन्देह इस विचारधारासे जरूर प्रभावित हुए होंगे। मौलानाके बाद ही लाहौरमें लाला लाजपतरायपर दोबारा

मुकद्दमा चलाया गया लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे कोई ब्यान देगें ? तो जवाबमें उन्होंने कहा—"क्योंकि ब्यानमें कानूनके आधारपर अपनी मुक्तिको आसश्यक समझकर लिखना पड़ेगा और यह बात एक असहयोगी (Non Co-opretor) के कर्त्तव्यके विरुद्ध है, इसलिए ध्यानसे देखनेके पश्चात् अब मेरी राय यही हो गई है कि कोई ब्यान नहीं देना चाहिए।" अर्थात् उन्होंने भी मौलानाके ही विचारोंका समर्थन किया।

जब तक एक सच्चाई दृष्टिसे दूर रहती है, उसका अधिकतर कुछ भी पता नहीं लगता। परन्तु जब वह सामने आ जाती है, तो फिर आश्चर्य होता है कि इतनी साफ बात क्यों लोगोंको महसूस नहीं हो हुई ? यही हाल इस विषयका है। मौलानाका ब्यान पढ़नेके बाद निःसन्देह आश्चर्य होता है कि क्यों इस कदर साफ और सच्ची बातसे बड़े-बड़े लीडरों ( Leaders ) को हिचकिचाहट रही ? यह सच है कि हम वर्तमान गवर्नमेण्ट और कूटनीतिज्ञ सरकारके विरुद्ध प्रयत्न करते हैं और साफ-साफ कहते हैं कि हमारा उद्देश्य उसके कब्जेसे अपना अधिकार वापिस लेना है तथा ये बिल्कुल विश्वस्त बात है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे तर्क और विश्वाससे चाहे कितना ही ठीक हो, परन्तु वर्तमान गवर्नमेण्टके कानून और पोजीशन (Position) की नीतिसे अवश्य जुर्म है और बिना संशयके दफ़ा १२४ ए के अन्दर आती है, अर्थात् 'गवर्नमेण्टके विरुद्ध क्रान्ति और नफ़रत फैलाना' है। पर यदि हम इस बातसे बेखबर हैं तो हम उस कामके योग्य ही नहीं हो सकते। यदि जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमको मान लेना चाहिए कि गवर्नमेण्ट और गवर्नमेण्टके नियुक्त आदेश और कानूनके आधारपर हम अवश्य मुजरिम हैं और हमें सज़ा दिलानेका उसको अधिकार है। इसमें बचाव और मुक्तिके लिये नुकताचीनी क्यों की जाये और शिकवा-शिकायत भी क्यों हो ? क्या लोग ऐसा समझते हैं कि वे गवर्नमेण्टके विरुद्ध प्रयत्न भी करेंगे, उसे योद्धा दुश्मनोंके समान चैलेञ्ज भी

देंगे; फिर भी वह उन्हें गिरफ्तार न करे और व्यर्थ मामूली-मामूली सज़ाएँ भी न दे? मौलानाके लफ्ज़ोंमें कहना चाहिए कि—"गवर्नमेण्ट माफ़ी देनेवाली नहीं है। या फिर मान लेना चाहिए कि जो कुछ ज़बानसे कहा जाता है वह दिलमें नहीं है। ज़बान चैलेञ्ज देती है, मगर दिलमें यह होता है कि हम अन्त तक बचते रहेंगे। ज़बानी घमण्ड कर रहे हैं, नहीं तो सचमुच क्यों नहीं पकड़े जायँगे?"

इसी सिलसिलेमें मौलानाके विचारोंकी एक और सच्चाई हमारे सामने आई है। उन्होंने कैसी सफाई और सच्चाईके साथ मान लिया है कि सी० आई० डी० के रिपोर्टरोंने उनके विरुद्ध जो कुछ कहा वह ठीक है। इसमें कोई बात बनावट की नहीं।

हमारे राजनीतिक (Political) आन्दोलनोंके इतिहासमें थे सबसे पहला उदाहरण है कि इस उदारताके साथ स्वयं मुल्ज़िम ने उन लोगोंकी गवाहीको सच बनाया है, जो मुल्ज़िमके विरुद्ध इसकी कोशिशकर रहे हैं कि आजीवन कैद की सज़ा दिला दी जाये।

मानवकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह पार्टीबाजीसे अपने आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। सच्चाईके लिए सबसे अधिक परीक्षा उसी वक्त होती है, जब वह दुश्मनोंके मुकाबलेमें खड़ा होता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे बड़े-बड़े नेता भी इसमें कोई विशेषता नहीं समझते कि विरुद्ध पार्टी को वक्त जरूरत ग़लत दोष लगा दिये जायँ, या कमसे कम उनके पक्षमें कोई शब्द ज़बानसे न निकाला जाये। वे कहते हैं कि यह एक तरह का जंग है, ग़लतब्यानी अथवा झूठ नहीं। वास्तवमें यह योरोपकी राजनीतिक चाल है। योरोपसे तङ्ग आकर हम भी शौक़से उसका अनुसरण कर रहे हैं।

एक बड़ी शिक्षाप्रद सच्चाई मौलानाके विचारोंकी दृढ़ता और प्रभावशीलता

है। ये गुण भी ऐसे हैं जिनपर गौर करनेकी हमारे कौमी नेताओं और कार्यकर्त्ताओंको बड़ी ही जरूरत है।

ये कुदरती कमजोरी प्रायः सबमें है कि दुश्मनके मुकाबलेमें हम क्रोधके आवेगसे भर जाते हैं। वास्तवमें इस हालतमें जब कि दुश्मन बड़ा हो और पूर्णाधिकारी हो, एक लीडर अथवा बड़े आदमीको आम व्यक्तियोंसे अधिक अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। किसी व्यक्तिकी बड़ाईके लिये यह कम से कम बात है कि वह वक्तपर अपने क्रोध को पी सके। बहुतसे लोग यह गलती भी कर जाते हैं कि बहादुरी, हिम्मत अथवा जोशमें फर्क नहीं समझते तथा बहुत अधिक क्रोधमें आ जानेको ही हिम्मत व बहादुरीकी बात समझते हैं। यद्यपि सच्चा वीर वही है जो कष्ट सहनेमें इस कदर शक्तिवान् हो कि कष्ट देखकर उसे क्रोध ही न आये। इसके अतिरिक्त क्रोध और जोशमें वास्तविक सच्चाईकी गम्भीरता भी जाहिर नहीं हो सकती।

मौलानाके व्यवहारिक कार्य-क्षेत्र और विचारोंकी एक बड़ी खूबीकी बात उनकी अत्यधिक स्थायी गम्भीरता है। अदालतकी समस्त कार्रवाइयोंमें कहीं भी यह देखनेमें नहीं आता कि वे क्रोधमें भरे हुये हैं या अपनेको दुश्मनके अधिकारमें पाकर आवेग में आ रहे हैं। इसके विरुद्ध उनके 'ब्यान' की हर पंक्ति-से पूरी शान्ति और दृढ़ गम्भीरता टपकती है तथा जिस तरफ देखो जोशका कोई असर जाहिर नहीं होता। उन्होंने कठोरसे कठोर जोशके मौकेपर तथा पोलिटिकल विषयोंपर इस प्रकार बहसकी है मानो एक व्यक्ति अत्यधिक सादगीके साथ घटना व कथनोंपर लेक्चर दे रहा हो। जैसे कि वे गिरफ्तार होनेके पश्चात् जोशसे बिल्कुल खाली हो गये थे!

इससे भी अधिक प्रभाव उनके ब्यान का अन्तिम रूप है, जहाँ उन्होंने उन समस्त लोगोंका वर्णन किया है, जो उनके विरुद्ध मुकद्दमेमें काम कर रहे थे। अपने विरोधी गवाहों, सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट के बारेमें पूरी खुशी-

के साथ लिख दिया है कि इन्हें कोई शिकायत व दुःख उनसे नहीं है और यदि उनसे कोई दोष इस बारेमें हुआ भी है तो वे सच्चे दिलसे क्षमाकर देते हैं। मैजिस्ट्रेट के लिये लिखा है कि वह अपना कर्त्तव्य कर रहा है और राज्यकी मशीनरीका एक भाग है। जब तक मशीनरीमें तब्दीली न हो, उसके हिस्सोंके कर्त्तव्योंमें भी कोई परिवर्त्तन नहीं हो सकता। बस उससे भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

उनके ब्यानका अन्तिम भाग अत्यधिक प्रभावशाली है। वह पुरानी ऐतिहासिक स्मृतिकी तरह हमारे साहित्य (Literature) में अमर रहेगा। इसी तरह ब्यानके बहुतसे वाक्य अपने शाब्दिक सौन्दर्य तथा अर्थपूर्ण सच्चाईके कारण सदैव याद रखे जाएँगे। हम ब्यानमें जो शिक्षाएँ, आवश्यक ढंग, हृदयग्राही इस्लामी आदर्शोंके विद्वत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व, देशका कर्त्तव्य और जातिकी भलाईके महान् विचार देखते हैं, उन्हें पाठकोंके निर्णयपर ही छोड़ते हैं और खुद मौलाना ही के शब्दोंमें ये कह कर अपनी आलोचना समाप्त कर देते हैं कि—"भविष्य जो निर्णय करेगा, उसीका निर्णय आखिरी निर्णय होगा।"



# ३

## सन्देश

**"व कौलिल हम्दो लिल्ला हेसायोरीकुम आयात ही फतह रिफ़्युनहा व मारब्बोका बेगाफिलिन अम्मा तामालून"** (उस सर्वशक्तिमान्से डरो—वह यह सब कुछ देख रहा है।)

**मवाशे गमजदा उरफी के जुल्फो कामतयार—जजाये हिम्मतें आली व दस्त कोताह मास्त !**

आज ८ दिसम्बर १९२१ की सुबह है। कल शामको मुझे विश्वसनीय तरीकेसे खबर मिल गई है कि बङ्गाल गवर्नमेण्टने वायसरायकी सलाहके पश्चात् मेरी और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीका निर्णय कर लिया है। मेरे सम्बन्धमें गवर्नमेण्टका विचार यह है कि यदि मैं ग्यारह तारीख तक कलकत्तासे बाहर न गया, तो वह मुझे गिरफ्तार कर लेगी। परन्तु यदि मैं बुदायूंके जलसा जमियतुल-उल्माके लिये चला गया, तो फिर समझ लो उसके सरसे मुसीबत टल जायेगी। केवल श्री सी० आर० दास गिरफ्तार कर लिये जाएँगे।

मेरा समस्त समय बङ्गालसे बाहर हिन्दुस्तानके कार्योंमें व्यतीत होता रहा है। इस समय भी मैं आन्दोलनके अत्यन्त ज़रूरी कार्योंमें व्यस्त था, और २५ दिसम्बर तक का प्रोग्राम (Programme) मेरे सामने था। परन्तु एका-एक बङ्गालमें गवर्नमेण्टकी सरगर्मी शुरू हो गई और उसके बाद दूसरे सूबों (प्रान्तों) में भी इसकी नकलकी गई। मैं कांग्रेसकी वर्किंग-कमेटी (Working Committee) के जलसेके कारणसे बम्बईमें था। महात्मा गांधीसे मैंने सलाह की। उन्होंने कहा कि कुछ दिनोंके लिये कलकत्ता चला जाना

जरूरी है। इसलिये पहली दिसम्बरको मैं कलकत्ता पहुँचा। मैंने देखा कि गवर्नमेण्टने अन्तिम हद तक अशान्ति पैदा करनेका विचारकर लिया है और कोई योग्य उपाय ऐसा नहीं है जो २४ तारीखकी हड़ताल रोकनेके लिये अमलमें न आ रहा हो।

लोग पूरी कोशिश और सन्तोषके साथ शान्तिमय हैं।

मेरा पहला कार्य यह था कि लोगोंके विश्वास और दृढ़ता दोनोंके बारेमें भरोसा कर लूँ। यह भरोसा मुझे पाँचतक प्राप्त हो गया। अब मैंने सोचा कि कलकत्तासे बाहर जाऊँ या न जाऊँ? बुदायूँके जलसेके जमावमें जाना भी अत्यन्त आवश्यक था। छः तक लगातार उलझा रहा। मैंने गांधीजीको लिख दिया कि शेष कार्योंके लिये श्री सी० आर० दास काफी होंगे। मैं बुदायूँ होकर बम्बई आता हूँ। परन्तु छः की शामको एकाएक परिस्थितिने दूसरा रूप धारण कर लिया। मैंने समझ लिया कि गवर्नमेण्टकी सम्पूर्ण शक्ति कलकत्तामें इकट्ठी हुई है और मानों मुकाबलेके निर्णयका मैदान यहीं पैदा हो गया है। बस मेरे लिए आवश्यक हो गया और सब कार्योंको भूलकर मैंने निर्णयकर लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा। यहाँ तक कि गवर्नमेण्ट या तो जबरदस्तीके आदेश वापस ले ले, अन्यथा मुझे गिरफ्तार कर ले।

मैंने यह भी देखा कि गवर्नमेण्टने खिलाफत और कांग्रेस-कमेटियोंको बिल्कुल तोड़ देने और ख़तम कर देनेका निर्णयकर लिया है। एक-एक करके सब कार्य-कर्त्ता गिरफ्तार किये जा रहे हैं। कौमी अख़बार भी लगभग बन्दकर दिये जायँगे। श्री सी० आर० दास बिल्कुल अकेले रह गये हैं, इसलिये भी मेरे लिये कलकत्ता छोड़ना असम्भव था।

यह सच है कि गवर्नमेण्ट बङ्गाल मुझे गिरफ्तार करनेसे बचना चाहती है और उत्सुक है कि मैं कलकत्तासे बाहर चला जाऊँ। गवर्नमेण्टके एक भेजे हुए साथीने मुझे इससे परिचित भी कर दिया है। परन्तु दुःख है कि गवर्नमेण्टकी

सम्पूर्ण इच्छाओंकी तरह यह इच्छा भी मेरी इच्छाके खिलाफ़ है और मेरा वर्तमान कर्त्तव्य पाबन्द नहीं है वरन् विरुद्ध है।

मैंने पूरी तरह गौर करके यह निर्णय किया है। निःसन्देह बहुतसे कामोंके लिये मैं अपनी उपस्थिति आवश्यक देखता हूँ। कार्य और आवश्यकताका यह हाल है कि कोई भी मिल जाये उससे कार्य लेना चाहिये। परन्तु अल्लाहकी कृपाने कलकत्तामें जो मैदान-ए-अमल पैदाकर दिया है, वह भी हर विश्वाससे मुझे कीमती और बड़ा मालूम होता है। मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरा चुनाव गलत न होगा।

गवर्नमेण्टने मेरी गिरफ्तारीका निर्णय करके मुझे एक बहुत बड़े बोझसे छुट्टी दे दी। खुदा ठीक जानता है कि मेरे लिये अब जेलसे बाहर रहना किस प्रकार दुःखदायी हो गया था। जो चले जाते हैं उन्हें क्या मालूम कि पीछे रह जाने-वालोंके दिलोंपर क्या बीतती है? मुहम्मदअली, शौकतअली, लाला लाजपत-राय, पण्डित मोतीलाल नेहरू, सबका मार्ग पूरा हो गया और मैं अब तक मंजिल-की इन्तजारमें था। अब मंजिल मेरे सामने है और मेरा दिल खुशीसे भरपूर है कि एक आखिरी किन्तु कामयाब मैदान अपने पीछे छोड़ रहा हूँ। मैंने कलकत्ता के मौजूदा मैदान-ए-अमलको 'अन्तिम और फतह मैदान' कहा। यह मेरा विश्वास है और लगभग सारा शहर देख लेगा कि जो कार्य दो सालके अन्दर सारे देश में सफलता न पा सका, वह इन कुछ दिनोंके अन्दर कलकत्तामें अवश्य सफलता पा जायेगा।

फिर भी इस अन्तिम कार्यको सँभालने और इसकी मज़बूतीके लिये एक आखिरी भाग शेष है और मैं निश्चिन्त हो गया हूँ कि गवर्नमेण्ट बङ्गालके हाथों वह भी पूरा हो जायेगा। यदि दो-तीन दिनके अन्दर मुझे और श्री सी० आर० दासको गिरफ्तारकर लिया गया, तो यह न केवल कलकत्ता वरन् सम्पूर्ण बङ्गाल को एक नई जागृति और नये जीवन से भरपूर कर देगा। बङ्गाल को हम दो

साल तक आज़ाद रहकर इतना जागृत न कर सके, लेकिन हमारी गिरफ्तारी एक मिनटके अन्दर वह जागृति पैदा कर देगी।

मैं अपनी गिरफ्तारीमें हिन्दुस्तानके मुसलमानोंकी एक-एक नई करवट देख रहा हूँ। मुझे विशेष तौरपर पंजाब, सूबा सरहद और बिहारपर भरोसा है। इन तीन सूबोंके मुसलमानोंने सदा मेरी आवाज़ को प्रेम, विश्वास और हमदर्दीके साथ सुना है। ये प्रान्त बीते हुए दस सालसे मेरी सम्पूर्ण आशाओंका केन्द्र हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी गिरफ्तारी उनके लिये आखिरी दावत-ए-अमल होगी, जो तीन सालके भाषणों (तकरीरों—Speeches) और तहरीरों (लेखों) में नहीं समझा सका था, वह मेरी गिरफ्तारीकी खामोशी समझा देगी।

इस तरह बङ्गाल गवर्नमेण्ट केवल बङ्गाल हीके लिये नहीं वरन् सम्पूर्ण देशके लिये एक अत्यन्त सेवा-स्फूर्ति दे रही है।

## पहिला धन्यवाद——

अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो महात्मा गांधी को मेरा ये सन्देश पहुँचा दिया जाये——

"मैं आपको आपकी जीतपर सबसे पहले बधाई देता हूँ। इस बधाईके लिये आप मुझे जल्दबाज़ न समझें। मैं उस आनेवाले समयको अपनी आँखोके सामने देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि इसकी बधाई देनेमें मुझ पर और कुछ न किया जाये। आपके साथ व्यक्तिगत संत्सग दिन-प्रति-दिन घट रहा है, परन्तु खुदाकी सहायता बढ़ती जाती है। बम्बईकी घटनाने आपके दिल-को बहुत सदमा पहुँचाया। मैं आपको चिन्तित और दुखित देखकर अत्यन्त दुःखी हुआ था, परन्तु अब कलकत्ता उठा है ताकि दुःखके स्थानपर खुशी और सफलताका तोहफा आपके समक्ष पेश करे। आपने २५ नवम्बरकी शामको मुझसे कलकत्ताके विषयमें वार्ताकी, तो मैंने आपको विश्वास दिलाया था। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा विश्वास बिल्कुल ठीक निकला। कलकत्तामें मैं पन्द्रह सालसे कार्य

कर रहा हूँ। आधी शताब्दीका खान्दानी जीवन रखता हूँ, इसलिये मेरा भरोसा इसी विश्वासपर पूरा था। बीते हुए तीन सालके अन्दर खिलाफत-आन्दोलनके सबसे ज़रूरी कार्य कलकत्ता ही के मुसलमानोंने पूरे किये हैं। अब अन्तिम मंजिलमें भी पहला कदम यही उठायेगा। इसने शान्तिपूर्वक बलिदानका भेद पा लिया है। यह न तो भड़केगा और न बुझेगा ही। परन्तु उसकी आग बराबर सुलगती रहेगी। शान्तिसे असहयोगका रास्ता (मंजिल) पार करना उसके हिस्सेमें आया है और वह उसका हक़दार था।"

**आखिरी सन्देश—**

मेरा आखिरी सन्देश वही है, जो आज से दस साल पहले प्रथम सन्देश था—

"**लानहनू वला तहजनु व अंतुमुल अय लऊना इन कुन्तुम मोमनीन,**" अर्थात् —न तो हर एक आसानी हो, न शोकित हो, तुम सब पर छाये रहोगे, अगर सच्चा ईमान अपने भीतर पैदा कर लो।

हमारी समस्त जीतोंकी बुनियाद चार सच्चाइयोंपर है और मैं इस समय भी देशके हर वासी को उन्हींकी दावत देता हूँ—

१—हिन्दु-मुसलमानोंका आपसी मेल।

२—शान्ति।

३—प्रबन्ध और अनुशासन।

४—बलिदान और उसकी तैयारी तथा जागृति।

मुसलमानोंसे मैं विशेष तौर से प्रार्थना करूँगा कि अपने इस्लामी गौरव-को याद रखें और परीक्षाकी इस निर्णयकी घड़ीमें अपने सम्पूर्ण हिन्दुस्तानी भाइयोंसे आगे निकल जाएँ। यदि वे पीछे रहे तो उनका अस्तित्व दुनियाके चालीस करोड़ मुसलमानोंके लिये शरम व अपमानका एक काला धब्बा होगा।

मैं मुसलमानोंसे विशेष तौर पर दो बातें कहूँगा। एक यह कि अपने हिन्दु भाइयों के साथ पूरी तरह एक होकर रहें। अगर उनमें से किसी एक भाई या किसी

एक पार्टी से कोई बात नादानीकी हो भी जाये, तो उसे क्षमा कर दें और अपनी ओर से कोई ऐसी बात न करें, जिससे इस पवित्र प्रेम को नुकसान पहुँचे। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधीपर पूरी तरह विश्वास रखें और जब तक वे कोई ऐसी बात न चाहें (क्योंकि वे कभी न चाहेंगे जो इस्लामके विरुद्ध हो) उस समय तक पूरी सच्चाई और मजबूती के साथ उनके आदेश पर चलते रहें।

**केंद्रीय खिलाफत-कमेटी—**

खिलाफत-कमेटीके कामोंकी तरफसे मैं खुश हूँ। उसके साहसी और जोशीले अध्यक्ष सेठ छोटानी साहबकी उपस्थिति हर तरह किफायत करती है। मेरे अज़ीज़ डाक्टर सैयद महमूद सेक्रेटरी मुकर्रर हो चुके हैं और अत्यन्त जोशसे कार्यकर रहे हैं। उनकी सहायताके लिये मिस्टर अहमद सिद्दीक खत्री पहलेसे कामकर रहे हैं। मुझे आशा है कि दफ्तर के समस्त कर्मचारी उन बातों-को न छोड़ेंगे जो बीते हुए बम्बईके दौराके अवसर पर मैंने उनसे कही थीं। उनकी संगठित जिन्दगी और आदर्श हमारी अनुपस्थितिकी पूरी तरह पूर्ति कर देंगे।

**हकीम मुहम्मद अजमलखाँ साहब—**

हकीमसाहबको मेरा संदेश पहुँचा दिया जाये कि अब आपके कन्धेपर केवल आप हीके कर्त्तव्यका नहीं वरन् हम सबका बोझ आ पड़ा है। ईश्वरीय आज्ञा ऐसी मालूम होती है कि बाहरके समस्त कार्य अन्त तक आप ही पूरे करें। अच्छा यह है कि अब आप बम्बई पधारें और देहलीकी चिन्ता छोड़ दें।

**अँगोरा-फण्ड—**

दुःख है कि अँगोरा-फण्डकी वसूलीका मुझे अवसर नहीं मिला। लगभग इस समय तक दस लाख रुपया वसूल हो गया है। पहले आखिरी दिसम्बर तक-का समय निश्चित था। अब ठीक होगा कि एक माहकी अवधि और बढ़ा दी जाये और जनवरीके आखीरतक वसूलीका सिलसिला जारी रहे।

मेरा विचार है कि दिसम्बरके बीचमें एक खास तारीख आम वसूलीके

लिये पक्की की जाये और जिस तरह मर्दुमशुमारीके लिये प्रबन्ध होता है, उसी तरह हर जगह प्रबन्ध किया जाए। पहलेसे एलानकर दिया जाये कि उस वक्त चन्दा करनेवाले निकलेंगे। हर व्यक्ति समयानुसार अपने मकानमें रहे। फिर वसूल करनेवाले शहर भरमें फैल जाएँ और हर मुसलमानके आगे इस विषयको ज़ाहिर करें। कमसे कम एक बार तो ऐसा हो जाना चाहिए कि हिन्दुस्तानका हर मुसलमान अपने इस्लाम व खिलाफतके लिये कुछ न कुछ धन बलिदान कर दे!

परन्तु कलकत्ता पहुँचकर जब देशकी आम हालतपर नज़र डाली, तो यह समय इसके लिये ठीक मालूम न हुआ। मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद-खिलाफत-कान्फ्रेन्स में इसका एलान हो जाये और जनवरीके पहले हफ्तेकी कोई तारीख पक्की कर दी जाये।

**जमीयतुल-उल्मा—**

इस समय सबसे अधिक जरूरी और सबसे अधिक जिम्मेदार जमात यही है। यह उल्मा (आचार्य) का समुह है और उल्माके अतिरिक्त कोई नहीं, जिसे मुसलमानोंकी धार्मिक नेतागिरीका मुख्य पद हासिल हो।

जमीयतके सामने इस समय एक अत्यधिक आवश्यक इस्लामी मामला है। अल्लाहताला और सारे काम करनेवाले जमीयतको साहस दें कि वे सब बुदायूँकी सभामें पूरे मेल-जोलसे किसी अच्छे फैसलेपर पहुँचे। मैं सम्मानके साथ जमीयतवालों से अर्ज़ करूँगा कि—

१—आप सबकी एकता हर हालतमें आवश्यक और समस्त उद्देश्यके लिये जड़ जमानेवाली है।

२—हिन्दु-मुसलमानोंके मेलकी आवश्यकता तथा विशेषत: धार्मिक उक्तियों से भरपूर आपकी दृष्टिसे गुप्त नहीं। इसकी पूरी तरह रक्षा करनी चाहिये और इसकी रक्षा आप हीके हाथमें है।

३—अहमदाबाद-कांग्रेसमें इस्लामके समस्त धर्माचार्यों और खास काम करनेवाली जमीयतको अवश्य शामिल होना चाहिये तथा जमीयतुल-उल्माकी ओरसे इसका प्रबन्ध होना चाहिये ।

लाहौरमें सभी काम करनेवालोंकी जो सलाह स्वीकार हुई है, उसपर फौरन अमल हो जाये और जहाँ तक जल्द सम्भव हो अधिकसे अधिक मेम्बरोंकी भरतीकी जाये ।

**गवर्नमेण्ट बंगाल—**

आखिरमें मुझे गवर्नमेण्ट बङ्गालके लिये भी एक सन्देश लिखना है । २४ तारीखकी हड़ताल अवश्य हो गई और खिलाफत तथा कांग्रेसके स्वयंसेवकोंका का सिलसिला हमारी गिरफ्तारीके बाद दुगनी शक्ति व हिम्मतके साथ जारी रहेगा ।

**प्रिय देशवासियो—**

मैं चार साल नजरबन्द रहनेके बाद दिसम्बर १९१९में छूटा हूँ और दो वर्षके बाद फिर जेल जा रहा हूँ । अल्लाह आप सबका सहायक हो और राहें खिदमते-हक़में प्रेरित रखे ।

"**व उफ्फविदो अमरी इलल्लाहे इनलल्लाहो वसीरुम विल इवाद**, अर्थात्—मेरा आदेश अल्लाहको तरफ है, वह अवश्य अपने भक्तोंको देखनेवाला है ।

२१ दिसम्बर कलकत्ता,

—आजाद

—:०:—

# ४

## गिरफ्तारी !

शुक्रवार १० दिसम्बर १९२१

दो दिसम्बरसे मौलाना और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीकी खबर गर्म थी। परन्तु सातको काबिल व अच्छी तरहसे इसकी तस्दीक हो गई। इसलिये दस तक गिरफ्तारी अमलमें नहीं आई। आठ और नौको केवल यह नज़र आया कि बड़ी खोजके साथ दरयाफ्त किया जा रहा है कि मौलाना बुदायूँके जमीयतुल-उल्माके जलसाके लिये जा रहे हैं या नहीं ? यद्यपि कई दिन पहलेसे इसका एलान हो चुका था कि अब वे कलकत्तासे बाहर न जायँगे और सफरका पूरा प्रोग्राम बदल दिया गया है। कई सम्बन्धित व्यक्तियोंसे भी उन्होंने इस बारेमें ज़बानी साफ-साफ कह दिया था। इसलिये मालूम होता है कि अन्त तक उनके दौरेकी आशा शेष थी। अतः छान-बीन जारी रही।

बुदायूँका जलसा १०, ११ तारीखको था। उसके लिये कलकत्तासे विदाई की अन्तिम तारीख ८ थी, या हद दर्जा ९। बस मानों ९ की शाम तक उसका इन्तज़ार किया गया।

इस दौरानमें स्वयंसेवकोंका संगठन और प्रचारका काम दिन-प्रति-दिन उन्नति करता जाता था। प्रतिदिन गिरफ्तारियोंकी गिनती भी बढ़ती जा रही थी। १० की सुबह तक हज़ारसे अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार हो चुके थे।

९ को मौलाना और श्री सी० आर० दासने आगामी कार्यक्रमपर विचार किया और यह बात भी तै कर दी गई कि यदि वे दोनों एकदम गिरफ्तारकर लिये गये तो श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती उनकी जगह काम करेंगे। वे भी

गिरफ्तार हो गये, तो उसके बाद दूसरे फलाँ-फलाँ व्यक्ति काम हाथमें लेते रहेंगे।

१० को साढ़े चार बजे मिस्टर गोलडी डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्रान्च ( Special Branch ) एक यूरोपियन इन्सपेक्टर पुलिसके साथ आये और मौलानाको पूछा। मौलाना ऊपरकी मंजिलमें अपने आराम-कमरेमें थे और मिस्टर फ़ज़लुद्दीन अहमदसे पत्रोंका जवाब लिखवा रहे थे। उन्होंने मिस्टर गोल्डीको वहाँ बुलवा लिया। मिस्टर गोल्डीने सलामके बाद कहा—"क्या वह उनके साथ चलेंगे? वे उन्हें लेनेके लिये आये हैं।" मिस्टर अहमदने पूछा—"क्या आपके साथ वारंट है?" जवाबमें उसने इन्कार किया, पर मौलानाने कहा कि वे बिना वारंटके भी जानेके लिये तय्यार हैं। इसके बाद वे अन्दर मकानमें गये और पाँच-छः मिनटके बाद वापिस आकर जानेके लिये तय्यारी प्रगट की। इन्सपेक्टरने कहा—"इस प्रकार जल्दी न कीजिये। यदि कोई चीज़ अपने आरामके लिये साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिये।" पर उन्होंने केवल एक गर्म चादर ओढ़ ली और कोई चीज़ साथ न ली।

जाते समय उन्होंने केवल यह कहा—"कलकत्ता और बाहरके समस्त साथियों व कौमी कारकुनोंको मेरा सन्देश पहुँचा दिया जाए कि सब लोग अपने-अपने कार्योंमें पूरी तरहसे मशगूल रहें। मुझसे मिलनेके लिये कोई व्यक्ति न आए। न अपनी जगह और न अपने कार्यको ही छोड़े। गिरफ्तारियोंको एक मामूली और साधारण बातकी तरह समझना चाहिए। किसी तरहकी विरोधी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा ही दुःख होगा यदि किसी कार्यकर्त्ता (कारकुन) ने मेरी मुलाकातके लिए अपना एक घण्टा भी व्यर्थ गंवाया।"

इसके बाद वे चले गए। मिस्टर गोल्डी मोटर-कार तक साथ गए जो मकानसे कुछ दूरी पर खड़ी की गई थी। परन्तु मौलानाके साथ केवल इन्सपेक्टर बैठा। वे खुद दूसरी कार पर चले गए।

इस प्रकार अधिकसे अधिक दस मिनटके अन्दर शान्ति और धीरताके साथ

यह मामला खत्म हो गया। किसी व्यक्तिने महसूस भी नहीं किया कि कोई नई बात हो गई है। ऐसा मालूम होता था मानो यह प्रतिदिनकी एक मामूली घटना है। जिसमें दोनों पक्षोंके लिये कोई विरुद्ध बात न थी। जो लोग आए, वे भी बिल्कुल शान्त और मामूली वेशमें थे; और जो गया, वह भी अपनी मामूली दशामें था। दफ्तरके सब लोगोंको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपनी दिनचर्य्याके अनुसार कांग्रेस-आफिस (Office) में जा रहे हैं।

ठीक उसी समय मिस्टर कुड डिप्टी कमिश्नर पुलिस मय दो-तीन बंगाली इन्सपेक्टरोंके श्री आर० सी० दासके यहां गए और उन्हें साथ ले आए।

जो सादा तरीका गिरफ्तारीके लिये पेश किया गया वह बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी यह रीति अख्तियार नहीं की गई थी। कोई गिरफ्तारी भी हमें याद नहीं जो बिना पुलिस और फौजके हुई हो। स्वयं मौलानाको १९१६ में जब नजरबन्द किया गया तो रातके पिछले पहर का खास समय उसके लिये पक्का किया गया था और सब तैयारी एक फौजी हमलेकी शानके साथ तड़क-भड़कसे हुई थी। तीन बजे पुलिस अफसरों और सिपाहियोंकी पार्टी डिप्टी कमिश्नरके अधिकारमें पहुँची, जिसमें सुपरिन्टेन्डेण्ट सी० आई० डी० के अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट, दो इन्सपेक्टर और पांच सब-इन्सपेक्टर भी थे। सब-इन्सपेक्टरके सिवा सबके हाथोंमें रिवाल्वर थे। सिपाहियोंने पहले दूर तक सड़ककी नाकाबन्दीकी, फिर मकानको चारों तरफसे घेर लिया। उसके बाद दरवाज़ेपर आवाज दी गई। इसके बदले इस बार मामूली-सा प्रबन्ध भी नहीं किया गया। केवल दो आदमी सादे ड्रेसमें साधारण मुलाकातियोंके समान आ गये, और चुपचाप अपने साथ ले गये। पुलिसकी वर्दी और फौजके किसी आदमीका नाम व निशान भी न था।

मौलाना जिस मकानमें रहते हैं, वह मोहल्लेके थानेसे बिल्कुल मिला





हुआ है । केवल एक दीवार बीचमें पड़ी हुई है । परन्तु थानेमें कोई तैयारी भी नहीं की गई थी ।

इससे प्रत्यक्ष होता है कि गवर्नमेंटने कमसे कम दो बातें अवश्य समझ ली हैं, जिनके समझनेसे अब तक उसे इन्कार था । सर्वप्रथम यह कि देशके लीडर जब कहते हैं कि गिरफ्तार होनेके लिये बिल्कुल तैयार हैं, तो ये कोई बहाना नहीं है वरन् सचमुचमें उनके दिलकी सच्ची आवाज़ है । उनको गिरफ्तार करनेके लिये किसी प्रबन्धकी आवश्यकता नहीं । केवल खबर दे देना ही काफ़ी है । दूसरे यह कि ऐसे अवसरों पर शक्तिके दिखाने ही से गिरफ्तारी का काम कठिन हो जाता है । असाधारण भीड़ और पुलिस का झुंड देखकर फौरन पब्लिक मालूम कर लेती है कि गिरफ्तारीके लिये लोग आए हैं और एकाएक जनता में भी जोश और सरगर्मी पैदा हो जाती है । यदि ऐसा न किया जाए और गिरफ्तारी का समय किसी को भी मालूम न हो, तो अत्यन्त सरलता और शान्तिसे कार्य पूरा हो जाए ।

इसलिये मौलानाकी गिरफ्तारीकी बातें उस समय मालूम हुईं, जब शहरमें आफ़िसने इसका एलान किया । जाते समय बहुतसे लोगोंने उन्हें मोटर कारमें एक यूरोपियनके साथ बैठे देखा था, परन्तु किसीको भी ये ख्याल न आया कि वह जेल जा रहे हैं । जब वे मोटर-कारमें बैठ रहे थे तो साधारणतः कुछ दुकानदार और कुछ राहगीर सलाम करनेके लिये एकत्र हो गए, जैसा कि वे प्रतिदिन आते-जाते किया करते थे । पर उन्होंने भी कोई आश्चर्यजनक बात महसूस नहीं की । ये उपाय दोनों पक्षोंके लिये हर तरहसे सुविधाजनक और ठीक है । काश ! गवर्नमेंट आगेसे इसीका अनुसरण करती तो बहुत-सी कठिनाइयाँ और परेशानियां न उसे पेश आतीं, न देश को ।

मौलानाको पहले पुलिस कमिश्नरके आफिसमें पहुँचाया गया । लगभग बीस मिनट वहाँ बैठे होंगे कि श्री सी० आर० दास भी वहीं पहुँचा दिये गये । फिर एक मोटर-कार लाई गई, उसमें दोनों बैठाये गये । एक यूरोपियन पुलिस

अफसर मोटर ड्राइवरके साथ बैठ गया और मोटर प्रेसीडेन्सी जेल अलीपुरकी ओर चली गई। मोटर-कार उस समय भी बिल्कुल खुली थी। प्रेसीडेन्सी जेल-में पहलेसे खबर दे दी गई थी और सब प्रबंध ठीक थे। पुलिस अफसरने दोनोंको जेलरसे मिलाया और उसके सुपुर्द करके वापिस चला आया।

मौलानाने जेलके आफिसमें संध्याकी नमाज पढ़ी। नमाज़के बाद सुपरिन्टेन्डेण्टसे उन्हें मिलाया गया। यह वास्तवमें सुपरिन्टेन्डेण्टके समक्ष कैदियोंके समान हाज़िर करना था। सुपरिन्टेन्डेण्टने कहा—"मैंने खानेके लिये आज्ञा दे दी है।" नहीं मालूम इस आज्ञाका मतलब क्या था? क्योंकि इसका कोई नतीजा देखनेमें नहीं आया। यदि विचार यह था कि तुम्हारे मकानसे खाना तैयार-कर लेनेकी आज्ञा दे दी है, तो इन दोनों व्यक्तियोंके यहां टेलीफोन थे। परन्तु कोई सूचना उनके यहां नहीं दी गई। यदि मतलब जेलके भोजनसे था, तो जिस वार्डमें वे रखे गये थे वहां कोई प्रबन्ध इसका न था।

उसके बाद वह यूरोपियन-वार्डमें पहुँचा दिये गये, जहां अलग-अलग कमरों में फौरन उन्हें कर दिया गया। कमरोंपर गोरखा सिपाहियोंका पहरा था। ये वार्ड जेलके अच्छे भाग समझे जाते हैं और यहाँ केवल अंडर-ट्रायल यूरोपियन कैदी ही रखे जाते हैं। यह दो मंजिला इमारत है। ऊपर नीचे पांच-पांच कमरे हैं। हर कमरा दस फीटका होगा। हर कमरेमें एक सुराही, ताम चीनीका कटोरा, स्टूल और एक टेबिल थी। सोनेके लिये टाटकी गदेली और दो काले कम्बल होते हैं जो जेलमें मिलते हैं। तकियाकी जगह टाटकी एक पतली और छोटी-सी गदेली सिरहाने लगी होती है।

मौलानाने बादको बताया—"हम लोग लगभग सात बजे अपने-अपने कमरों-में बन्द किये गए। साढ़े सात बजे मैंने दरवाज़ेकी सलाखोंसे आस्मानको देखा तो इशाकी नमाज़का समय हो चुका था। मैंने इशाकी नमाज़ पढ़ी। दो-चार घूंट पानीके पिये और लेट गया। दो वर्षके बाद ये पहला अवसर है कि मुझे

इस प्रकार जल्दी और गहरी नींद आ गई। बरसोंसे मेरी नींद बहुत कमज़ोर हो गई थी। उन दिनों यह हाल था कि ग्यारह बजे लेटता था, एक-दो घण्टेके कठिन इन्तज़ारके बाद कहीं नींद आती थी। वह भी इतनी कमज़ोर कि ज़रा-सी खड़खड़ाहट भी विघ्न डाल देती थी। पर उस रात साढ़े आठ बजे लेटा और लेटते ही सो गया। तीन बजेसे पहले आंख न खुली। संतरीके फौजी बूटोंकी आवाज़ सिमेन्टके बरामदेमें बड़े ज़ोरसे हो रही थी परन्तु नींदमें ज़रा भी अन्तर न पड़ा।

यह इतमीनान और बेफिकरी केवल इसलिये न थी कि जेलमें आ गया, वरन् इसलिये थी कि आन्दोलनके बढ़नेके लिये अपनी गिरफ्तारीका प्रभाव पड़नेकी पूरी आशा थी। गिरफ्तार होनेके बाद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मैं एक बड़े परेशानीके बोझसे हल्का हो गया हूँ।

पहले इसी वार्डमें मौलवी अब्दुर्रज़ाक एडीटर 'पैग़ाम' व बाबू पद्मराज जैन, मिस्टर दासके लड़के और कई राजनैतिक कैदी रखे गये थे। पर जब हम दोनों यहां लाये गए तो दूसरे दिन सुबह ही सबको दूसरे वार्डमें भेज दिया गया।

सुबहको कर्नल हिमाल्टन सुपरिन्टेन्डेण्ट और जेलर वार्डमें आये। कर्नल हिमाल्टन अपनी जातिके एक शरीफ नागरिक हैं। मालूम होता था कि वे आन्दोलनसे परिचित हैं और एक तरहकी लज्जा महसूस कर रहे हैं। यद्यपि यह बात बिल्कुल ठीक थी पर फिर भी वे बारबार कहते—"मुझे इस मामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं, मैं केवल आज्ञाकी पाबन्दी कर रहा हूँ। हम लोगोंको जेलमें आप जैसे लोगोंसे कभी सम्बन्ध नहीं पड़ा। मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ? आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।"

उत्तरमें उनसे कहा गया कि —"प्रार्थना, इच्छा, शिकायत इन बातोंसे हमारे दिल बिल्कुल खाली हो चुके हैं।"

सुपरिन्टेन्डेण्टने यह भी कहा—"मैं केवल यही एक उपाय अपने भरोसेका देखता हूँ कि आपको अपनी जगह दे दूँ और स्वयं आपके कमरोंमें चला जाऊँ।"

मिस्टर दास ने कहा—"लेकिन अगर मैं सुपरिन्टेन्डेण्ट बना दिया गया तो फौरन त्याग-पत्र दे दूँगा।"

पीछे मालूम हुआ कि इनके विषयमें जेलके अधिकारी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेण्ट बङ्गालके आदेशके बग़ैर स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यह आज्ञा आ चुकी है कि इन लोगोंको किसी व्यक्तिसे मिलने न दिया जाये, यहाँ तक कि अज़ीज रिश्तेदारोंसे भी। अखबारोंके देनेकी भी बिल्कुल मनाही है। यूरोपियन वार्डको 'इंङ्गलिश मैन' अखबार दिया जाता है, परन्तु इनके लिये वह भी मना किया गया; क्योंकि इसमें बाहर की खबरें भी दर्ज होती हैं। केवल बिस्तर और खाना ले लिया गया और सुपरिन्टेन्डेण्टने थोड़ी देरके बाद अपने आफिससे दो कुर्सियाँ भेज दीं।

**कानून और हुक्म—**(Law and Order)

'ला एण्ड आर्डर' की जैसी पाबन्दी आजकल की जा रही है, वह हर जगह देखी जा सकती है। इनके मामलेमें भी प्रारम्भसे इसकी कार्रवाई शुरू हो गई थी। गिरफ्तारी शुक्रवारके दिन दोपहरको हुई। उस दिन कोर्ट बन्द न थी तथा वारण्ट लिया जा सकता था, पर कोई वारण्ट प्राप्त नहीं किया गया। गिरफ्तारी-के बाद नियमानुकूल मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश करना चाहिये और जब तक पेश न हों, पुलिसके चार्जमें रहना चाहिए न कि जेलमें। पर हमें फौरन जेलमें भेज दिया गया। जेलमें प्रगट किया गया कि—'आप लोग इस समय तक यही समझिये कि आप जेलमें नहीं हैं, पुलिसके चार्जमें हैं।'

परन्तु हमको हर हालतमें मजिस्ट्रेटके सामने पेश करना ही चाहिए था। लेकिन पेश करनेके लिये कोर्टमें ले जाना पड़ता और इसमें पब्लिकका जोश उभड़ने का सन्देह था। ये उपाय लाचारीसे काममें लाना पड़ा कि चौथे दिन मिस्टर कुड डिप्टी कमिश्नर पुलिसको भेजा गया और कहा गया कि उसकी उपस्थिति अस्थायी मैजिस्ट्रेटकी हैसियत रखती है। विचार यह था कि असहयोग

(Non Co-operation) के कारणसे किसी तरहकी कानूनी बाधा तो की नहीं जायेगी तथा मैजिस्ट्रेटके सामने पेश करने और मुकद्दमेकी तारीख पेश करनेकी कठिनाईसे भी छुट्टी मिल जायेगी। पर श्री सी० आर० दासने मज़ाक करते हुए कह दिया—'शायद मेरे प्रैक्टिस (Practice) छोड़नेके बादसे कानून बदल गया है।' इससे एक तरह की परेशानी हुई और डर पैदा हुआ कि कहीं कार्रवाई बिल्कुल बेज़ाब्ता मशहूर न हो जाये; इसलिये मजबूरन तीन बजे मिस्टर ए० जैड० खाँ फोर्थ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटको एक पेशकारके साथ जेलमें भेज दिया गया और दफा २/१७ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्टके वारंट भी तैय्यार कर लिए गये।"

## पहली पेशी २१ दिसम्बर—

यह समझिये आज पहली पेशी थी। मुल्ज़िमोंको अदालतके सामने न जाना पड़ा। खुद अदालत मुल्ज़िमोंके दरवाज़ेपर आ गई। इनके कमरों के सामने जो बरामदा है, उसीमें वार्ड-अधिकारीका टूटा हुआ मेज बिछाया गया। उसी की टूटी हुई कुर्सी मैजिस्ट्रेटके लिये रखी गई। सामने मुल्ज़िमों के लिये स्टूल थे। इस साज़ व सामानके साथ अदालतका इजलास शुरू हुआ।

परन्तु कार्रवाई काफी सारांशमें थी और मैजिस्ट्रेटकी स्पष्ट घोषणा और कानूनी आलोचना प्रारम्भ हुई। उन्होंने कहा—"दफा २।१७ के मातहत आप लोग गिरफ्तार किये गये हैं। मुकद्दमेकी तारीख २३ दिसम्बर मुकर्ररकी जाती है।" यह कहकर जल्दीसे उन्होंने वारण्टपर मुहर लगानेके लिये कहा और उठने लगे; परन्तु रीडर कुछ सावधान था। उसने कहा कि ज़मानतके लिये तो कायदेके अनुसार पूछ लीजिये। मजिस्ट्रेट साहबको भी याद आ गया कि वास्तवमें मुल्ज़िमोंको ज़मानतका हक देनेका कायदा भी हुआ करता है। परन्तु उन्होंने कहा—"ये सज्जन ज़मानत नहीं देंगे, इसलिये मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा।"

अन्तमें मिस्टर खाँने क्षमाकी आवाज़में कहा कि वे इस बारेमें कुछ नहीं जानते। उनसे यहाँ आनेके लिये कहा गया था, वह चले आये।

२३ तारीखकी पेशीमें एक सुविधा यह थी कि २४ से क्रिसमसकी छुट्टियाँ थीं। २३ को जब मुकद्दमा मुल्तवी कर दिया जायेगा, तो क्रिसमस की वजह-से एक हफ्ताकी मोहलत खुदही निकल आएगी।

**दूसरी पेशी २३ दिसम्बर——**

२३ दिसम्बरको चार बजे फिर मिस्टर ए० जेड० खाँ भेजे गये। परन्तु इस बार सुपरिन्टेन्डेण्टके आफिसमें अदालतका इजलास हुआ। मेज़के सामने मुल्ज़िमोंके लिये भी कुर्सियाँ रखी गई थीं। परन्तु कार्रवाईके न होनेके कारण बैठनेकी ज़रूरत ही नहीं हुई। कार्रवाई केवल इस प्रकार हुई कि मुकद्दमा ५ जनवरी पर मुल्तवी कर दिया गया। मजिस्ट्रेटने अपनी अपरिचित और अधिक सम्बन्ध न होनेकी स्थितिका बार-बार इज़हार किया।

**५ जनवरी——**

५ जनवरी की पेशीकी कार्रवाई यह है कि इसमें भी कोई खास बात न हुई। दस बजे श्री सी० आर० दासको प्रेसीडेन्सी-कोर्ट जानेके लिये कहा गया, परन्तु मौलाना की पुकार नहीं हुई।

बादको मालूम हुआ कि शुरूमें श्री सी० आर०दास और उनकी पेशीके लिये एक ही तारीख मुकर्रर कर दी गई थी; परन्तु फिर किसी कारणसे मौलानाका मुकद्दमा एक दिन पीछे टाल दिया गया। अदालतके कानूनकी धारासे आवश्यक था कि यह सब कुछ अदालतकी आज्ञा व कानूनसे होता अर्थात् मैजिस्ट्रेटके सामने पेश किया जाता और फिर कार्रवाई दूसरे दिनके लिये मुल्तवी कर दी जाती। परन्तु उस समयके कानून व हुक्म (लॉ एण्ड आर्डर) में इन बन्धनोंके सरदर्दसे भी अदालतोंको छुट्टी मिल गई थी। न असहयोगी पैरवी करेंगे न बचना चाहेंगे, फिर नियम व कानूनके बन्धनसे सम्बन्ध ही क्या था? ता० ६ की कार्रवाईसे

मालूम हुआ कि गवर्नमेण्टने दफा २/१७ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट वापिस ले लिया है और कार्रवाई फिरसे नई दफा १२४ ए पिनल-कोडके मातहत शुरू है। गिरफ्तारीके बाद जो वारण्ट हासिल किया गया था, वह दफा २।१७ का था, इसलिये १२४ ए का मुकदमा तब तक शुरू नहीं हो सकता था; जब तक फिरसे नई दफा १२४ ए के मातहत वारण्ट न लिया जाये और उसकी गिरफ्तारीका अमल न हो। परन्तु पिछले आश्चर्यसे भी बढ़कर नया आश्चर्य यह है कि १२४ ए के मातहत कोई गिरफ्तारीकी कार्रवाई अमलमें नहीं आई। न तो उसका वारण्ट पूरा किया गया, न कायदेकी गिरफ्तारी ही का कुछ कार्य हुआ। इसलिये ६ को मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर सी० आई० डी० ने अपने हलफ़िया ब्यानमें कहा—"मैंने प्रेसीडेन्सी जेलमें वारण्ट पूरा किया।" मौलाना अपने ब्यानमें लिखते हैं—"ये मामला बेकायदग़ी और दिखावटीपन का विचित्र नमूना है। ६ तारीख तक तो मुझे इस बातका ज्ञान भी न था कि १२४ ए के मातहत दावा किया जायेगा! वारण्टके पूरा होनेसे क्या सम्बन्ध? न तो जेलमें कोई व्यक्ति इस गर्ज़से आया, और न मुझपर वारण्ट ही पूरा किया गया।"

बस ५ जनवरीसे मौलाना नियम व कानूनसे बिल्कुल आज़ाद थे। उनकी गिरफ्तारी शामके बाद कोई सम्बन्ध न रखती थी। यदि वे जेलके अफसरोंपर मान-हानिकी नालिश कर दें—क्योंकि उन्हें ५ के बाद जेलमें बिना वारंट व कानून के रखा गया है तो वे क्या जवाब देंगे? हाँ, ये सब कुछ उसी समय में हैं जब कि 'नियम-कानून' का कोई अर्थ हो, परन्तु वास्तवमें इसका कोई अर्थ ही नहीं है।

अर्थात् ता० ५ के बदले ६ जनवरीको साढ़े ग्यारह बजे मौलाना प्रेसीडेन्सी-कोर्टमें लाये गये और इसी पेशीसे कार्रवाई शुरू हुई। मौलाना जेलकी बन्द मोटर-लारीमें लाये गये थे। देख-रेखके लिये फौजी पुलिसका कप्तान साथमें था।

## तीसरी पेशी—

६ तारीखको साढ़े बारह बजे मौलानाका मुकद्दमा मिस्टर सोनियो चीफ़ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी अदालतमें पेश हुआ। कार्रवाई शुरू होनेसे पहले ही अदालतका कमरा दर्शनार्थियोंसे भर चुका था। जिसमें हर कौमके व्यक्ति हिन्दु, मुसलमान, बंगाली, मारवाड़ी आदि हाज़िर थे।

अदालतके अहाते और सड़कपर भी खासी भीड़ इकट्ठी थी और लोग प्रेम-से चले आ रहे थे। जिस समय मौलाना कटघरेमें लाये गये, उपस्थित भीड़, वकील और नागरिकोंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मौलानाने सबकी सलामका जवाब अत्यन्त नम्रताके साथ दिया। इसके बाद मौलाना कटघरे-में इस अन्दाज़से खड़े हुये कि आपका एक हाथ कटघरेपर था और हथेली पर सिर था; चेहरेपर एक हल्की-सी मुस्कुराहट थी और अत्यन्त ही लापरवाही-के साथ अपने आस-पासका तमाशा देख रहे थे। कार्रवाई शुरू करते हुए राय-बहादुर तारकनाथ साधु सरकारी वकीलने बयान किया—

"मौलाना अबुलकलाम आजादके विरुद्ध दो मुकद्दमे हैं—एक दफा २।१७ जाब्ता फौजदारी और दूसरा दफा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द (बगावत) के मातहत। चूँकि यह जुर्म अत्यधिक संगीन है, इसलिये इनके विरुद्ध कानून नियमानुकूल फौजदारीके मातहत कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता और मैं अपने इस दावे-को वापस लेता हूँ। मौलाना इस दफाके मातहत आज़ाद हैं।"

मजिस्ट्रेट (मौलानाकी ओर मुख करके)—"आप रिहाकर दिये गये।"

कोर्ट-इन्सपेक्टरने मैजिस्ट्रेटको बताया कि मौलाना अंग्रेजी नहीं जानते।

मौलाना—"मैं कुछ नहीं समझता और मुझे किसी चीज़की आवश्यकता नहीं है।"

लेकिन मैजिस्ट्रेटने एक उर्दु बोलनेवालेको बुलवाया। बाबू बी० सी० चटर्जीके सुपुर्द ये खिदमत हुई। सरकारी वकीलने अपने ब्यानको जारी रखते

हुए कहा—"मुल्ज़िमके विरुद्ध यह मुकदमा दफा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द है। यह उन दो लेक्चरोंकी बुनियादपर है, जो उन्होंने पहली और १५ जुलाई १९२१ को मिर्जा-पार्क कलकत्तामें दिये थे। पहले जलसेका सम्बन्ध तीन व्यक्तियों हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विरुद्ध आन्दोलन करना था। इसके बाद १५ जुलाईको मुल्ज़िमने उसी जगह एक दूसरी तकरीरकी। इसमें उन्हीं व्यक्तियोंकी सजा आदिके विरुद्ध उभाड़ते हुये तथा विरोध करते हुये वर्तमान समयमें खिलाफतके विषयमें लोगोंको उनका कर्त्तव्य बताया। ये तकरीरें उर्दू शार्टहैण्ड (Short-hand) में ली गई थीं। इसके बाद उन्हें साफ करके अंग्रेजीमें अनुवाद कराया गया। ये अनुवाद (Translation) अभी आपके सामने पेश किये जाएँगे। मैंने खुद ये तकरीरें पढ़ी हैं और इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि ये तकरीरें दफा १२४ए के मातहत आती हैं, परन्तु ये तो मेरी राय है।

अब मैं उन तकरीरोंका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ता हूँ। फैसला युअर ऑनरपर अवलम्बित है कि इस दफाके मातहत यह जुर्म आता है या नहीं? परन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेण्टने दफ़ा १९६ (ताजीरात हिन्द) इस मुकदमाके लिये मंजूरी दे दी है और इसके लिए मैं सबसे पहले मिस्टर गोल्डी को पेश करता हूँ।"

**मिस्टर गोल्डी—**

इसके बाद मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्राञ्च गवाहीके लिये बुलाये गये।

सरकारी वकीलने दरयाफ्त किया—"क्या मुल्ज़िमको गिरफ्तार करनेके लिए तुम्हें गवर्नमेण्ट बङ्गालसे कोई इख्तियार दिया गया था?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"क्या इन्हीं तकरीरोंके लिये था? और ये किन तारीखोंमेंकी गई थीं?"

जवाब—"हाँ, पहली और १५ जुलाई १९२१ को।"

सवाल—"क्या यही सेंक्शन तुम्हें मिला था ?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"क्या इसीकी सहायतासे तुम्हें मौलाना अबुलकलाम आज़ादको गिरफ्तार करनेके लिये आज्ञा दी गई है ?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"क्या इसपर गवर्नमेण्ट आफ बङ्गालके चीफ सेक्रेटरीने दस्तख़त किये हैं ?"

जवाब—"हाँ, मैं उनके दस्तखतोंको पहचानता हूँ।"

सवाल—"सेंक्शन किस तारीखको दिया गया था ?"

जवाब—"२२ दिसम्बर १९२१ को।"

सवाल—"क्या सेन्क्शन मिलनेके बाद तुमने चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट की सेवामें कोई दरख्वास्त पेशकी थी ?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"तो फिर क्या तुम्हें कोई वारण्ट मिला है ?"

उत्तर—"हाँ, मैंने प्रेसीडेन्सी जेलमें उसे पूरा किया है।"

सवाल—"आम तौरपर जब तुम्हें किसी जलसेकी इत्तला मिलती है, तो क्या तुम कोई रिपोर्टर ( Reporter ) वहाँ भेजते हो ?"

जवाब—"हाँ।"

सवाल—"क्या यही वही रिपोर्ट और उसकी नकल है, जो तुम्हें दिखाई गई थी ?"

ज़वाब—"हाँ"

**अबुइल्लेश मुहम्मद—**

इसके बाद सरकारी शार्टहैंड-रिपोर्टर अबुइल्लेश मुहम्मद पेश हुआ। उसने ब्यान किया—"मैं गवर्नमेण्ट आफ बङ्गालका शार्टहैण्ड-रिपोर्टर हूँ।"

यहाँ मैजिस्ट्रेटने मौलानासे कहा—"क्या आप चाहते हैं कि आपके लिये गवाहीका अनुवाद कराया जाये ?" उत्तरमें मौलानाने कहा—"मुझे किसी अनुवादकी आवश्यकता नहीं, हाँ यदि अदालतको आवश्यकता हो तो वह स्वयं ऐसा कर सकती है।"

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या आप अंग्रेजी समझते हैं ?"

मौलाना—"नहीं।"

गवाहने अपना ब्यान जारी रखते हुए कहा—"मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी-का विद्यार्थी हूँ। लगभग १८ माह तक लखनऊ क्रिश्चियन कालेजमें रह चुका हूँ। वहाँ मैंने उर्दु शार्टहैण्ड-नवीसीमें एक ऑनर सार्टीफिकेट और सनद प्राप्त-की है। १६० शब्द प्रति मिनट मेरी रफ्तार है। मैं उर्दू समझता हूँ। पहली जुलाई मुझे याद है, उस दिन मैं मिर्जापुर-पार्कके एक जलसेमें मुकर्रर हुआ था। उर्दुमें वहाँ जो-जो तकरीरें हुईं उनके मैंने नोट लिये थे। मुल्जिमने वहाँ उर्दुमें तकरीरकी थी और वही इस जलसेके अध्यक्ष थे।

जिस प्रकार हो सका मैंने ठीक नोट लिये और नियमानुसार मिस्टर गोल्डी कमिश्नरके पास भेज दिये। मिस्टर गोल्डीने उनपर २५ तारीखको दस्तखत किये। इसके बाद मैंने इसी भाषणकी नकल उर्दु-लाँगहैण्ड (विस्तारपूर्वक) में ली और मिस्टर गोल्डीके सामने पेश किया। इसपर मिस्टर गोल्डीके १४ दिसम्बरके दस्तखत मौजूद हैं।"

इसके बाद बामाचरन चटर्जी सरकारी अनुवादक पेश हुआ। उसने ब्यान किया—"वह उर्दु और हिन्दीका अनुवादक है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी-से शिक्षाप्राप्त विद्यार्थी है।"

सरकारी वकील—"पहली जुलाईकी उर्दु तकरीरको जरा देखो।"

गवाह—"मैंने ही इसका अनुवाद किया था। इसपर मेरे दस्तखत हैं। मैंने भलीभाँति इसका ठीक अनुवाद किया है।"

सरकारी वकील—"दूसरी तकरीरको देखो जो १५ जुलाईकी है।"

गवाह—"मैंने इसका भी ठीक अनुवाद किया है।"

इसके बाद मुहम्मद इस्माईल इंस्पेक्टर स्पेशल ब्राञ्चको बुलाया गया। उसने ब्यान किया—"मैं मिर्जापुर-पार्कमें नियुक्त किया गया था। वहाँ मैंने मुल्ज़िमको देखा। उन्होंने वहाँ एक तकरीरकी थी। उर्दु-लाँगहैण्ड (विस्तार-पूर्वक) में पहली जुलाईको तकरीरका नोट लिया था। मुल्ज़िम इस जलसा-अध्यक्ष थे और इसी हैसियतसे तकरीरकी थी।"

सरकारी वकील—"जलसा किस कारण हुआ था?"

गवाह—"कार्यकर्त्ता-खिलाफत हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विषयमें।

जलसेमें लगभग १२ हजार आदमियोंका जमाव था। हर किस्मके लोग जलसेमें हाजिर थे, परन्तु ५० प्रतिशत मुसलमान थे। मैंने ठीक नोट लिये थे। इन्सपेक्टर के० एस० घोषाल और दूसरे अफसर मेरे साथ थे और यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जलसेके अध्यक्षकी तकरीरका नोट है। इसके बाद बाबू पंचकौड़ी बनर्जीने तकरीरकी थी।

बाबू पंचकौड़ी बनर्जीकी तकरीर जलसाके अध्यक्षकी तकरीरके साथ शामिल है।

१५ जुलाईको भी मैं मिर्जापुर-पार्कमें नियुक्त किया गया था। मैं वहाँ गया था। मैंने वहाँकी तकरीरोंके नोट लिये। इंस्पेक्टर मुकर्जी और मिस्टर करभी मेरे साथ थे। मौलवी नजमुद्दीन और मुल्ज़िमने इस जलसामें तकरीरेंकी थीं। मैंने उन तकरीरों का नोट लाँगहैण्ड (विस्तारपूर्वक) में लिया। मैंने तकरीरके केवल उन हिस्सोंका सही नोट लिया जिन्हें मैंने आवश्यक समझा था।

मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटीका विद्यार्थी और बी० एस० सी० हूँ। मैं उर्दु समझता हूँ। जलसेमें लगभग १० और १२ हज़ारके बीच लोगोंका जमाव था।"

यहां सरकारी वकीलने कहा—"नोट देखकर ज़रा अपनी याददाश्तको ठीक करो ।"

गवाहने देखकर बताया—"१० हज़ारका जमाव था और हमने एक मिला-जुला नोट पेश किया था ।

इसके बाद के० एस० घोषाल इन्स्पेक्टर स्पेशल ब्रान्च (Special Branch) की गवाही ली गई । उसने ब्यान किया—"मैं कलकत्ता युनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ । पहली जुलाई १९२१ को मिर्जापुर-पार्कके जलसामें गया था । मुल्ज़िम इस जलसाके अध्यक्ष थे । मैंने तकरीरोंके नोट लाँग-हैण्डमें लिये थे । मैं तकरीरके केवल उन हिस्सोंका नोट लिया करता हूँ जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूँ । मैंने उनके सही नोट लिये थे । (**नोट देते हुए**) यह पहली जुलाईकी कुल रिपोर्ट है । इसमें अध्यक्ष (सभापति) की तकरीर भी शामिल है । ये नोट मिस्टर गोल्डीकी सेवामें पेशकर दिये थे, जिनपर उन्होंने अपने दस्तखत कर दिये थे ।

सरकारी वकील—"जलसा किस कारणसे हुआ था ?"

जवाब—"सैयदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी गिरफ्तारीके विरुद्ध उभाड़ने और आन्दोलन करनेके कारण लगभग १२ हज़ार व्यक्तियोंका जमाव था । हर किस्मके व्यक्ति उसमें शामिल थे, परन्तु आधे के लगभग हिन्दुस्तानी मुसलमान थे । शेष आदमी हिन्दुस्तानी हिन्दु और बंगाली थे ।"

इसके बाद बी० बी० मुकर्जी इन्स्पेक्टर सी० आई० डी० हाज़िर हुआ । उसने ब्यान किया—"मिर्जापुर-पार्कके एक जलमेंसे नोट लेनेके लिये मैं नियुक्त हुआ था । मैंने नोट लिये और १५ जुलाई १९२१ को डिप्टी कमिश्नरकी सेवामें हाज़िर किये ।

मुल्ज़िम इस जलसेके सभापति थे । उन्होंने वहाँ एक तकरीरकी थी ।

मैंने उसके सही नोट लिये थे। ये नोट उसी दिन शामको मिस्टर गोल्डीके समक्ष हाजिर कर दिये थे। इसपर उनके दस्तखत किये हुये है। मुहम्मद इस्माईल और मैं दोनोंने एक साथ ही नोट लिये थे। मुल्ज़िमने उर्दुमें तकरीर की थी। मैं कुछ-कुछ इस भाषाको समझता हूँ।

ये जलसा तीन कार्यकर्ता-खिलाफत हकीम सैयदुर्रहमान, जगदम्बा-प्रसाद और अयोध्याप्रसाद की गिरफ्तारीके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने और लोगोंको जेल जानेकी प्रेरणा देने और शौक़ पैदा करनेके कारणसे हुआ था।

लगभग १० हज़ार का जमाव था। मुसलमान, हिन्दु और हवड़ा तथा लिलुआकी मिलोंके बहुतसे मज़दूर इसमें शामिल हुए थे। लगभग ५० वालण्टियर बैज लगाये हुए थे जिनपर यह लिखा था—'जेल जानेके लिये तय्यार हैं।'

मिस्टर गोल्डी फिर बुलवाये गये। उन्होंने रिपोर्ट और नोटपर, जो वहाँ पेश किये गये थे, अपने दस्तखत होने की तस्दीक की।

इसके बाद सरकारी वकीलने पहली जुलाईकी तकरीरका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ कर सुनाया और कहा—"१५ जुलाईको भी इसी प्रकारकी तकरीर हुई थी।" फिर उसने चार्ज-शीट मजिस्ट्रेटको दे दिया। इसके बाद लंचके लिये कार्रवाई मुल्तवी की गई।

## लंचके बादकी कार्रवाई—

३ बजकर २० मिनटपर मैजिस्ट्रेटने अदालतमें प्रवेश किया। मौलानाको बुलवाया गया। जिस समय मौलाना सेहन (आँगन) से होकर अदालतके कमरेमें लाये जा रहे थे, वहाँ बाहरके लोग एकत्र थे। यह बड़ा जमाव जो सड़कपर खड़ा था, मौलानाकी एक ज़रा-सी झलक ही देख पाया और "अल्लाहो अकबर" के नारे लगते रहे।

जब मौलानाने कमरेमें प्रवेश किया तो लोग उठकर खड़े हो गये और अन्जानें ही उनके मुखसे 'अल्लाहो अकबर' का नारा निकल गया, यद्यपि स्वयं मौलाना हाथके इशारेसे रोकते रहे। मैजिस्ट्रेटने घबड़ाकर उसी क्षण सार्जेण्टको कमरा खाली करा देनेकी आज्ञा दी, जिसका उसी क्षण पालन किया गया। केवल कुछ व्यक्ति जो कुर्सियोंपर बैठे हुये थे, अन्दर रह गये।

शार्टहैण्ड (Short Hand) के उर्दु-रिपोर्टरने उन दोनों तकरीरोंको, जिनकी बुनियाद पर दावा किया गया था, पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात् १२४ ए धाराके मातहत जुर्म लगा दिया गया।

मैजिस्ट्रेट (मौलानासे)—"क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?"

मौलाना—"नहीं।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप कोई गवाह पेश करना चाहते हैं?"

मौलाना—"नहीं, यदि मैंने आवश्यकता देखी तो अन्तमें अपना लिखा हुआ ब्यान पेश कर दूँगा।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आपको कागज़की आवश्यकता है?"

मौलाना—नहीं।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप को किसी और चीज़ की जरूरत है?"

मौलाना—"मैं अपनी तकरीरोंकी नकल चाहता हूँ। (**जो उन्हें दे दी गई**)

यहाँ सरकारी वकीलने मैजिस्ट्रेटसे दरख्वास्त कि अर्जी-दावाकी भी एक नकल मुल्ज़िमको दे दी जाये। इसके बाद मुकद्दमा ११ जनवरी तकके लिये मुल्तवी कर दिया गया। मुकद्दमेके दौरानमें अदालतके अहाता और सड़क पर काफी भीड़ मौजूद थी। कौमी नारे बराबर लगाये जा रहे थे। ज्योंही मौलाना जेल की गाड़ीमें सवार होने लगे—अबुलकलाम आज़ाद की जय, वंदे मातरम्, महात्मा गांधीकी जै, हिन्दु-मुसलमानोंकी जय और अल्ला

हो अकबर के भरपूर नारोंसे चारों दिशाएँ गूँज उठीं। लोगोंकी इस कदर भीड़ थी कि कुछ समय तक गाड़ियों का आना-जाना रुक गया।

**मिसिल की नकल—**

मुद्दालेह—मौलाना अबुलकलाम आजाद।

अदालत—चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट कलकत्ता।

गिरफ्तारी—दफा १२४ ए ताजीरात हिन्द।

मुद्दई—जे० एम० गोल्डी कमिश्नर आफ पुलिस स्पेशल ब्रान्च कलकत्ता।

यह ब्यान मुद्दई का इस प्रकार है—

१. पहली जुलाई १९२१ को मुद्दालेहने मिर्जापुर-पार्कमें असहयोग और बायकाटके विषयों पर उर्दूमें एक तकरीर की थी।

एक उर्दू शार्टहैंड-रिपोर्टरने उनकी पूरी तकरीरके नोट उर्दूमें लिये। उनके असली नोटकी नकल की एक उर्दू कापी जिसपर अंग्रेजी शब्द 'ए' का निशान बना है, मिसिलमें शामिल है। जिसमें शार्टहैण्ड नोटका अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल है, जिसे गवर्नमेण्ट आफ बङ्गालके एक बङ्गाली अनुवादकने किया है। इस पर अंग्रेजी शब्द 'बी' का निशान है।

२. फिर १५ जुलाई १९२१ को मुल्ज़िमने उर्दूमें एक दूसरी तकरीर उसी जगह और उसी विषयपर की और एक उर्दू रिपोर्टरने उनकी पूरी तकरीरका उर्दू शार्टहैण्डमें नोट लिया। इस नोटकी एक नकल जिसपर शब्द 'सी' का निशान है, शामिल है और दूसरा कागज़ जिसपर शब्द 'डी' का निशान है, में भी शार्टहैण्ड का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे गवर्नमेण्ट बङ्गालके एक बङ्गाली अनुवादक ने किया है।

३. दोनों मौकों पर स्पेशल ब्रान्चके तीन दूसरे अफसरोंने भी लाँगहैण्डमें नोट लिये थे और वह उस शार्टहैण्ड रिपोर्टकी तस्दीक करते हैं।

४. तकरीरोंके देखनेसे अन्दाज़ा हो सकता है कि भाषणकर्त्ताने अपनी

इन तकरीरोंसे गवर्नमेण्टके विरुद्ध लोगोंमें घृणा व नफरत फैलानेकी कोशिश की और इस तरह एक ऐसे जुर्मका साहस किया, जिसके कारण वह १२४ ए ताज़ीरात हिन्दके मातहत सज़ाका भागीदार हो सकता है।

५. गवर्नर-इन-कौन्सिलने मुद्दईको ये आज्ञा और अधिकार दिया है कि वह मौलाना अबुलकलाम आजादको जुर्मकी बुनियादपर उन्हें दफा १२४ ए ताज़ीरात हिन्द गिरफ्तार करे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करे। सेक्शनकी असल कापी नत्थी है और उसपर शब्द 'ए' का निशान है। मतलब यह कि मुद्दई दरख्वास्त करता है कि मुल्ज़िमके विरुद्ध हुक्मनामा ज़ारी किया जाये कि वह अपने उन इल्ज़ामोंकी जवाबदेही करे और उसके हाज़िर होने पर मुकद्दमा चलाया जाये। तात्पर्य यह है कि कानूनके अनुसार कार्रवाई अमलमें लाई जाये।

**चौथी पेशी—**

११ तारीखको मिस्टर सोनियो चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी अदालतमें चौथी पेशी हुई। कमरा और अहाता-अदालत काफी लोगोंसे भरा हुआ था, परन्तु इसके पहले कि कार्रवाई शुरू हो, सार्जेण्ट ने कमरा लोगोंसे खाली करा लिया। यहाँ तक कि उन लोगों को भी न रहने दिया जो कुर्सियों पर बैठे थे। इसके बाद मौलाना लाये गये। ज्यों ही उन्होंने कठघरेमें कदम रखा, सब लोग जो वहाँ हाज़िर थे स्वागतके लिये उठ खड़े हुए। मैजिस्ट्रेटने मौलानासे पूछा—"क्या आप कोई ब्यान देना चाहते हैं?"

मौलाना—"हाँ, अगर अदालतको कोई एतराज़ न हो, तो मैं एक लिखा हुआ ब्यान पेश करूँगा।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या वह आप के साथ है?"

मौलाना—"हाँ, वह उर्दुमें हैं। पर मैं चाहता हूँ उसका अंग्रेजी अनुवाद अदालतमें पेश करूँ।"

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या आप स्वयं उसका अनुवाद करा लेंगे?"

मौलाना—"हाँ, यदि अदालत को इस पर कोई एतराज़ न हो तो।"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता है ?"

मौलाना—"यदि कोई नुकसान न हो तो मैं अपनी उस तकरीरका, जिसे न जाने क्या-क्या बताया गया है, अंग्रेजी अनुवाद देखना चाहता हूँ।"

मजिस्ट्रेट—"क्या ब्यानके लिये उसकी आवश्यकता है ?"

मौलाना—"मैं उसे देखना चाहता हूँ।"

मैजिस्ट्रेटने अदालतमें पूछा कि अंग्रेजी अनुवादको पहले ही क्यों न दिया गया ? अब उन्हें तत्क्षण दे दिया जाये। सरकारी वकीलने एक पुलिस अफसर से कहा। उसने ब्यान किया कि इस समय वह यहाँ हाज़िर नहीं है। जेलमें भेज दिया जायेगा।

इसके बाद मुकद्दमा १७ जनवरी १९२२ तक बढ़ा दिया गया। सदा की तरह आज भी एक बहुत बड़ा जमाव लोगोंका सड़क पर था और बराबर क़ौमी नारे लगा रहा था।

## पाँचवी पेशी—

१७ जनवरीको मौलानाके मुकद्दमाकी सुनवाई प्रेसीडेन्सी सिविल जेलमें हुई। हज़ारों व्यक्ति समयपर प्रेसीडेन्सी कोर्ट पहुंच गये थे, परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि मुकद्दमा कोर्टके बदले जेलमें होगा तो अपने-अपने घरोंको निराश वापिस हो गये। फिर भी एक भीड़ हिन्दु-मुसलमानोंकी फौरन टैक्सियोंमें सवार होकर जेल पहुँच गई। पर वहाँ इन्हें अहातेके जेलके अन्दर जाने की आज्ञा न दी गई। बादको मालूम हुआ कि मौलानाके साथियों और अखबारोंके प्रतिनिधियोंको भी अन्दर जानेकी आज्ञा नहीं मिलेगी। अदालतके अन्दर केवल मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर स्पैशल ब्राञ्च और कुछ सी० आई० डी० पुलिस अफसर हाजिर थे। १२ बजे मिस्टर सोनियों चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट और रायबहादुर तारकनाथ साधू सरकारी वकील आये।

अखबारोंके प्रतिनिधियोंने अन्दर जानेकी फिर कोशिशकी, पर अदालतके पेशकारने कहा—"जेलरसे इसकी दरख्वास्त करनी चाहिये, वे ही इसकी आज्ञा दे सकते हैं।" इसलिये यह बात जेलरसे कही गई, उसने कहा—"वह कमरा अब अदालतको दे दिया गया है। उनका इसमें कोई अधिकार अवशेष नहीं।" इस-लिये मैजिस्ट्रेटको इसकी खबर दी गई, परन्तु जवाब मिला कि सुपरिन्टेन्डेण्ट जेल-के पास दरख्वास्त दी जाये। सुपरिन्टेन्डेण्ट भी उस समय न था, इसलिये मुलाकात न हो सकी। पर बादमें सुपरिन्टेन्डेण्टने मौलानासे कहा कि न तो उसकी तरफसे कोई रोक थी और न वह रोकनेका अधिकार ही रखता है। इसका अधिकार तो केवल मैजिस्ट्रेट को है।

ठीक पौने बारह बजे जेलरके साथ मौलाना आये। मौलानाने अदालतके कमरेमें भीतर कदम रखते ही कहा—"ये कार्रवाई पब्लिक है या प्राइवेट (Private)?

मैजिस्ट्रेट—"प्राइवेट (Private), आप पधारिये।"

मौलाना—"क्या आपने यह मुझसे कहा है? शायद आपको याद नहीं रहा कि पहले भी मैं दो बार आपके सामने हाज़िर हो चुका हूँ।"

मैजिस्ट्रेट—"मुझे याद है।"

मौलाना—"बीते हुए अवसरोंपर जब मैं दो-तीन घण्टे लगातार खड़ा रह सका, तो अब भी खड़े रहनेमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती।"

मैजिस्ट्रेट—"अफसोस है कि मुझे उन अवसरों पर याद न रहा।"

मौलाना—"आपके इस व्यवहार का शुक्रिया!"

मैजिस्ट्रेट—"क्या आप अपना बयान लाये हैं?"

मौलाना ने अपना उर्दु ब्यान हाज़िर कर दिया और कहा कि उनके सेक्रेटरी-की गैरहाज़िरीके कारण अंग्रेजी अनुवाद पूरा न हो सका।

मैजिस्ट्रेट—"तो क्या इसके अनुवादके लिये आप और समय चाहते हैं?"

मौलाना—"नहीं, मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ अनुवादके लिये मुकद्दमेमें विघ्न हो।"

मैजिस्ट्रेट—"परन्तु यदि इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाता, तो अदालतके लिये बड़ी सुविधा हो जाती।"

इसके बाद मुकद्दमा १६ तारीख तकके लिये बढ़ा दिया गया, परन्तु बादको स्वयं ही १६ के बदले २४ तारीख कर दी गई।

## छठवीं पेशी—

२४ जनवरीको मौलानाका मुकद्दमा सिविल जेलमें चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटके समक्ष पेश हुआ। आज कुछ लोगोंको भीतर जानेकी आज्ञा मिल गई थी।

एक बजेके करीब मौलाना पधारे। उस दिन केवल यही कार्रवाई हुई कि मौलाना का ब्यान अदालतने ले लिया और ३१ जनवरीको फिरसे पेशीके लिये कहा गया।

## सातवीं पेशी—

मौलाना की तबीयत कई दिन से बहुत उदास थी। जिगरकी खराबीके कारण ज्वरका कुछ प्रकोप भी हुआ था। २१ को एक बार शदीद दौरा भी हुआ। जेलके डाक्टरने कहा—ऐसी हालतमें इनका अदालतमें जाना अत्यन्त हानिकारक होगा। सुपरिन्टेन्डेण्ट तैयार था कि अदालतको खबर देकर पेशी बढ़ा दी जाये, परन्तु मौलानाने पसन्द न किया कि उनकी वजहसे कार्रवाईमें किसी प्रकारकी ढील-ढाल हो। उन्होंने कहा—"जब कार्रवाई जेल ही के अहातामें हो रही है तो थोड़ी देरके लिये कुछ कदम चलना मेरे लिये कठिन न होगा। जेलसे कोई खबर अदालतको न दी जाये।" परन्तु थोड़ी देरके बाद सुपरिन्टेन्डेण्ट जेल मिस्टर सोनियो प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटकी चिट्ठी लेकर आये, जो ३० तारीखकी लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि मौलानाका मुकद्दमा ६ फरवरी तक बढ़ा दिया गया।

५ जनवरीकी कार्रवाईके मुकाबलेमें ये कार्रवाई कुछ ठीक थी। कमसे कम खबर तो दे दी गई। पर सवाल ये है कि क्या इस प्रकारकी चिट्ठी मैजिस्ट्रेट और मुल्जिम की हाजिरीमें मुनासिब हो सकती है ? यदि उत्तर 'हाँ' में हो, तो यह कानूनी पाबन्दी अदालतमें एक नये ढंगका नियम होगा। हम इसे परिवर्तन भी कह सकते हैं; परन्तु जहाँतक मालूम है १६०८ में केवल ज़ाब्ता फौजदारी ही का परिवर्तन हुआ था, अदालतका नहीं।

अब हम पहले मौलानाका ब्यान पेश करते हैं। उसके पश्चात् अन्तिम पेशी-की कार्रवाई और अदालतके फैसलाकी नकल लिखेंगे।



५

# मौलाना अबुलकलाम आज़ादका लिखा हुआ ब्यान

**व बदमस्ती सजद गर मुत्त्तहम साजोमरा साकी--हनूज अज बादह पारीना अम पैमाना जब्रोवार,** अर्थात्--मैं उस बुरी वासनाका फल भोगूँगा--अगर मेरा प्रेमी मुझपर यह प्रमाणित करे। परन्तु मैं उस पुराने प्यालेके स्वादसे भलीभाँति परिचित हूँ।

**अलहम्दो लिल्लाहे बहदहु,** अर्थात्--सारी तारीफें उस सर्वशक्तिमान्के लिये हैं, जो निराकार है।

मेरा विचार न था कि कोई मौखिक या लिखित ब्यान यहाँ पेश करूँ। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे लिये न तो किसी प्रकारकी आशा है, न इच्छा है और न शिकायत ही। ये एक मोड़ है जिससे गुजरे बिना पूरा मार्ग तय नहीं कर सकते। इसलिये थोड़ी देरके लिये अपनी इच्छाके विरुद्ध सांस ले लेनी पड़ती है। यह न होती तो हम सीधे जेल चले जाते।

यही कारण है कि पिछले दो सालके अन्दर मैंने सदैव इसका विरोध किया कि कोई असहयोगी (Non Co-operator) किसी प्रकारका भी भाग अदालत की कार्रवाईमें ले। आल-इण्डिया कांग्रेस-कमेटी, सेन्ट्रल खिलाफत-कमेटी और जमीयतुल उल्मा हिन्दने यद्यपि इसकी आज्ञा दे दी है कि जनताकी पहचानके लिये तहरीरी ब्यान दिया जा सकता है, परन्तु मैं लोगोंको यही सलाह देता रहा कि धीरज ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इसलिये ब्यान देता है कि वह दोषी नहीं, यद्यपि उसका उद्देश्य जनता ( Public ) को परिचित कराना ही है; फिर भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि अपने

बचावकी एक हल्की-सी इच्छा और बचावकी एक कमजोर-सी आशा उसके अन्दर काम कर रही हो। यद्यपि असहयोगका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है और वह इस विषयमें कोई भी सफाई पसन्द नहीं करता।

## पूरी उदासीनतासे पूरे परिवर्तनका विचार—

असहयोग वर्तमान परिस्थितिसे पूर्ण निराशा का प्रमाण है, और इसी उदासीनतासे पूर्ण परिवर्तनका विचार पैदा हुआ है। एक व्यक्ति जब गवर्नमेंटसे असहयोग करता है तो वह एलान करता है कि वह गवर्नमेंटके न्याय और यथार्थवादसे निराश हो चुका है। वह उसकी पक्षपात-शक्तिके विकाससे परिचित है, इसलिये परिवर्तनका इच्छुक है। जिस वस्तुसे वह इस हद तक निराश हो चुका कि परिवर्तनके सिवा कोई उपाय नहीं देखता, वह क्योंकर आशा रख सकता है कि गवर्नमेंट एक न्यायशील शक्तिके समान उसके साथ भी न्याय करेगी ?

इस सिद्धान्तको भी छोड़ दिया जाय। वर्तमान परिस्थितिमें किसी तरहकी आशा रखना एक व्यर्थका विवाद है। यह अपने ज्ञात किये हुये से विरुद्ध होगा कि गवर्नमेंटके अतिरिक्त कोई समझदार व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता कि वर्तमान अदालतोंसे किसी न्यायकी किसी तरह की भी आशा नहीं है। इसलिये नहीं कि वह ऐसे व्यक्तियोंसे बनी है जो न्याय करना पसन्द नहीं करते वरन् इसलिये कि ऐसे शासनके सिस्टम (System) पर अवलम्बित है जिनमें रहकर कोई मैजिस्ट्रेट उन मुल्जिमोंके साथ न्याय नहीं कर सकता, जिनके साथ स्वयं गवर्नमेंट न्याय करना पसन्द न करती हो।

मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 'असहयोग' का सम्बन्ध केवल गवर्नमेंट, गवर्नमेंटके सिस्टम, और वर्तमान नौकरशाही तथा राष्ट्रीय विचारोंसे है। खास व्यक्तियोंसे नहीं है। अदालतें अन्यायका पुराना द्वार हैं।

हमारे उस समयके सम्पूर्ण हालातकी तरह यह हालत भी नयी नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी शासनाधिकारी शक्तियोंने स्वतन्त्रता और अधिकार

के मुकाबलेमें हथियार उठाये हैं, तो अदालतोंने सबसे अधिक सरल और बेकसूर हथियारका काम दिया है। अदालतका अधिकार एक शक्ति है, तथा वह न्याय और अन्याय दोनोंके लिये काममें लाई जा सकती है। न्यायी गवर्नमेंटके हाथमें वह न्याय और अधिकारका सबसे बढ़िया उपाय है। परन्तु शक्तिशाली और असंदिग्ध सरकारके लिये इससे बढ़कर बदला और अन्यायका कोई यन्त्र भी नहीं है।

इतिहास जगतका सबसे बड़ा अन्याय युद्धके मैदानके बाद अदालतके कटघरे में ही है। संसारके पवित्र आचार्यों, धर्मसे लेकर विज्ञानके विद्वानों और दर्शन-शास्त्रियों तक सीमित कोई पवित्र और सत्य-पारखी संस्था नहीं जो अपराधियोंके समान अदालतके समक्ष खड़ी न की गई हो। समयकी क्रान्तिके साथ प्राचीन सत्ताकी बहुतसी बुराइयाँ मिट गई हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अब संसारमें दूसरी सदी ईसवीकी भयानक रूमी अदालतोंका अस्तित्त्व नहीं है।

परन्तु मैं ये माननेके लिये तैयार नहीं कि जो जोश इन अदालतोंमें काम करते थे, उनसे भी हमारे ज़मानेको मुक्ति मिल गई है। वे इमारतें जरूर गिरा दी गईं जिनके अन्दर भयानक प्राणी बन्द थे, परन्तु उन दिलोंको कौन बदल सकता है जो मानवी स्वार्थपरता और अन्यायके भयानक भेदोंका खजाना हैं?

## एक आश्चर्यजनक, पर उच्च स्थान—

अदालतके अन्यायोंकी सूची बड़ी ही लम्बी है। इतिहास आज तक इसके शोकसे अलग न हो सका। हम इसमें हजरत ईसा जैसे पवित्र मानवको देखते हैं, जो अपने समयकी अद्भुत अदालतके सामने चोरोंके साथ खड़े किये गये। हमको उसमें सुकरात दृष्टिगोचर होता है, जिसको केवल इसलिये जहरका प्याला पीना पड़ा क्योंकि वह अपने देशका सबसे अधिक सच्चा व्यक्ति था। हमको इसमें फ्लारेन्सके महान् भक्त गलीलियोका नाम भी मिलता है, जो अपनी दिव्यता और सच्चाईको इसलिये झुठला न सका कि समयकी अदालतके पास उसका

स्वीकृत दोष था। मैंने हजरत ईसाको मनुष्य कहा, क्योंकि मेरे विश्वासमें वह पवित्र मनुष्य थे जो भलाई और प्रेमका आस्मानी संदेश लेकर आये थे, परन्तु करोड़ों इन्सानोंके विश्वासोंमें तो वे इससे भी बढ़ कर हैं। लेकिन ये अपराधियों का कटघरा कैसा आश्चर्यजनक परन्तु उच्च स्थान है, जहाँ सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों प्रकारके आदमी खड़े किये जाते हैं! इतनी बड़ी विभूतिके लिये भी यह स्थान अयोग्य स्थान नहीं।

**प्रभुका धन्यवाद--**

इस स्थानके उच्च और वैभवशाली विचारोंके इतिहासपर जब मैं ध्यान देता हूँ कि इसी जगह खड़े होनेका गौरव आज मुझे मिल रहा है, तो निर्भीक हो मेरी आत्मा प्रभुके धन्यवादमें डूब जाती है और केवल वही जान सकता है कि इस समय मेरे दिलकी भावना क्या है? मैं अपराधियोंके इस कटघरेमें विचार करता हूँ कि मैं बादशाहोंके सामने ईर्षा-योग्य हूँ। उनको अपने भोग-विलासमें वह खुशी और चैन कहाँ नसीब है, जिससे मेरे दिलका एक-एक तार गद्‌गद् हो रहा है? काश! असावधान और विलासी मनुष्य इसकी एक झलक ही देख पायँ? यदि ऐसा होता तो मैं सच कहता हूँ कि लोग इस जगहके लिये प्रार्थनायें किया करते।

**मैं ब्यान क्यों देता हूँ?--**

मेरी धारणा न थी कि ब्यान दूँ; परन्तु ६ जनवरीको जब मेरा मुकद्दमा पेश हुआ तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट मुझे सज़ा दिलानेके मामलेमें अत्यन्त खिन्न और चिन्तित हो रही है। यद्यपि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको उसकी इच्छा और विचारके अनुसार सबसे पहले और सबसे अधिक सज़ा मिलनी चाहिये।

पहले मेरे विरुद्ध दफा २।१७ तरमीम ज़ाब्ता फौजदारीका दावा किया गया था, परन्तु जब इसका वैसा प्रमाण न मिल सका, जैसा आजकल जुर्मके लिये काफी सन्तोषजनकता है, तो लाचार होकर वह धारा वापिस ले ली गई। अब

१२४ ए का मुकद्दमा चलाया गया है परन्तु दुर्भाग्यसे ये भी प्रमाण आदिके लिये काफी नहीं, क्योंकि जो तहरीरें प्रमाणोंमें पेशकी गई हैं वह उन बहुत-सी बातोंसे खाली हैं, जो मैं अपनी अत्यधिक तकरीरों और तहरीरोंमें सदैव कहता रहा हूँ और वे शायद गवर्नमेंटके लिये अधिक उपयोगी होतीं।

यह देखकर मेरी सलाह बदल गई। मैंने विचार किया कि जो कारण ब्यान न देनेका था, वही अब सोच रहा हूँ कि शान्त न रहूँ और जिस बातको गवर्नमेण्ट सप्रमाण जाननेके लिये कुछ न कर सकी, उसे स्वयं पूरे प्रमाणके साथ अपनी कलमसे लिख दूँ। मैं जानता हूँ कि अदालती कानूनके लिहाजसे यह मेरे कर्त्तव्यमें नहीं शामिल है। मेरी ओरसे प्रासिक्यूशनके लिये भी यह बहुत बड़ी मदद है कि मैंने डिफेन्स (Defence) पेश नहीं किया। परन्तु सत्यताका कानून अदालती ढङ्गके हीले-हवालोंका रास्ता नहीं रोकता। यथार्थमें यह सच्चाईके विरुद्ध होगा कि एक बात केवल इसलिये गुप्त रहने दी जाये कि विरोधी अपनी अयोग्यताके कारण उसे प्रमाणित न कर सका।

## अपराध स्वीकार—

हिन्दुस्तानकी वर्तमान ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ही शासनाधिकार है, जैसा अधिकार देश व जातिकी हीनताके कारण शक्तिवान् मनुष्य प्राप्त करते रहते हैं। प्रायः यह अधिकार जाति-जागरणके प्रयत्नोंसे आजादी व न्यायकी हलचलोंको दबाता रहा है, क्योंकि उसका आवश्यक प्रभाव हमेशा अन्यायी असुर-शक्तिका पतन है और कोई भी शक्ति अपना पतन नहीं चाहती, चाहे वह कितनी ही कमजोर क्यों न हो! जब युद्ध होता है तो दोनों दल अपने-अपने लाभके लिये सब कुछ करते हैं। राष्ट्रीय जागरण अपने अधिकार-की उपासना करता है, सत्ता और भी मजबूतीसे चिपकती है। सभी अपने बचाव तथा रक्षाके लिये हाथ पैर हिलाते हैं। सम्भव है कि न्यायके विरुद्ध भी कोई पहुँच जाये, इच्छाके विरुद्ध तो सम्भव नहीं है। यह भी खुलासा है कि भलाईके अनुसार

बुराई भी जिन्दा रहना चाहती है। वह खुद चाहे कितनी ही निन्दनीय हो, किन्तु जीवनकी इच्छा निन्दनीय नहीं होती।

हिन्दुस्तानमें भी यह मुकाबला शुरू हो गया है। इसलिये यह कोई साधारण बात नहीं है, अगर ब्योरोक्रेसीके लिये स्वतन्त्रता और अधिकारके प्रयत्न जुर्म हों और वह उन लोगोंको कठोर सजाओंका भागी समझे, जो न्यायके नामसे उसके अन्यायी वैभवके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं न सिर्फ उसका दोषी हूँ, बल्कि उन लोगोंमें हूँ जिन्होंने इस जुर्मको अपनी जातिके दिलोंमें संगठित रूपसे भरा है और इसकी सफलताके लिये अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। मैं हिन्दके मुसलमानमें पहला व्यक्ति हूँ जिसने सन् १९१२ में अपनी जातिमें इस जुर्मको प्रचारित किया और तीन सालके अन्दर इस प्रकारसे उनका परिवर्तन कर दिया कि जिसमें गवर्नमेण्टके सारे छिपे भेद भी बतला कर रख दिये। यदि गवर्नमेण्ट मुझे अपने विचारमें सजावार समझती है और इसलिये सज़ा भी दिलाना चाहती है, तो मैं पूरी साफदिलीके साथ स्वीकार करता हूँ कि यह कोई विरोधी बात नहीं है जिसके लिये मुझे शिकायत हो।

मैं जानता हूँ कि गवर्नमेण्ट फरिश्तों की तरह मासूम होनेका दावा रखती है, क्योंकि उसने गलतियोंको माननेसे सदैव इनकार किया है; परन्तु मुझे यह भी मालूम है कि उसने ईसाई होनेका कभी गर्व नहीं किया। फिर भी मैं क्यों आशा करूँ कि वह अपने विरोधियोंको प्यार करेगी! वह तो वही करेगी, जो कर सकती है और जो सदैव समयानुसार आज़ादीके मुकाबलेमें किया गया है। यह एक ऐसा स्वाभाविक मामला है जिसमें दोनों पार्टियोंके लिये शिकायतके लिये कोई अवसर नहीं। दोनों को अपना-अपना काम किये जाना चाहिये।

### गवर्नमेन्ट आफ बंगाल और मेरी गिरफ्तारी—

मैं यह भी प्रगट कर देना चाहता हूँ कि मेरा मामला जो कुछ था, गवर्नमेण्ट आफ इण्डियासे था। वह किसी विशेष संगीन कसूरकी बुनियादपर

नहीं, वरन् वर्तमान आन्दोलनका प्रभाव होनेके कारणसे मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। और जैसा कि ढङ्ग है, वह गिरफ्तारीके भी लिये कोई बहाना बना लेती; क्योंकि देशमें अधिकतर विचार किया जाता था कि अली-भाइयोंसे मुझे अधिक समय दिया गया। परन्तु अब अधिक समय तक असावधानी नहीं की जाएगी, किन्तु यह स्पष्ट है कि बङ्गाल गवर्नमेण्टके सामने इस समय मेरा मामला न था और न वह दफा १२४ एका मुकद्दमा ही चलाना चाहती थी। इस दफ़ाके प्रमाणमें जो तकरीरें पेशकी गई हैं वह ६ मास पहले कलकत्तामें की गई हैं और गवर्नमेण्टने २२ दिसम्बरको आज्ञा दी है अर्थात् मेरी गिरफ्तारीके बारह दिन बाद। यदि वास्तवमें इन तकरीरोंमें जुर्म था तो क्यों मुझे छः मास तक गिरफ्तार नहीं किया गया? और अब मुझे गिरफ्तार भी किया गया तो मेरे जेल भेजने के १२ दिन बाद? हर व्यक्ति इन दो घटनाओंसे साफ-साफ समझ सकता है कि वास्तविक बात क्या है? विशेषतः यह तीसरी घटना भी बढ़ा दी जाये कि जो दफा प्रकटकी गई, वह १२४ ए न थी, बल्कि २।१७ जाब्ता फौजदारी थी। २५ दिनके बाद मुझसे कहा जाता है कि वह दफ़ा वापिस ले ली गई है।

## गिरफ्तारी की वास्तविकता—

सचमुच में बात यह है कि मेरी गिरफ्तारीके साथ इस दफ़ाका कोई सम्बन्ध नहीं। यह ठीक है कि मुझे उन्हीं परिस्थितियोंके सिलसिलेमें गिरफ्तार किया गया जो १७ नवम्बरके बाद प्रकट हुई हैं। यदि मैं पहली दिसम्बरको कलकत्ता न आता या १० दिसम्बरके पहले बाहर चला जाता, जिसका जलसा जमीअतुल-उल्मा बुदायूंके कारण आशा थी तो गवर्नमेण्ट बङ्गाल मुझसे कोई शिकायत न करती।

१७ नवम्बरके बाद संसारकी समस्त वस्तुओंमेंसे जो चाही जा सकती हैं वह केवल यह चाहती थी कि २४ नवम्बरको जब 'प्रिन्स' कलकत्ता पहुँचें तो हड़ताल न हो। और जो जबरदस्ती मूर्खता तरमीम जाब्ता (बदली-धारा)

फौजदारी १६०८ के रूपमें हो गई है, वह एक दिनके लिये स्वीकार कर ली जाये। वह समझती थी कि मेरी और श्री सी० आर० दासकी मौजूदगी इसमें खतरनाक है इसलिये कुछ समयके लिये सोच-विचारके बाद हम दोनों गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी बिना वारण्टके होती थी परन्तु जब दूसरे दिन नियमकी पाबन्दी पूरी करनेके लिये मैजिस्ट्रेट जेलमें भेजा गया तो श्री सी० आर० दासकी तरह मेरी गिरफ्तारीके लिये भी २।१७ तरमीम जाब्ता फौजदारीके मातहत वारण्ट पेश किया गया।

मैं पिछले दो सालके अन्दर बहुत कम कलकत्तामें रह सका हूँ। मेरा समस्त समय अधिकतर खिलाफ़त-आन्दोलनके केन्द्रीय कार्यक्रमोंमें खर्च हुआ या देशके आवश्यक दौरोंमें। बहुधा ऐसा हुआ कि महीनों बाद कुछ दिनोंके लिये कलकत्ता आया और बङ्गाल प्रान्तीय (Provincial) खिलाफ़त-कमेटीके कामोंकी देख-रेख करके फिर चला गया। मध्य नवम्बरसे भी मैं दौरेमें था। १६ को कलकत्तासे चला था कि जमीयतुल-उल्मा-हिन्द लाहौरके वार्षिक जलसेमें शामिल होऊँ। वहाँ महात्मा गाँधीके तारसे बम्बईकी परिस्थितिका हाल मालूम हुआ और मैं बम्बई चला गया। जनवरी तक मेरी भावना वापस आनेकी न थी, क्योंकि १० दिसम्बरको जमीयतुल-उल्माका स्पेशल जलसा बुदायूँमें था। उसमें शामिल होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त मुझे सब समय अँगोरा-फण्डकी वसूली में व्यतीत करना था; परन्तु एकाएक गवर्नमेण्ट बङ्गालकी जबरदस्तीकी घटनाओं सम्बन्धी और ता० १८ के प्रेस-नोटकी ताजी खबर बम्बईमें मिली और मेरे लिये असम्भव हो गया कि ऐसी हालत में कलकत्तासे बाहर रहूँ। मैंने महात्मा गाँधीसे सलाहकी। उनकी भी यही सलाह थी कि मुझे सम्पूर्ण प्रोग्राम छोड़कर कलकत्ता चले जाना चाहिये। भय और विचार हमें इस बातका था कि कहीं ऐसा न हो कि गवर्नमेण्टका अत्याचार लोगोंको बेचैन कर दे और वे कोई बात शान्तिके विरुद्ध कर बैठें। विशेष

कर जब कि 'सिविल-गार्ड' की स्थापनाकी खबरें भी आ चुकी थीं और इस बारे-में हमारे समझनेमें कोई गलती नहीं हो सकती थी कि यह नई हथियारबन्दी किस उद्देश्यके लिये है ?

मैं पहली दिसम्बरको कलकत्ता पहुँचा। मैंने जुल्म और सहनशीलता दोनोंके चित्र अपने सामने पाये।

मैंने देखा कि १७ नवम्बरकी हड़तालसे लाचार होकर गवर्नमेण्ट उस व्यक्तिके समान हो गई है जो जोश और गुस्सेमें आपेसे बाहर हो जाये और फिर बिल्कुल विदग्धता से खिन्न हो जाये।

१६०८ ई० के क्रिमिनल ला एमेन्डमेण्ट एक्टके मातहत देशके स्वयंसेवकोंकी समस्त संस्थाएँ गैरकानूनी कर दी गई हैं। जन-सभापर पाबंदी लगा दी गई है। यह तो सब जानते हैं कि कानून केवल पुलिसकी इच्छाका नाम है, वह गैर क़ानूनी संस्था की आड़ में जो चाहे मनमानी कर सकती है; यहाँ तक कि राह चलतोंकी जान व इज्जत भी सुरक्षित नहीं। गवर्नमेंटने पहले १८ नवम्बरके विज्ञप्ति में केवल पिछले व वर्तमान स्वयंसेवक-संस्थाओंका उल्लेख किया था, परन्तु २४ को दूसरी विज्ञप्ति निकाल करके समस्त भविष्यमें बननेवाली संस्थाओं आदिपर भी कानून के विरुद्ध आज्ञा प्रगटकर दी और पुलिसने भी बिना जांच किये हर व्यक्तिको, जो इसके सामने आ गया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कोई बात भी, जिससे २४की हड़तालके रुकनेकी संभावना हो, पुलिस और पुलिससे भी अधिक 'शरीफ कौम' सिविल-गार्डके लिये नाजायज नहीं। सिविल-गार्ड मानो देशके स्वयंसेवकोंके विरोधमें है। वे बिल्कुल निहत्थे होनेपर भी 'आत्म-बल' से हड़ताल करवा देते थे और ये रिवाल्वरसे सुसज्जित होनेपर भी शायद "शान्ति व मेल" के द्वारा हुई हड़ताल रोक देंगे !

इसके मुकाबलामें लोगोंने भी सहनशील रहने और अत्याचारों आदिका धीरज सामना करने प्रण कर लिया है। साफ मालूम होता है कि न तो वे अपनी राह से हटेंगे न अनैतिक ढंगसे मुकाबला ही करेंगे।

इन परिस्थितियोंमें मेरे लिये कर्त्तव्यकी राह बिल्कुल साफ और एक-सी थी। मैंने अपने सामने दो वास्तविक परिस्थितियाँ देखी। एक यह कि गवर्नमेंटकी समस्त शक्ति कलकत्तामें सिमट गई है; इसलिये जीत अथवा हारका पहला निर्णय यहीं होगा। दूसरी यह कि हम कल तक पूरी आज़ादीके लिये प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु वर्तमान परिस्थितिने बतला दिया कि हमारी आज़ादीकी सीमाएँ यहीं तक मौजूद नहीं हैं। तकरीर और तहरीरकी आज़ादी इन्सानके जन्मजात अधिकार हैं। इसकी बरबादी दार्शनिक "मिल"के विचारानुसार मनुष्योंके कत्लेआमसे कुछ ही कम कही जा सकती है; परन्तु ये बरबादी बिना किसी झिझकके प्रकट हो रही है। अतः मैंने बाहरका सब प्रोग्राम बदल दिया है और निर्णय कर लिया है कि उस समय तक कलकत्ता ही में रहूँगा, जब तक दो बातोंमें से कोई एक बात प्रत्यक्षमें न आ जाये; या तो गवर्नमेंट अपनी विज्ञप्ति और आर्डर वापिस ले ले, या मुझे गिरफ्तार कर ले।

गवर्नमेंटने १० दिसम्बरको मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं पूरे विश्वास और उत्साहके साथ जेलकी ओर बढ़ा; क्योंकि मैं अपने पीछे एक जीता हुआ मैदान छोड़ रहा था। मेरा मन खुशीमें मग्न था, कि कलकत्ता और बंगालने मेरी आशाएँ पूरी कर दीं। वह पहले जिस प्रकार पीछे था, उतना ही आज सबसे आगे है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कार्यकी सफलताके लिये हमें गवर्नमेंटकी मदद का पूर्ण रूपसे धन्यवाद देना चाहिए। यदि वह १७ नवम्बरके पश्चात् यह ढंग न पकड़ती, तो सचमुच हमारे लिये अगले कार्योंकी प्रगतिमें कुछ न कुछ कठिनाइयां थीं और हम २२ नवम्बर को बम्बईमें इन्हीं कठिनाइयोंपर भलीभांति विचार कर रहे थे।

**दो सच्चाइयाँ—**

सच बात तो यह है कि उस बीते हुए समयने एक ही साथ ोनों सच्चाइयाँ प्रकट करनेके लिये सुन्दर अवसर दे दिया। एक तरफ गवर्नमेंटके

चेहरेसे झूठी बातोंके सब पर्दे दूर हो गये; तो दूसरी ओर देशकी शक्ति भी एक कठिन परीक्षामें पड़कर पूर्ण रूपसे प्रकट हो गई। संसारने देख लिया कि अगर गवर्नमेंट सब प्रकारके जुल्म ढानेमें बिल्कुल निडर और निर्भीक है, तो देशमें भी शान्ति व सहनशीलताकी शक्ति क्रमशः विकास पा रही है, जैसा कि सदैव ही किया गया है। आज भी इसका अवसर है कि विरोध किया जाये; परन्तु कल इतिहासके लिये यह एक अत्यन्त ही शिक्षाप्रद घटना होगी। यह भविष्यका पथ-प्रदर्शन करेगी क्योंकि आत्म-शक्तिका तेज भी आसुरी शक्तिके घमंडको नीचा दिखा सकता है और यह इसलिये हो सकता है कि केवल सहनशीलता और बलिदान के द्वारा खूनी हथियारोंके प्रहारोंका सामना किया जाए! हाँ, मैं नहीं जानता कि इन दोनों पार्टियोंमें से कौन-सी पार्टीके अन्दर उस बड़ी महान्-आत्माकी शिक्षा ढूँढी जाये, जो बुराईके समक्ष सहनशील होनेकी शिक्षा लेकर आया था? गवर्नमेंट में या देशकी जनतामें? जहाँ तक मैं विचार करता हूँ, ब्यूरोक्रेसीके अधिकारी उसके नाम से अनजान न होंगे। उसका नाम "ईसा" था।

## गवर्नमेंट का निर्णय और हार—

दार्शनिक इतिहास हमें बतलाता है कि नादानी और बिना सोचे-समझे कार्य करनेकी आदत सदैव निकम्मी शक्तियोंको प्रिय होती है। गवर्नमेंटने विचार किया कि वह अत्याचारसे खिलाफ़तके आन्दोलन तथा स्वराज्यकी भावनाको नष्ट कर देगी और २४ ता० की हड़ताल रुक जायेगी। उसने स्वयं-सेवकोंपर कानूनके जुर्म लगा दिये, और बिना जांचके समस्त कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। वह यह समझती थी कि स्वयंसेवक बननेकी मनाही और कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तारीके पश्चात् खिलाफत और कांग्रेसकी जड़ ही उखड़ जायेगी और इस प्रकार स्वयं हड़ताल रुक जायेगी। परन्तु बहुत जल्द गवर्नमेंटको मालूम हो गया कि अत्याचार जब देशकी राष्ट्रीय जागृतिका सामना करनेका इच्छुक हो, तो उससे कोई बाधा नहीं होती। न हड़ताल रुक सकी; न खिलाफत

और कांग्रेस-कमेटियाँ ख़त्म हुईं और न स्वयंसेवकोंका कार्य ही एक दिनके लिये बन्द हुआ; वरन् हमारी गैरहाज़िरीमें ये सब चीज़ें अधिक शक्ति और उत्साहसे बढ़ गईं। मैंने ८ दिसम्बरको जो सन्देश देशके नाम दिया था उसमें बंगाल गवर्नमेंटके लिये भी यह सन्देश था—"मेरी और श्री सी० आर० दासकी गिरफ्तारीके बाद काम अधिक शक्ति और होशियारीके साथ जारी रहेगा और २४ को हड़ताल उस प्रकार सफल होगी, जिस प्रकार हमारी हाज़िरीमें हो सकती थी।" और ऐसा हुआ भी। गवर्नमेंट स्वयं ही अपने पसंद किये हुए मैदानमें हार गई। अब वह अपनी शर्मिन्दगी छुपानेके लिये व्यर्थ ही हाथ-पाँव मार रही है, और जिन लोगोंको गिरफ्तार कर चुकी है उन्हें किसी न किसी तरह सज़ा दिलाना चाहती है; परन्तु उसका यह प्रयास बिल्कुल निराधार है। शक्तिवान् व्यक्तिको हारके पश्चात् अधिक क्रोध आता है, परन्तु कोई हार इसलिये जीत नहीं बन सकती कि हम अत्यधिक झुंझला सकते हैं।

## दफा १२४ ए——

तात्पर्य यह कि मेरी गिरफ्तारी सही तौर पर इन्हीं बातोंके कारण है, और इसीलिये दो सप्ताह तक मेरे विरुद्ध दफ़ा २।१७ तरमीम ज़ाब्ता फौजदारी ही का दावा कायम रहा; परन्तु जब इस विषयमें उसे कोई सहारा न मिला तो मेरे प्रेस और मकानकी तलाशी ली गई, ताकि उसे मेरी कोई तहरीर प्राप्त करके ही मुकद्दमा पूरा कर दिया जाये। जब वहाँसे भी कोई मनमानी चीज़ प्राप्त न हुई तो लाचार होकर सी० आई० डी० की शरण ली गई। उसके कागजात सदैव ऐसे उच्चतम कार्यके लिये तैयार रहते हैं और आवश्यकता पड़नेपर कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार बलात् दफा १२४ ए का दावा तैय्यार हो गया।

## स्थाई हठ——

यह परेशानी गवर्नमेंटको खुद उसीका बदला लनकी भावनाके कारण पेश आ रही है। एक ओर तो वह चाहती है कि नादरशाही दमन करे और

दूसरी ओर कानून व अदालतकी आड़ भी कायम रखना चाहती है। ये दोनों बातें कभी भी नहीं हो सकतीं। नतीजा ये है कि उसकी परेशानी, दौड़-धप दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है। उसके ख्यालमें जो लोग सबसे अधिक जिम्मेदार व सजावार हैं उन्हींको सज़ा दिलाना उसके लिये कठिन हो गया है। अभी कुछ ही माह व्यतीत हुए हैं कि हम कराचीमें गवर्नमेंटकी विचित्र झेंप और मूर्खताका तमाशा देख रहे थे। जो सरकारी दावा बड़ी छानबीनके साथ शुरू किया गया, उसका स्वयं गवर्नमेंटके पसन्द किये और चुने हुए ज्यूरी भी समर्थन न कर सके।

आश्चर्य यह है कि ये कठिनाइयाँ गवर्नमेंटको ऐसी हालतमें पेश आ रही हैं जब कि वह जानती है कि असहयोगीकी ओरसे डिफेन्स नहीं किया जायेगा और कठिनसे कठिन कमजोरी होनेपर भी तथा झूठे ब्यानकी दशामें भी निराश और हार का कोई खटका नहीं है।

## नई कानूनी उधेड़-बुन—

गवर्नमेंटने इसी विश्वासक कारण कुछ भी कर गुजरनेमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। असहयोगके मुकद्दमे आजकल जिस तरह चलाये जा रहे हैं, उससे मालूम किया जा सकता है कि 'ला एण्ड आर्डर' के अर्थ ब्यूरोक्रेटिक-सुधारमें क्या हैं? 'ला एण्ड आर्डर' के समान अब दावा, प्रमाण, गवाही, छान-बीन (आइडेन्टीफाई) आदि सब अदालती कार्रवाइयोंके अर्थमें भी परिवर्तन हो गया है। मानो असहयोगीको शीघ्र सज़ा दे देने के लिये हर प्रकारकी बिना नियम कार्रवाई और कानूनकी लापरवाही योग्य है। यहाँ तक कि इस बातकी भी कोई आवश्यकता नहीं कि जिस व्यक्तिके मुल्जिम होनेका दावा किया गया है; कट-घरेमें खड़ा मुल्जिम वही व्यक्ति है भी या नहीं? अभी इसी सप्ताह जोड़ाबगानकी अदालतसे एक व्यक्ति 'अब्दुर्रहमान हाशम' को कानूनी दाँव-पेंच और कल्पित गवाहियोंके द्वारा ६ माह की सजादे दी गई है, क्योंकि 'आजम-हाशम' नामी एक खिलाफत-कार्यकर्त्ता जनतामें प्रभाव रखता है और दोनोंके नाममें शब्द

'हाशम' जुड़ा है। स्वयं मेरे मुकद्दमेमें जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ की गई हैं, उनकी चर्चा कोई लाभ न समझ कर मैं नहीं करना चाहता, वरना वे ही इसको प्रमाणित करनेके लिये काफी थीं। फिर भी उदाहरणके लिये केवल एक घटनाका जिक्र करूँगा जो अनियमितता और गलत-ब्यानी दोनोंका सारांश है। मुझे दफा २-१७ तरमीम जाब्ता फौज़दारीसे बरी कर दिया गया और १२४ ए के मातहत वारण्ट प्राप्त किया गया। नियमानुसार रिहाई और फिरसे गिरफ्तारी होनी चाहिये थी; परन्तु वास्तविकता यह है कि १२४ ए का कोई वारण्ट मुझ पर तामील नहीं किया गया। यहाँ तक कि ६ जनवरी तक मुझे इसका पता भी नहीं था; परन्तु मेरे सामने मिस्टर गोल्डी डिप्टी कमिश्नर पुलिसने यह कसम खाकर गवाही दी है कि उन्होंने प्रेसीडेन्सी जेलमें मुझ पर वारण्ट जारी किया है।

यह सच है कि असहयोगी किसी प्रकारका डिफेन्स नहीं करता, परन्तु मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आदमी अपने सब कपड़े उतार डाले, इसलिये कि शरीफ आदमी आँखें बन्द कर लेंगे। शरीफ आदमियों ने तो सचमुच आँखें बन्द कर ली हैं, परन्तु दुनियाँ की आँखें बन्द नहीं हैं।

**कानून का ड्रामा—**

आजकल "ला एण्ड आर्डर" का ड्रामा खेला जा रहा है, जिसे हम कामेडी (Comedy) और ट्रेजेडी (Tragedy) दोनों कह सकते हैं। वह तमाशेकी तरह मज़ाक भी है और भव्यताके कारण दर्दनाक भी; परन्तु मैं इसे ट्रेजेडी कहना अधिक पसन्द करूँगा। भाग्यवश इसका चीफ़ एक्टर इंग्लिस्तान का भूतपूर्व चीफ जस्टिस है।

**मेरी तकरीरें—**

प्रासिक्यूशनकी ओरसे मेरी वे तकरीरें प्रमाण स्वरूप पेश की गई हैं, जो मैंने पहली और पन्द्रहवीं जुलाईको मिर्जापुर-पार्कके जलसे में की थीं। उस समय बङ्गाल गवर्नमेण्टने गिरफ्तारियोंकी ओर पहला कदम उठाया

था और खिलाफतके प्रचारकोंके खिलाफ़ मुकद्दमा चलाकर सजाएँ दिलाई थीं। मैं उस समय यात्रासे बीमार वापिस लौटा था। मैंने देखा कि लोगों में अत्यधिक जोश फैला हुआ है और हर तरहके आन्दोलनके लिये लोग बेचैन हैं। चूँकि मेरे विचारमें गिरफ्तारियों पर कुछ और करना असहयोग के नियमोंके विरुद्ध था, इसलिये मैंने हड़ताल और जुलूस एक दम रोक दिये। इस पर जनताको शिकायत हुई, तो मैंने ये जलसे प्रारम्भ किये और लोगोंको धीरज व शान्तिकी शिक्षा देते हुए समझाया कि अहिंसा तथा असहयोग के अन्तर्गत यह बात शामिल है कि गिरफ्तारियों पर संयमके विरुद्ध कोई बात न की जाये। यदि प्रसंगवश इन गिरफ्तारियोंका तुम्हारे दिलमें दर्द है तो चाहिये कि असली काम करो और विदेशी कपड़ा छोड़कर देशी खद्दर पहन लो। मुकद्दमे सम्बन्धी दावेमें जो नकल पेशकी गई है वह अत्यन्त व्यर्थ, गलत और सरासर असहनीय है। कई स्थानोंपर अर्थहीन वाक्य ठूँसे गए हैं, जैसाकि इसके पढ़नेसे हर व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ तक मैं इसके गलत और अप्रासंगिक भागको छोड़ कर (क्योंकि इसके साहित्यसे मेरा सम्पर्क रहा करता है) बाकी वह सब भाग स्वीकार कर लेता हूँ, जिसमें गवर्नमेण्टके सम्बन्धमें विच.र प्रकट किये गये हैं या पब्लिकसे गवर्नमेण्टके विरुद्ध प्रयत्न करनेकी अपील की गई है। दावेकी ओरसे केवल तकरीरें पेश कर दी गई हैं। यह नहीं बतलाया है कि उनके किन वाक्‍योंको वह प्रमाणमें पेश करना चाहता है? या उसके विचारमें माई डियर बिरादरानसे लेकर अन्त तक सब १२४ ए है? मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि दोनों सूरतें मेरे लिये एक समान हैं। यदि आप उनकी असलियतको देखते हों, तो मेरे विचारोंके अनुसार अधिकसे अधिक ये वाक्य कहे गये हैं—

"ऐसी गवर्नमेण्ट क़हर है, जो अन्याय के साथ कायम हो। ऐसी गवर्नमेण्ट को या तो न्याय के आगे झुकाना चाहिये या दुनियासे मिटा देना चाहिये। यदि सचमुच तुम्हारे दिलों में अपने गिरफ्तार भाइयों का दर्द है, तो तुममें से

प्रत्येक व्यक्तिका कर्त्तव्य है कि वह आज सोच ले, 'क्या वह इस बातके लिये राज़ी है कि जिस जबरदस्त शक्ति ने उन्हें गिरफ्तार किया है, वह इस महादेशमें इसी प्रकार कायम रहे जिस तरह उनकी गिरफ्तारीके समय थी ?

यदि तुम देशको आज़ाद कराना चाहते हो, तो उसका रास्ता यह है कि जिन चालाक दुश्मनोंके पास खून बहानेके अनगिनत सामान मौजूद हैं, उन्हें राई बराबर भी उसके इस्तेमालका अवसर न दो और पूरी शान्ति व सहनशीलता के साथ कार्य करो.........."

कई लोगोंका खयाल है कि जब तकरीरोंमें कोई ऐसी बात कही जाती है, तो उससे कहनेवालेका अर्थ यह होता है कि अपने बचावका सामान कर ले, अथवा उसकी हार्दिक इच्छा यह नहीं होती। परन्तु मैं समझता हूँ कि जो लोग आज तुम्हारे लिये ये काम कर रहे हैं, तुममेंसे कोई आदमी भी यह माननेके लिये तैयार न होगा कि वह जेल जाने या कैद होने से डरते हैं। बस यदि वे यह कहते हैं कि शान्ति व संगठनके साथ काम करना चाहिये तो उनका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वे उस दुष्ट गवर्नमेण्टके साथ भलाई करना चाहते हैं, जिसकी शक्ति और साम्राज्य दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। सचमुचमें वे इस गवर्नमेण्टके भलाई करने वाले नहीं हो सकते। इसके बाद मैंने कहा—"होगा", परन्तु यह कापीमें नहीं है। वे तो केवल इसलिये यह कहते हैं कि स्वयं तुम्हारी सफलता पूर्ण शान्तिके ऊपर निर्भर है।

"तुम्हारे पास वह शैतानी हथियार नहीं है, जिनसे यह गवर्नमेण्ट भरी पड़ी है। तुम्हारे पास केवल सच्चाई है, दिल है और बलिदानकी शक्ति है। तुम इन्हीं शक्तियोंसे (वास्तवमें हथियारोंसे होगा) काम लो। यदि तुम यह चाहो कि हथियारोंके द्वारा जीतो, तो तुम नहीं जीत सकते। आज शान्ति व धैर्य्यसे बढ़कर (तुम्हारे लिये) कोई दूसरी चीज़ नहीं।

यदि तुम केवल कुछ समयके लिये सरकार ( Government ) को

बेचैन करना चाहते हो, तो उसके लिये मेरे पास बहुतसे इलाज हैं, मगर इस गवर्नमेण्टका अन्त चाहते हो तो वह इलाज बतला देता.....(परन्तु) मैं तो ऐसा युद्ध चाहता हूँ (जो) एक ही दिनमें खत्म न हो जाये, बल्कि निर्णयके अन्तिम दिन तक (जारी रहे), और जब निर्णयकी घड़ी आ जाये, तो फिर या तो यह अन्यायी गवर्नमेण्ट बाकी न रहे या तीस करोड़ भारतीय ही मर मिटें।"

जो शब्द ब्रेकिट (कोष्ठ) के अन्दर है, वे तकरीरकी कापियोंमें नहीं हैं, परन्तु इबारतका अर्थ निकालनेके लिये जरूरी है। मैंने इसीलिये स्पष्ट कर दिया है कि प्रासिक्यूशनको भरपूर मदद मिले। यदि इस उद्देश्यके लिये पूरी तकरीरकी आवश्यकता हो तो मैं वैसे ही कर देनेके लिये तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त दोनों तकरीरोंमें लोगोंको असहयोगकी प्रेरणा दी है। खिलाफत और स्वराज्यकी आवश्यकताको दुहराया है, पंजाबके अत्याचारोंको निन्दनीय कहा है तथा लोगोंको बतलाया है कि जो गवर्नमेण्ट जलियाँवाला बाग़ अमृतसरमें कुछ मिनटोंके अन्दर सैकड़ों इन्सानोंको काट डाले और उसको उचित नीति बतलाये, इससे बढ़कर अन्यायकी कोई बात नहीं!

**प्रतिज्ञा—**

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने न केवल उन्हीं दो मौकोंपर वरन् पिछले दो सालकी अपनी अनगिनत तकरीरोंमें इसी मतलबके लिये इनसे बढ़कर कड़े कई वाक्य कहे हैं। ऐसा कहना मेरे विश्वासमें मेरा कर्त्तव्य है। मैं कर्त्तव्यकी सीढ़ीसे इसलिये नहीं फिसल सकता कि उसपर १२४ ए का जुर्म लगा दिया जायेगा। मैं अब भी वैसा ही कहना चाहता हूँ, और जब तक बोल सकता हूँ, वैसा ही कहता रहूँगा। यदि मैं ऐसा न कहूँ तो अपने आपको खुदा और उसके भक्तोंके समक्ष बड़ा गुनहगार समझूँगा।

**वर्तमान गवर्नमेंट जालिम है—**

सचमुच मैंने कहा है—"वर्तमान गवर्नमेण्ट जालिम है"; परन्तु यदि मैं

यह न कहूँ तो और क्या कहूँ ? मैं नहीं जानता कि क्यों मुझसे यह आशाकी जाती है कि एक चीज़को उसके वास्तविक नामसे न पुकारूँ ? मैं कालेको सफेद कहनेसे इन्कार करता हूँ ।

मैं कमसे कम और नरमसे नरम शब्द जो इस बारेमें कह सकता हूँ, यही हैं । इससे उदार कहना, जो उससे कम हो, मेरे ज्ञानमें कोई नहीं । मैं विश्वास-पूर्वक कहता रहा हूँ कि हमारे कर्त्तव्य के सामने दो ही रास्ते हैं—(१) गवर्नमेण्ट अन्याय और अधिकार छीननेसे रुक जाये। (२)यदि नहीं मान सकती तो मिटा दी जाये । मैं नहीं जानता कि इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? यह तो मानवी विचारों की इतनी पुरानी सचाई है कि केवल पहाड़ और समुद्र ही इसके साथी कहे जा सकते हैं । जो चीजें बुरी हैं उन्हें या तो ठीक हो जाना चाहिये या मिट जाना चाहिये । तीसरी बात क्या हो सकती है ? जब कि मैं इस गवर्नमेण्टकी बुराइयोंपर विश्वास रखता हूँ तो विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि कोई ठीक भी न हो और उसकी उम्र भी बड़ी हो ।

**मेरा यह विश्वास क्यों है ?—**

मेरा और मेरे करोड़ों देशवासियोंका ऐसा विश्वास क्यों है ? इसके प्रमाण-उदाहरण अब इस प्रकार सिद्ध हो चुके हैं कि मिल्टन (अंग्रेजी कवि) के शब्दोंमें कहा जा सकता है—'सूर्यके बाद दुनियाकी प्रत्येक वस्तुसे अधिक स्पष्ट और प्रतीत होनेके लिये हम केवल यही कह सकते हैं कि इन्कार न करो ।' फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा यह विश्वास इसीलिये है कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ, इसलिये है कि मैं मुसलमान हूँ और इसलिये है कि मैं मानव हूँ ।

डिक्टेटरी शासन अवश्य जुल्म है । मेरा विश्वास है कि स्वतन्त्र रहना प्रत्येक मनुष्य और जातिका जन्मजात अधिकार है । कोई मनुष्य या मनुष्योंकी बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी यह अधिकार नहीं रखती कि खुदाके भक्तोंको अपना गुलाम बनाये । पराधीनता और दासत्वके कैसे ही सुन्दर नाम क्यों न रख लिये

जाएँ; परन्तु वह दासता ही है और खुदाकी इच्छा तथा उसके कानूनके विरुद्ध है। इसीलिये वर्तमान गवर्नमेण्टको मैं उचित सरकार स्वीकार नहीं करता और इसे अपना धर्म और प्रथम कर्त्तव्य समझता हूँ कि ग़ैरकी पराधीनतासे देश व जाति को मुक्ति दिलाऊँ। सुधार और परिवर्तित अधिकार मेरे विश्वासमें कोई सन्देह पैदा नहीं कर सकते। आज़ादी मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी मनुष्यको अधिकार नहीं कि अधिकारोंको पूर्ण करनेमें सीमा बनाये या विभाजन करे। यह कहना कि किसी जातिको उसकी आजादी अनुपातसे मिलनी चाहिये, एक ऐसी कहावत है कि जैसे कहा जाये कि मालिकको उसकी जायदाद और ऋणीको उसका ऋण टुकड़े-टुकड़े करके देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यदि कर्ज़दारसे एक ही बार ऋण वापस न मिल सके तो ऋणी को यही करना पड़ेगा कि किस्तों द्वारा वसूल करे। परन्तु यह एक लाचारी का समझौता होगा। इससे 'एक ही बार' की वसूलीका अधिकार व्यर्थ नहीं हो सकता।

सुधार 'रिफार्म' (Reform) के सम्बन्धमें रूसके महान् दार्शनिक लियो टाल्सटायके शब्दोंमें कहूँगा—"यदि कैदियोंको अपने वोटसे अपना जेलर चुन लेनेका अधिकार मिल जाये, तो इससे वे आज़ाद नहीं हो जायेंगे।"

मेरे लिये इसके अच्छे-बुरे कामोंका प्रश्न एक साधारण प्रश्न है। पहला प्रश्न स्वयं उसके अस्तित्वका है। मैं ऐसे निरकुंश अधिकारको अयोग्य समझता हूँ। यदि वे समस्त अन्याय प्रत्यक्षमें न आते, जो इस परिश्रमसे प्रकट हो चुके हैं, तो भी मेरे विश्वासमें वह जुल्म ही था; क्योंकि उसका वैभव ही सबसे बड़ा अन्याय है और उसकी बुराईके लिये इतना ही काफी है कि वह गुनहगारके समान हाज़िर हो। यदि वह अच्छे कार्य करे तो उसकी अच्छाई स्वीकार कर ली जायगी; परन्तु उसका अस्तित्व असहनीय और अन्याय ही रहेगा। यदि

एक व्यक्ति हमारी जायदाद पर मालिक होकर बहुत अच्छे और नेक काम करे, तो उसके कामोंकी अच्छाईके कारणसे उसका कब्जा उचित नहीं हो सकता।

बुराईमें कम व थोड़ेके रूपमें तकसीमकी जा सकती है; परन्तु गर्व और अपनापनके विश्वाससे उसकी एक ही किस्म है—अर्थात् उस विश्वाससे तकसीम हो सकती है कि वह कितनी और कैसी है? इस विश्वाससे नहीं हो सकती कि वह अच्छी है या बुरी है? हम यह कह सकते हैं—"अधिक बुरी चोरी" और "कम बुरी चोरी"; किन्तु यह नहीं कह सकते—"अच्छी चोरी या बुरी चोरी"? मैं ब्यूरोक्रेसीका अच्छा और उचित होनेका किसी हालमें भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक अनुचित शैली है। हाँ, उसकी बुराई थोड़ी और अधिक हो सकती है; परन्तु हिन्दुस्तानकी ब्यूरोक्रेसी तो इतना भी न कर सकी कि अपनी ही बुराई पर स्थिर रहती। जब उसकी आम बुराई पर उसकी अनगिनत की हुई बुराइयोंकी बराबर उन्नति हो रही है, तो फिर क्योंकर सोचा जा सकता है कि उसके जुल्मकी घोषणा न की जाये?

**इस्लाम और ब्यूरोक्रेसी—**

मैं मुसलमान हूँ और सच्चे मुसलमान होनेके नाते मेरा धार्मिक कर्त्तव्य भी यही है। इस्लाम किसी ऐसे अधिकारको उचित स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्तिगत हो या कुछ तनख्वाहदार हाकिमोंकी ब्यूरोक्रेसी पर कायम हो। इस्लाम आज़ादी और प्रजातन्त्रका पूर्ण शासन है, जो मानवी अधिकारोंको उसकी छीनी हुई आज़ादी वापिस दिलानेके लिये आया था। यह आज़ादी बादशाहों, आश्चर्यजनक हुकूमतों, स्वार्थी धर्म-नेताओं और समाजकी शक्तिवान् संस्थाओंने छीन रखी थी। वे समझते थे कि अधिकार शक्ति और कब्ज़ा है; परन्तु इस्लामने प्रकट होते ही सूचित किया कि अधिकार शक्ति नहीं है वरन् स्वयं अधिकार है, और खुदाके अतिरिक्त किसी इन्सानको जबरन खुदाके भक्तोंको अपने अधीन रखने और गुलाम बनानेका अधिकार नहीं। उसने भेदभावके समस्त साधन और

खान्दानी ऊँच-नीच, छोटे-बड़े भाव मिटा दिये और दुनियांको बतला दिया कि सब मनुष्य पदमें बराबर हैं और सबके अधिकार एक से हैं। खान्दान, जाति, रंग, भेद आदि में कोई अन्तर नहीं है वरन् भेद केवल कर्म में है। और सबसे बड़ा वही है जिसके सब काम अच्छे हों।

इस्लाम एक प्रजातन्त्रीय 'वाद' है। मनुष्यताके अधिकारोंकी वह घोषणा है जो फ्रान्सकी क्रान्ति से ग्यारह सौ वर्ष पहले हुई। यह केवल ऐलान ही न था बल्कि एक कर्मक्षेत्रका आदर्श था जो इतिहासकारोंके शब्दोंमें—"अपना कोई उदाहरण नहीं रखता।" पैगम्बरे-इस्लाम और उनकी राहपर चलनेवालोंका राज्य एक पूर्ण प्रजातन्त्र था और केवल जातिकी सलाहसे सभीका चुनाव होकर सबकी रायसे उसकी बनावट होती थी। यही कारण है कि इस्लामकी महानता में जैसे अच्छे और भले शब्द इस उद्देश्यके लिये तैयार हैं; शायद ही दुनियाँकी किसी भाषा में पाये जायें। इस्लाम ने 'बादशाह' के अधिकार और व्यक्तित्व से इन्कार किया है और केवल एक रईसे-जम्हूरियत (President of Republic)का पद दिया गया है, परन्तु इसके लिये भी खलीफ़ाका नाम रक्खा गया—जिसका मतलब 'बनाया हुआ' है। इससे अधिक कोई भी अधिकार वह नहीं रखता। इसी तरह कुरान-शरीफमें राज्य-प्रबन्धके लिये 'शोरी' का शब्द काममें आया है, इसका अर्थ है—"सच्ची सलाह"। इसीलिये एक पूरी सूरत इसी नाम से कुरान में मौजूद है। तात्पर्य यह है कि जो काम किया जाये वह सब की सलाह और विचारसे किया जाय, एक व्यक्तिकी सलाह से न हो। इससे अधिक उचित नाम प्रजातन्त्रीय शासनके लिये और क्या हो सकता है?

### जातीय और मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी जुल्म है—

जब इस्लाम मुसलमानोंका यह कर्त्तव्य बता देता है कि वे ऐसे मुसलमानी राज्य को भी न्याय रूप से स्वीकार न करें जो जाति की सलाह और चुनाव से न

हो, तो फिर प्रत्यक्ष है कि मुसलमानों के लिये आश्चर्यजनक ब्यूरोक्रेसी क्या आज्ञा रखती है ? यदि आज हिन्दुस्तान में एक सच्चा इस्लामी राज्य बन जाये; परन्तु उसका शासन भी व्यक्तिगत हो, या कुछ हाकिमोंकी ब्यूरोक्रेसी हो, तो मुसलमान होते हुए भी उस समय मेरा कर्त्तव्य यही होगा कि उसको दुष्ट कहूँ और परिवर्तन करनेका प्रयत्न करूँ। इस्लामके धर्माचार्योंने सदैव अनैतिक मुसलमान बादशाहोंके विरुद्ध ऐसा ही एलान किया है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस्लामी शासन बादको दृढ़ न रह सका। पूर्वी रूमी-राज्य और ईरानी शहंशाहीके कुछ वैभवीशाली मनुष्योंने मुसलमान शासकोंको उनके मार्गसे भुला दिया। इस्लामी खलीफाके स्थान, जो फटे पुराने कपड़ोंमें एक आम आदमीके समान होता था, उन्हें कैसर व कसरा बननेकी धुन छा गई। तिस पर भी इस्लामके इतिहासका कोई समय भी ऐसे मुसलमानोंसे खाली नहीं रहा है, जिन्होंने खुल्लम-खुल्ला उनके विरुद्ध आलोचना तथा आक्षेप न किया हो और उन समस्त कष्टोंको प्रसन्नतासे न झेला हो, जो उस मार्गमें पेश आए।

## मुसलमानों का व्यक्तित्व—

एक मुसलमानसे यह कहना कि वह अपने अधिकार का एलान न करे और जुल्मको जुल्म न कहे, बिलकुल ऐसी ही बात है, जैसे यह कहा जाय कि वह इस्लामी जीवनसे अलग हो जाये। यदि तुम किसी मनुष्यसे इस माँगका अधिकार नहीं रखते कि वह अपना धर्म छोड़ दे, तो सचमुच एक मुसलमानसे भी यह माँग नहीं कर सकते कि वह जुल्मको जुल्म न कहे; क्योंकि दोनों बातोंका अर्थ एक ही है।

यह तो इस्लामी जीवनका वह मन्त्र है, जिसके अलग कर देनेके बाद उसकी सबसे बड़ी कमी और न्यूनता मालूम हो जाती है। इस्लामने मुसलमानोंकी जातीय बुनियाद ही इस बात पर रखी है कि वह दुनियाँमें सच्चाई और वास्त-

विकताके गवाह रहें। फिर एक गवाहका कर्त्तव्य होता है कि वह जो कुछ जानता है उसें ठीक-ठीक ब्यान करे। ठीक उसी तरह हर मुसलमानका भी कर्त्तव्य है कि जिस सच्चाई का उसे बोध व विश्वास दिया गया है, सदा उसीकी परीक्षा करता रहे और कर्त्तव्यकी राहमें किसी भी परीक्षा और विपत्तिसे न डरे। जब कभी ऐसा हो कि जुल्म और जबरदस्तीका बोलबाला हो जाये तथा अत्याचारोंके द्वारा अधिकारोंकी माँग को रोका जाय, तो फिर ये कर्त्तव्य और भी अधिक आवश्यक और स्पष्ट हो जाते हैं; क्योंकि यदि शक्ति के डरसे लोगोंका चुप हो जाना सहन कर लिया जाये और 'दो और दो' को इसलिये 'चार' न कहा जाय कि ऐसा कहनेसे शारीरिक कष्ट मिलनेका डर है, तो फिर सच्चाई और ईमानदारी सदैवके लिये खतरेमें पड़ जायगी और अधिकारके उभरने और दृढ़ रहनेका मार्ग अवशेष न रहेगा। ईमानदारीका कानून न तो शक्तिके सर्टीफिकेटका मोहताज है तथा न इसलिये बदला जा सकता है कि हमारे शरीर पर क्या बीतती है? यह तो ईमानदारी है और उस समय भी सच्चाई है जब उसके एलानसे हमें फूलोंकी शैय्या मिले तथा उस समय भी सच्चाई है जब कि उसके कारण हमें अग्नि की लपटों में झोंक दिया जाये। केवल इसलिये कि हमें कैद कर दिया जायेगा, आगमें ठण्ढक और बर्फमें गर्मी नहीं पैदा की जा सकती।

**शहादत अली अलनास—**

यही कारण है कि इस्लामकी शरियत व कुरान में मुसलमानोंको बतलाया गया है कि वह खुदाकी जमीनमें 'साक्षी' हैं—अर्थात् सच्चाईकी गवाही देनेवाले हैं। बहैसियत एक जातिके यही उनका जातिगत मन्त्र है और यही उनका राष्ट्रीय आदर्श है, जो उनको सब पिछली और भविष्य की जातियोंमें श्रेष्ठ करता है।

**इसी तरह पैगम्बरे-इस्लाम ने कहा है—**

'तुम खुदाकी जमीन पर खुदाकी ओर से सच्चाई के गवाह हो।' बस

एक मुसलमान जब तक मुसलमान है उस गवाहीके एलानसे अलग नहीं रह सकता। यदि वह अलग रहे तो यह कुरान की शिक्षा में 'कुतमान शहादत' है—अर्थात् गवाहीको छिपाना। कुरानने ऐसा करनेवालोंको खुदा की डाँटका सज़ा सहनेवाला बतलाया है और बार-बार कहा है कि इसी 'कुतमान शहादत' के कारण दुनियाँकी बड़ीसे बड़ी जातियाँ नष्ट-भ्रष्ट हो गईं।

## उपकार की आज्ञा देना और बुराईसे रोकना—

इसलिये इस्लामके आवश्यक कर्त्तव्योंमें से एक बड़ा कर्त्तव्य उपकारका आदेश देना और बुराईसे रोकना है। कुरान ने विश्वसनीय भक्तिके जिन कार्यों पर सबसे अधिक ज़ोर दिया है, उनमें से एक काम यह भी है। कुरानने बतलाया है कि मुसलमानोंकी सारी कौमी बुराईकी बुनियाद इसी काम पर है। वह सबसे बड़ी और अच्छी जाति इसीलिये है कि भलाईकी आज्ञा देती हैं और बुराईको रोकती है। यदि वे ऐसा न करे तो अपनी सारी बड़ाई गँवा दे।

कुरान सच्चे मुसलमानोंकी पहचान यह बतलाता है कि वे अधिकारके एलानमें किसीसे नहीं डरते। न दुनियाका लालच ही उन पर किसी तरह आ सकता है, न कोई डर। वे गर्व भी रखते हैं तो केवल खुदापर और डरते भी हैं तो केवल खुदासे। पैगम्बरे-इस्लामके अनगिनत उपदेशों में से, जो इस विषय में हैं, एक उपदेश यह है—"भलाईका एलान करो, बुराईको रोको, यदि न करोगे तो ऐसा होगा कि अत्यन्त बुरे तुमसे ऊँचे हो जायँगे और खुदाका क्रोध तुमको घेर लेगा। तुम प्रार्थना करोगे कि ये ऊँचे मनुष्य टल जायँ, परन्तु वह स्वीकार न होगी।"

परन्तु यह कर्त्तव्य क्योंकर पूरा किया जाए? इसके लिये इस्लाम ने तीन मुख्य परिस्थितियोंमें इसके तीन मुख्य रास्ते बतलाये हैं। इसीलिये पैगम्बरे-इसलामने कहा है—"तुममेंसे जो व्यक्ति बुराईकी बात देखे तो चाहिये अपने हाथसे उसे ठीक

करदे, यदि इसकी शक्ति न हो तो वाणीसे एलान करे। यदि उसकी भी शक्ति न पाये तो अपने दिलमें उसे बुरा समझे; परन्तु यह अन्तिम रास्ता सच्चाईकी सबसे बड़ी कमजोरीका रास्ता है।" हिन्दुस्तानमें हमें यह साहस नहीं है कि अपने हाथसे गवर्नमेण्टकी बुराइयों दूर कर दें, इसीलिये हमने दूसरा रास्ता काम में लाया जिसकी सम्भावना प्राप्त है अर्थात् वाणीसे इसका एलान करते हैं।

कुरानने मुसलमानी जीवनकी बुनियाद चार बातों पर रखी है और बतलाया है कि हर प्रकारकी मानवी उन्नति और सफलता उन्हींके द्वारा प्राप्त हो सकती है। ईमान (सच्चाई), कर्त्तव्यनिष्ठा, अधिकारकी रक्षा और शान्ति। सदैव अधिकार और सच्चाईकी एक दूसरेको प्रेरणा करना, शान्ति तथा धीरज का अर्थ है कि हर प्रकारकी मुसीबतों और बाधाओंको झेल लेनेकी प्रेरणा करना। क्योंकि अधिकारके एलानका आवश्यक कारण यह है कि कठिनाइयोंका सामना हो, इसलिये अधिकारके साथ धीरजकी आवश्यकता है जिससे कि कठिनाइयाँ और बाधाएँ झेलनेके लिये प्रति व्यक्ति तैयार हो जाये।

**इस्लामी विश्वास––**

इस्लामकी जड़ 'अकीदा-ए-तौहीद' ( प्रभु के विश्वास ) पर है और तौहीदकी जिद शिर्क है जिससे बेजारी और घृणा हर मुसलमान की आदत में प्रवेश कर गई है। तौहीदसे तात्पर्य यह है कि खुदाको उसके अस्तित्त्व सामर्थ्य में एक मानना। शिर्कका अर्थ यह है कि उसके वैभव और बुराइयोंमें किसी दूसरी शक्तिको शामिल करना। केवल सच्चाईके वर्णनमें निडरता और विशेषताका अर्थ एक मुसलमानके जीवनमें तौहीदका सिखलाना है कि डरने और झुकने का फल केवल खुदाकी ही उदार शक्ति है। उसके सिवा कोई नहीं जिससे डरना चाहिये या जिसके आगे झुकना चाहिये। वे विश्वास करते हैं कि खुदाके अतिरिक्त किसी दूसरी शक्तिसे डरना, खुदाके साथ उसको शामिल करना है। अपने दिलके भय व आज्ञाका हक़दार बनाना है। यह बात तौहीदके साथ इकट्ठी नहीं हो सकती।

इसीलिये इस्लाम कई बार निडरता और बलिदानकी दावत है। कुरान सदा कहता है—"मुसलमान वह है जो खुदाके अतिरिक्त किसीसे न डरे तथा हर परिस्थिति में सच्ची बात कहे।" पैगम्बरे-इस्लामने कहा—"सबसे अच्छी मृत्यु उस व्यक्तिकी है जो किसी दुष्ट-राज्यके समक्ष अधिकारकी माँग करे और उसके आन्दोलनमें मारा जाये।" वह जब किसी व्यक्तिसे इस्लामको स्वीकृत करवाते थे तो एक प्रतिज्ञा यह होती थी—"मैं सदैव अधिकार का एलान करूँगा। चाहे मैं कहीं भी होऊँ, और किसी भी हालतमें होऊँ।"

इसीका फल है कि दुनियाँकी किसी जातिके इतिहासमें अधिकार और अधिकारके लिये बलिदानके ऐसे उदाहरण नहीं मिल सकते, जिनसे इस्लामके इतिहासका हर पाठ भरा है। इस्लामके आचार्यों, पेशवाओं, पूर्वजों तथा लेखकोंके लेख त्याग और बलिदानसे परिपूर्ण हैं। जिन मुसलमानोंके धार्मिक कर्त्तव्य में यह बात शामिल है कि मृत्यु स्वीकार कर लें परन्तु अधिकारोंसे वंचित न रहें। उनके लिये दफा १२४ ए का मुकद्दमा सचमुच कोई बड़ी भयानक चीज़ नहीं हो सकती, जिसकी अधिकसे अधिक सज़ा सात वर्षकी कैद है।

इस्लाम में कोई दफ़ा १२४ ए नहीं। इस्लामके इतिहासमें दो दौर हैं। पहला दौर पैगम्बरे-इस्लाम और उनके चार खलीफ़ाओंका है। यह दौर सच्चा और पूर्ण रूप से इस्लामी शासनका था। अर्थात् इस्लामी प्रजातन्त्र अपने असली वेषमें कायम था। ईरानकी शहंशाही और रूमी बादशाहत (Aristocracy) का कोई असर अभी इस्लामी भाईचारे (Democracy) पर नहीं पड़ा था। इस्लामी प्रजातन्त्रका खलीफा स्वयं एक साधारण व्यक्ति होता था, जो साधारण छोटे-से झोपड़ेमें रहता था तथा जिसका जीवन सादा और सरल होता था। वह चार-चार थिगड़े लगे हुए कपड़े पहनता थी। इस्लामकी राजधानीमें अमरीकन रिपब्लिकका-सा कोई नुमायशी बँगला "ह्वाइट हाऊस" न था।

दूसरा दौर व्यक्तिगत राज्य और शहंशाही का है जो खान्दान बनी उम्मिया से शुरू हुआ। इस दौरमें इस्लामी जनतन्त्र खतम हो गया। जातिके चुनाव आदि के स्थान में शक्ति और आतंकने प्रभाव जमाया। शाही खान्दानसे जागीरदारी, तथा दरबारी शासन होने लगा। खलीफाकी जगह शहंशाहका ताज़ व तख्त छा गया। परन्तु मुसलमानों की आजादी पहिली दौरकी तरह बढ़ती ही रही। वे शासनकी आलोचना करते ही रहे। परन्तु ताजीरात हिन्द (पिनल कोड) की तरह इस्लामी कानून में कोई दफा १२४ ए नहीं थी। पहले दौरके मुसलमानोंकी खरी आलोचनाएँ इतनी कड़ी होती थीं कि एक बुढ़िया खलीफाके दरबारमें कहती थी—"अगर इंसाफ न करोगे तो ख़ाल खींच ली जायेगी।" लेकिन खलीफा या उसकी सरकार बगावतका मुकद्दमा चलानेके बदले उस आलोचकाको धन्य-वाद देती थी। जब खलीफा जुम्मा की नमाज़ खुतबा (संदेश-भाषण) देता और पूछता कि "सवाल करो!" तो साधारण व्यक्ति पूछता—"यह चोगा तुम्हारे हिस्सेके कपड़ेसे ज्यादा है, ख्यानत (भ्रष्टाचार) है।" तब शासक (खलीफा) अपने लड़के की गवाही दिलाता कि मैंने अपने हिस्सेका कपड़ा बापको दे दिया था, उसीसे चोगा बना है। कौम की जागृति उस खलीफाके समय होती है जिसने मिश्र तथा ईरानका सिंहासन बदलवा दिया था। उस समय भी इस्लामी हुकूमतमें दफ़ा १२४ए न थी।

दूसरे दौर की शहंशाही भी अपने मनमाने कारनामों और जेल की यातनाओं से साफ-साफ़ कहनेवालोंको न रोक सकी। पैगम्बरे-इस्लामके सच्चे निडर भक्त और साथी सदा चिल्लाते रहे कि जनता की सलाहसे और आम चुनावसे राज्य-का प्रबन्ध होना चाहिये।

इमाम मुहम्मद गज्जालीने (जिनको यूरोप आदिके लोग महान् दार्शनिक मानते हैं) उन सरकारों के अत्याचार मिटानेके लिये आलोचना करनेवालोंका उल्लेख किया है, जो कि खलीफा हिसाम बिन अब्दुलमलकके समय तक मौजूद

थे। ऐसे आलोचक २३ से ज्यादा थे। हिसाम बिन अब्दुलमलक खलीफाने ताऊस ईमानीको बुलाया। उन्होंने 'सरदार' शब्द संबोधन करनेसे इन्कार किया, तो खलीफ़ाने कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया—"तेरी सरकारसे सारी जाति खुश नहीं है"। इसपर खलीफाने कहा—"शिक्षा दीजिये!" उन्होंने कहा—"खुदासे डर! क्योंकि तेरे जुल्मसे ज़मीन भर गई है।"

मलिक बिन दीनार बसरा की जामा मस्जिद में कहते थे—"इन जालिम बादशाहों को खुदाने अपने भक्तोंका चरवाहा बनाया था कि इनकी रक्षा करे। पर इन्होंने उन भक्त बकरियोंका गोश्त खा लिया, बालोंका कपड़ा बना लिया और सिर्फ हड्डियाँ छोड़ दीं।"

सुलेमान बिन अब्दुलमलक जैसे भयंकर खलीफासे अबु हाजिम कहते हैं—"तेरे बाप-दादोंने तलवारके जोरसे लोगोंको मारा, पीटा और बिना लोगोंकी सलाह और चुनावके तू मालिक बन बैठा।" इसपर सुलेमानने कहा कि "शिक्षा दो!" तो उन्होंने कहा—"जिनका हक है, उन्हें लौटा दे।" फिर ईश्वरसे प्रार्थना की कि—"अगर सुलेमान इंसाफ करे और सबके अधिकार दे, तो इसे क्षमा कर, वर्ना तू है और इसकी गर्दन।" सईद बिन मसीब बड़े आलोचक थे। वे खुल्लम-खुल्ला कहते थे कि—"कुत्तोंका पेट भरते हो, लेकिन आदमी को तुमसे आराम नहीं।"

मंसूरी अब्बासी के डर से लोग घरों में काँपा करते थे। शफियान सूरी से उसने कहा—"कुछ जरूरत हो तो कहो।" उन्होंने जवाब दिया—"खुदासे डर? जमीन अत्याचारसे भर गई है।" मशहूर खलीफा हारून-रशीद जब गद्दी पर बैठा, (जिसने फ्रान्स को एक विचित्र घड़ी उपहार में भेजी थी और रूम के कैसरको "ऐ कुत्तेके बच्चे!" कहकर चिट्ठी लिखी थी) तब उसने शफियान को भी लिखा कि मैंने काफी धन-दौलत लोगों में बाँट दिया है तुम भी आकर मिलो। सफियान कूफा की मसजिद में काफी लोगों के सामने बैठे थे। उसने

चिट्ठी तक नहीं ली और कहा कि "जिसे जालिम हाथों ने छुआ है, उसे मैं कैसे लूँ?" दूसरोंने पढ़कर सुनाया तो जवाब लिखवाया कि--"तूने जनताके खजानेको अपने ही खर्च तथा ऐशो-आराममें बरबाद करके मुझे और मेरे साथियोंको भी गवाह बनाया है । तू इंसाफ व अधिकार देने का विरोधी है । तेरी नौकरशाही सरकार जनताको खुश नहीं रख सकती और तू चैन और मज़ेकी जिन्दगी गुजार रहा है ।" इस पत्रको खलीफा हांरून-रशीद सदा पास रखता था । मंसूर अब्बासी काबेकी परिक्रमा कररहा था कि कोई आदमी ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा था-"ऐसे कठोर अन्यायी शासकसे बचा जो किसीके हकका ख्याल नहीं करता ।" मंसूर ने उस आदमी को बुला कर पूछा-"वह कौन है ?" उसने कहा "तू ।" हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा अत्याचारी था । हतीतने गिरफ्तार होनेके बाद हज्जाज-से कहा--"तू जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है ।"

"खलीफाके लिये क्या कहते हो ?"

"उसका जुल्म सबसे ज्यादा है, तेरे जुल्म से भी कई गुना अधिक !"

मामू रशीद के राज्यमें कई लोग पुकार-पुकार कर कहते थे--"ऐ जालिम ! अगर मैं तुझे जालिम न कहूँ, तो मैं जालिम बनूंगा ।"

## तातार और यूरोप के झगड़े--

यह तो इस्लामी इतिहासके शुरूके पृष्ठ हैं, किन्तु इसके बाद भी हर एक ताकत-का यही हाल रहा । मुसलमानोंके लिये वर्तमान राज्यका बड़ा भारी आतंक या झगड़ा कोई प्रथम घटना नहीं है । वह एक ऐसे ही तूफानमें फँसकर निकल चुके हैं । जिस तरह आज यूरोप और खासकर इंग्लिस्तानके कारण सारे एशिया और इस्लामी राज्यों की आजादीका अंत हो गया है, । ठीक इसी तरह १५वीं सदी ईस्वी में भी तातारियोंके पशुवत् राज्य-शासनसे यूरोपके झगड़ेका अंतिम परिणाम उस्मानी खिलाफतकी बरबादी और एशिया-कोचकका कत्लेआम है । तातारी झगड़ेके बादमें अब्बासियों तथा खलीफाओंका अंत और बगदादका कत्लेआम था । तातारी

मनुष्य नहीं, जानवर थे। फिर भी हलाकु खां, मुनकर खां, आबाकाआन आदि कई जालिमों के लिये कुछ खरे मुसलमान आलोचक उनको मुंहतोड़ जवाब देनेवाले मौजूद थे। शेखसादी शीराजीने हलाकू खां के सामने ही उसको अत्याचारी कहा। शमसुद्दीन न्यारीने मुनकर खांके दरबारमें उसका नाश होनेकी कामना की। शेखुल इस्लाम अहमद इब्न तीमियाने आबाकाआनके दरबारमें उसे धिक्कार दिया। तातारियों के पास निर्दयता से मार डालने का कानून था, फिर भी चंगेजखाँनी कानून में दफा १२४ ए न थी।

**हज्जाम और रीडिंग—**

हम मुसलमानों का जब अपनी स्वजातीय सरकार के साथ (जिसका मानना धर्म-बंधन था) ऐसा व्यवहार रहा है, तो फिर एक नई सरकार के प्रतिनिधि हमसे क्या आशा रखते हैं? क्या हिन्दुस्तान की सरकार उससे भी बढ़कर हो सकती है? क्या इंग्लिस्तान की बादशाहत और लार्ड रीडिंग की सरकार अब्दुल मलक की खिलाफत और हज्जाम बिन युसुफ की गवर्नर-जनरलशिप से अधिक पवित्र और प्रिय हो सकती है? यदि हम धर्म-दृष्टि को छोड़ दें तो भी हम जो कुछ हज्जाम और खालिद कसूरी के लिये कह चुके हैं—"खुदा से डरो क्योंकि तुम्हारे पापों से जमीन भर चुकी है" यही आज भी इस सरकार से कहेंगे।

सच यह है कि हम अपनी कमजोरी और मजबूरीसे आज हिन्दुस्तानमें जो कुछ कर रहे हैं, वह यथार्थमें हमारी राष्ट्रीय सरकारके अत्याचार और जबरदस्ती-के लिये हमें बतलाया गया था, न कि एक परदेशी तथा दूषित सरकारके लिये। अगर ब्रिटिश सरकारकी नौकरशाही इसको भलीभांति समझती, तो वह इस तरह मुस्लिमोंपर अनाचार न बढ़ाती। अगर वह चाहे भी, तो मुसलमान ब्रिटेनके लिये इस्लाम नहीं छोड़ सकते। इस्लामने हुकूमत करनेवालोंके लिये उनके अत्याचारके खिलाफ दो तरहसे सामना करनेका आदेश दिया है, क्योंकि दो प्रकारके रास्ते भी हैं—एक जबरदस्तीका अधिकार और दूसरा मुस्लिम शासकोंका पहिलेके लिये है कि तलवारसे मुकाबला किया जाय और दूसरेके लिये यह है कि सच्ची

आलोचना हर मुसलमान करता रहे । पहिले ढंगमें शत्रुओं द्वारा मरना पड़ेगा और दूसरे ढंगमें आपत्तियाँ उठानी पड़ेंगी अर्थात् हर तरह अपना बलिदान देनाही पड़ेगा, तभी तो विजय होगी । आज १३०० सौ सालसे मुसलमान तरह-तरहके अत्याचार सहकर भी दोनों ढंगसे तैयार हैं । हिन्दुस्तानमें आज मुसलमानोंने दूसरा ढंग अपनाया है । हालांकि मुकाबला उनका पहिले ढंग जैसा है । उनके लिये खुली जंगका मैदान आ गया था, लेकिन उन्होंने नागरिक अधिकारका प्रयत्न किया । वे सत्याग्रह करके अपना अधिकार चाहेंगे और यह ठीक भी है । वे हथियार न उठायेंगे । परन्तु सरकारको अब समझना चाहिये कि वे अत्याचारके मुकाबलेमें अपनी धार्मिक सरकारसे जो कुछ कराते थे, उससे भी कम है ।

**मौजूदा इंकलाब—**

मैं सच कहता हूँ कि मुझे राई बराबर भी शिकायत नहीं है कि सजा दिलानेके लिये मुझपर मुकद्दमा चलाया गया है । यह तो होना ही था किन्तु हालात की यह क्रान्ति मेरे लिये आश्चर्यजनक है कि एक मुसलमानसे झूठी गवाहीकी आशा रक्खी जाए कि वह पापको पाप न कहे और अगर कहेगा तो दफा १२४ ए का मुकद्दमा चलाया जावेगा । मुसलमानोंकी निष्पक्षता प्रमाण उनकी इतिहासकी नीतिसे सिद्ध होता है । वह एक बलवान राज्य-शक्तिके सामने निर्भीक खड़ा है । उस पर यह जुर्म है कि उसने शासनके अत्याचार प्रकट किये । उसके बदले उसका एक-एक अंग काटा जा रहा है; किन्तु जब तक उसकी जीभ नहीं काटी जाती, वह यही कहता रहता है । (यह घटना खलीफा अब्दुल मलकके समय की है जिसका राज्य अफ्रीकासे सिन्ध तक फैला था ।) भला उसकी दफा १२४ ए के साथ तुलना करो !

मैं इस बातसे इन्कार नहीं करता कि इसके जुम्मेवार खुद मुसलमान हैं । उन्होंने इस्लामी जीवनके सारे गुण नष्ट कर दिये और बदलेमें दास-प्रवृत्ति ले ली है । उनकी वर्तमान हालतसे बढ़ कर दुनियामें इस्लामके लिये कोई बड़ा खतरा

नहीं । मुझे यह कहते भी दुःख होता है कि इसी हिन्दुस्तान में वह मुसलमान भी हैं जो ईमान की कमजोरी से खुल्लम-खुल्ला अत्याचारकी भक्ति या चापलूसी कर रहे हैं ।

## आजादी या मौत—

लेकिन मनुष्यों के कर्तव्यहीन होनेपर जातिकी महानताको बदनाम नहीं किया जा सकता । यह तो पवित्र पुस्तकों से प्रकट है । यह किसी भी दशा में योग्य नहीं है कि आजादी खोकर मुसलमान जिन्दा रहे । मुसलमानोंको मिट जाना चाहिये, परन्तु आजादी की रक्षा करनी चाहिये । तीसरा रास्ता इस्लाममें दूसरा कोई नहीं। मैंने आज से १२ साल पहिले 'अलहिलाल' अखबारके द्वारा मुसलमानोंको सावधान किया था कि आजादीके लिये उन्हें बलिदान देना होगा । उनका इस्लामी कर्तव्य है कि हिन्दुस्तानकी दूसरी संस्थाओंको छोड़कर वह इस आजादी के पवित्र मार्ग में कदम रक्खें । मेरी पुकार व्यर्थ न गई । मुसलमानोंने अब अंतिम फ़ैसला कर लिया है कि अपने हिन्दू, सिक्ख, ईसाई तथा पारसी भाइयोंके साथ मिलकर अपने मुल्कको गुलामीसे मुक्ति दिलावें ।

## खिलाफत और पंजाब—

मैं सरकारके अन्यायोंकी घटनाएँ नहीं गिनाना चाहता । मैं पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धमें दो सालसे पुकार-पुकारकर लोगोंको सावधान कर रहा हूँ । मैंने भलीभांति कहा है कि जो सरकार इस्लामी खिलाफतको नुक्सान पहुँचा रही हो और पंजाबके अत्याचारोंका प्रायश्चित न करती हो, ऐसी सरकारके लिये किसी हिन्दुस्तानीके दिलमें भक्ति नहीं हो सकती । वह सरकारके बदले एक ईर्ष्यालु-दलके रूप में है । १३ दिसम्बर १६१८ ई० को जब मैं रांचीमें नजरबन्द था, मैंने एक चिट्ठी लार्ड चेम्सफोर्डको लिखी थी । उसमें खुलासा किया था कि खिलाफत और अरबी राज्योंके सम्बन्धमें इस्लामी आदेश क्या है ? क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार इस्लामी राज्यों और खिलाफतपर अपनी प्रतिज्ञाके खिलाफ हो गई, तो

हिन्दुस्तानी मुसलमान भी इस्लामी आदेशसे विचलित हो जाएँगे। इस्लामका साथ या सरकार का साथ? परन्तु वे इस्लामका साथ ही देंगे।

गवर्नमेन्टने उन प्रतिज्ञाओंका ध्यान भुला कर २ नवम्बर १९१४ ई०का संदेश ठुकराया। इंगलैण्डके प्रधानमंत्री मि० लायड जार्जने ५ जनवरी १९१८ ई०को कहा था कि सज्जनोंको प्रतिज्ञा करके भुलाना पाप है, किन्तु शक्तिशाली राज्यको कोई भी पाप नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें मुसलमान विवश होकर इस्लामी कानूनकी प्रेरणासे अपने कर्तव्य पर सँभल गये और सरकारके सहयोगको ठुकरा दिया और सदा ठुकराते रहेंगे; जब तक कि उनमें इस्लामी जोश है। मुसलमानोंको विश्वास हो गया है कि अगर वे अधिकार व न्याय चाहते हैं, तो उसका मार्ग सिर्फ स्वराज्य है अर्थात् अपनी राष्ट्रीय सरकार हो, हिन्दुस्तानियोंकी हो, हिन्दुस्तान भरमें हो और हिन्दुस्तानके लिये हो।

## यह अत्याचार नहीं तो क्या न्याय है?

इस सम्बन्धमें मेरा विचार स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार अयोग्य ब्यूरोक्रेसी है। वह करोड़ों आदमियोंकी इच्छा और मांगके विरुद्ध है। वह हमेशा न्याय और सच्चाईको धता बताती है। वह जलियाँवाला बाग अमृतसरके राक्षसी कत्लेआमको कराती है। वह पशुतुल्य कार्य अर्थात् लोगोंको पेटके बल चलाती है। वह नाजियोंकी तरह लड़कोंको बेहोश इसलिये करती है कि वे यूनियन जैकको सलाम नहीं करते। वह ३० करोड़ प्रेरणाओंके खिलाफ़ इस्लामी खिलाफतको नुक्सान पहुँचा रही है। वह अपनी प्रतिज्ञाओंके तोड़नेमें कोई दोष नहीं समझती। वह स्मरना और थ्रीसको अन्यायके साथ यूनानियोंके सुपुर्द कर देती है और फिर सारी इस्लामी आबादीके कत्ल तथा नाशका तमाशा देखती है। वह झूठ, पापाचार और अंधेरशाही मचाये है। स्मरना में ८० प्रतिशत मुस्लिम आबादी है किन्तु प्रधानमंत्री ईसाई आबादीको अधिक बतला कर झुठलाता है। यूनानी राज्य सारी मुस्लिम आबादीको खून और आगमें ढकेल देता है और वह बेधड़क तुर्की अत्याचारोंकी मनगढ़न्त बातें

दोहराता है तथा इंग्लिस्तानकी अमेरिकन कमीशन द्वारा भेजी रिपोर्ट गुप्त रखी जाती है। फिर अत्याचारोंकी भरमार कर दी जाती है, जो एक सालसे हो रहा है और १८ नवम्बरसे इस देशमें हो रहा है। यदि ऐसी सरकारको अन्यायी और कूटनीतिज्ञ न कहूँ तो क्या कहूँ ? क्या इसलिये कि अत्याचारी शक्तिशाली है और इसके पास जेल है ? मैं इटलीके जोज़ेफ मैजिनीके शब्दोंमें कहूँगा—"कि तुम्हारे साथ दिखावटी शक्ति है—तुम्हारी बुराई नहीं कर सकते !"

मुझे आश्चर्य है कि मेरे खिलाफ सिर्फ ये दो अपूर्ण भाषण क्यों पेश किये गये हैं ! क्या उन हजारों पृष्ठोंसे जो मेरी लेखनीसे लिखे गये और उन दोनों भाषणोंसे जिनकी आवाज़ सारे हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमें गूँज चुकी है सरकारको यह ही प्रमाण मिला है ? क्या मेरे दो सालके वे सब लेख और भाषण व्यर्थ थे ? जब कि मैं १२ सालसे अपनी जाति व देशकी आजादी और अधिकार माँगनेकी आवाज़ उठा रहा हूँ। उस समय मेरी १८ सालकी उम्र थी, जब मैंने इस पथपर कदम रक्खा था और अपनी जवानी इसी उद्देश्यके अर्पणकर दी। मैं इसीलिये चार सालतक नजरबन्द भी रहा। नजरबन्दीके समयमें भी मेरा कार्यक्रम इसी उधेड़बुनमें व्यतीत हुआ। रांचीके वायुमण्डलसे इसका प्रमाण मिल सकता है। यह तो मेरे जीवन का सुनहरा प्रभात है।

**अन्तिम मुस्लिम आन्दोलन—**

मैं इस जुर्मसे क्योंकर इन्कारकर सकता हूँ, जबकि मैं हिन्दुस्तानके इस इस्लामी आन्दोलनका सूत्रधार हूँ। मैंने मुस्लिम हिन्दुस्तानकी राजनीतिमें क्रान्ति पैदा कर दी है। आज हर एक व्यक्ति मेरी इस हाँ में हाँ मिला रहा है। मैंने सन् १९१२ ई०में उर्दु अखबार "अलहिलाल" निकाला, जो इस आन्दोलनका खास पत्र था। इस पत्रने ३ सालके अन्दर देशमें एक विशेष हलचल मचा दी। चूँकि ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ राज्यने यह भ्रम फैला रक्खा था कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं

की आबादी अधिक है। इसीलिये अगर स्वराज्य हुआ तो हिन्दूराज्य हो जायेगा। मैंने अलहिलालके द्वारा इन घृणित विचारोंकी निन्दाकी और मुसलमानोंको मिल-जुल कर राजनीतिमें घुसानेका प्रयत्न किया, जिससे स्वराज्य और खिलाफत दोनों आन्दोलन आज चल रहे हैं। परन्तु अलहिलालकी जमानत जब्त करली गई। फिर "अलबिलाग"के नामसे पत्र निकाला, तो सन् १९१६ ई०में मुझे नज़र-बन्द कर दिया गया। "अलहिलाल" आजादी और मौतका सन्देश देनेवाला था। मुस्लिम शिक्षाका वाद-विवाद इतना प्रभावशाली हुआ कि जिस तरह आज-कल महात्मा गांधी धार्मिकताका प्रभाव पैदा कर रहे हैं, 'अलहिलाल' इसे १९१४ ई०में ही मुसलमानोंमें भर चुका था। इसीलिये हिन्दू-मुसलमान दोनों का मेल उस समय हुआ, जब कि दोनोंमें पश्चिमी सभ्यताके विरुद्ध धार्मिक भावना आ गई।

**खिलाफत-कान्फ्रेन्स कलकत्ता—**

चार सालके बाद पहली जनवरी १९२० ई०को मुझे छोड़ा गया। उस समय से अब तकका मेरा समय इसी प्रचार और आन्दोलनमें व्यतीत हुआ। २८ और २९ फरवरी १९२० ई०को इसी कलकत्ताके टाउनहालमें खिलाफत-कान्फ्रेन्स हुई थी और मुसलमानोंने निराश होकर अन्तिम फैसला किया था—"अगर ब्रिटिश गवर्नमेण्टने खिलाफतकी माँगोंको न माना, तो मुसलमान अपने धार्मिक आदेशसे विवश हो जायेंगे कि विदेशी सरकारके सारे सम्बन्ध ठुकरा दें।" मैं इस कान्फ्रेन्सका अध्यक्ष था। मैंने अध्यक्ष-पदसे वह सब बातें बतला दी थीं, जो केवल इन दो भाषणोंमें कुछ-कुछ दिखलाई गई हैं।

**सहयोग और फौजी नौकरी—**

मैंने इसी भाषण में वह इस्लामी आज्ञा भी स्पष्ट कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानोंका धार्मिक कर्त्तव्य है कि वर्तमान परिस्थितिमें गवर्नमेण्ट से असहयोग करें। अर्थात् को-आपरेशन और राज्य-भक्तिसे हाथ खींच लें। यह

'असहयोग' है, जो आगे चलकर 'नान-को-आपरेशन' के रूपमें प्रकट हुआ और महात्मा गाँधी ने उसकी संरक्षणता की।

इसी कान्फ्रेन्स (Conference) में फौजके विषयमें प्रस्ताव स्वीकार हुआ था, जिसमें इस्लामी कानूनके अनुसार मुसलमानोंके लिये फौजी नौकरी अनुचित बतलाई गई थी; क्योंकि गवर्नमेण्ट इस्लामी खिलाफत और इस्लामी देशोंके विरुद्ध कार्य कर रही है। कराचीका मुकद्दमा इसी प्रस्तावकी बुनियाद पर चलाया गया था। मैं बार-बार अपने लेखों और तकरीरोंमें ऐलानकर चुका हूँ कि ये प्रस्ताव सबसे पहले मैंने ही तैयार किया था और मेरी ही अध्यक्षतामें तीन बार स्वीकार हुआ। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बरेली और इसके बाद लाहौर में, बस इस 'जुर्म' की बुनियाद का भी पहला हकदार मैं हूँ।

मैंने इसको खुलासाके बाद किताबके रूपमें भी प्रकाशित किया, करने जो अंग्रेजी अनवादके साथ बार-बार छप चुका है और शायद मेरे 'जुर्मों' (दोषों) का एक तहरारा रिकार्ड है।

## मेरा जीवन धारा १२४ ए है—

मैंने पिछले दो सालके अन्दर अकेले और महात्मा गाँधीके साथ सम्पूर्ण हिन्दुस्तानकी कई बार यात्राकी। कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मैंने खिलाफत, स्वराज्य और नान-को-आपरेशन पर बार-बार तकरीरें न की हों और वे सब बातें न कहीं हो, जो मेरी इन दो तकरीरों में दिखलाई गई हैं।

दिसम्बर १९२०में Indian National Congress के साथ-साथ आल इण्डिया खिलाफत-कान्फ्रेन्सका भी जलसा हुआ। अप्रैल १९२१ में जमीयतुल-उलमाका बरेलीमें जलसा हुआ। पिछली अक्टूबरमें यू० पी० प्राविन्शियल खिलाफत-कान्फ्रेन्स आगरामें हुई। नवम्बरमें आल इण्डिया उलमा-कान्फ्रेन्सका लाहौरमें जलसा हुआ। इन समस्त कान्फ्रेन्सोंका भी मैं ही सभापति था। परन्तु इनमें भी सब भाषण देनेवालोंने जो कुछ कहा और अध्यक्षकी

तकरीरोंमें मैंने जो विचार प्रकट किये, उन सबमें वे सभी बातें मौजूद थीं जो उन दो तकरीरोंमें दिखलाई गई हैं। बल्कि मैं सौगन्ध खाता हूँ कि इनसे बहुत अधिक स्पष्ट और यथार्थ विचार प्रकट किये गये थे।

यदि मेरी उन दो तकरीरोंमें सचमुच दफा १२४ ए का जुर्म है तो मैं नहीं समझता कि केवल पहली और पन्द्रहवीं जुलाई ही को क्यों प्रमुखता दी गई? मैं तो विश्वासके साथ इसको प्रकट कर चुका हूँ कि भलीभाँति इसका विरोध मेरे लिये असम्भव हो गया है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने पिछले कई सालोंके अन्दर इसी १२४ ए के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं किया।

**सी० आई० डी० की रिपोर्ट—**

हमने आज़ादी और अधिकार की राह स्वीकारकी है। हमारे समक्ष ताकत अत्यधिक मनमानी करनेके लिये खड़ी है, परन्तु हमारा विश्वास केवल ईश्वरपर है और अपने आदर्श, त्याग, शक्ति और सहनशीलता आदिको लेकर महात्मा गाँधीके समान मेरा यह विश्वास नहीं है कि किसी दशामें भी हथियारका मुकाबला हथियारसे नहीं करना चाहिये। इस्लामने जिन दशाओंमें इसकी आज्ञा दी है, मैं उसपर ईश्वरीय देन, न्याय, नीतिके अनुसार विश्वास करता हूँ। परन्तु साथ ही हिन्दुस्तानकी आज़ादी और वर्तमान प्रयत्नों के लिये महात्मा गाँधीके समस्त सिद्धान्तोंसे भी सहमत हूँ और इन प्रमाणों की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान सत्याग्रहके प्रयत्नों द्वारा ही विजयी होगा और उसकी जीत नीति, सच्चाई और महान् गौरवकी एक स्मृतिका उदाहरण होगी।

यही कारण है कि मैंने सदैव लोगोंको शान्ति धारण करनेकी प्रेरणा दी और उसको सफलताकी सबसे पहली सीढ़ी बतलाया है। स्वयं ये तकरीरें भी इसी विषय पर थीं जैसा कि मेरे ब्यान से भी प्रमाणित होता है। मैं उन कुछ मुसलमानोंमें से हूँ जो आम तौर पर यह कह सकते हैं कि यदि उन्होंने अत्यन्त

मज़बूतीके साथ मुसलमानोंको शान्तिके घेरेमें पकड़ न रखा होता, तो न मालूम खिलाफतके आन्दोलनके कारणसे उनका जोश कैसी भयानक शक्ल बना लेता ? कमसे कम हिन्दुस्तानके हर हिस्से में "मालबार" का दृश्य तो अवश्य दृष्टिगोचर होता ।

**सत्याग्रह और सहयोग--**

अब जब कि मैं इन दो तकरीरों के सब हिस्सोंको स्वीकार कर चुका हूँ जिनसे प्रासीक्यूशन अपना मत निश्चित कर सकता है, तो कोई परवाह नहीं, यदि कुछ शब्द उनकी वास्तविकताके बारेमें भी कह दूँ ।

सी० आई० डी० के गवाहों ने ब्यान किया है कि मेरी तकरीरों के नोट भी लिये गये और शार्टहैण्डके द्वारा भी लिखे गए । जो कापी पेश की गई वह 'ए' और 'सी' शार्टहैण्डने दी है । परन्तु ये मेरी तकरीरोंका एक ऐसा बिगड़ा अशुद्ध रूप है कि यदि कुछ नामों और वाक्योंकी तरफ इशारा न होता तो मेरे लिये पहिचान करना भी बहुत कठिन था । वह अवश्य एक चीज़ है जो दूर तक फैलती हुई चली गई है, परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ है ? अर्थात बेजोड़, असम्बद्ध और अधिकतः बिना अर्थके शब्द हैं जो बिना किसी सम्बन्ध और सिलसिलेके अन्दाज़से बिखेर दिये गए हैं । ग्रामर (Grammar) और मुहावरा दोनोंसे उन्हें एक दम विरोध है । इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि रिपोर्टर तकरीर समझने और नोट्स लेनेमें परेशान था । इसलिये बीचके वाक्यके वाक्य छोड़ता जाता था । समस्त शब्द भी मनमाने गढ़े हुए लगते हैं । इससे भी बढ़कर यह कि वे सब शब्द जिनकी आवाज़में तनिक-सा भी जोर है, बिल्कुल बदले गये हैं और रिपोर्ट या तो बिना अर्थके हो गई है या व्यर्थ है ।

जैसा कि मैंने पहली जुलाईके भाषणमें प्रसिद्ध फ्रेन्च शायर और साहित्यिक विक्टर ह्यूगोकी प्रतिज्ञा व विचार बतलाये थे--"आज़ादीका बीज कभी बरबाद नहीं हो सकता जब तक जुल्मके पानीसे इसकी जड़ें खोखली न हों !"

शार्टहैंड रिपोटर ने 'जुल्म'के स्थानमें 'धरम' लिख दिया है जो बिल्कुल मनगढ़ंत है। हाँ, इनकी आवाज़में समानता है। इसी तरह एक स्थान पर है—

"उन्होंने जेल जानेकी मुसीबतको बर्बाद किया है।"

यद्यपि मुसीबतको नष्ट करनेका कोई अर्थ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने "बरदाश्त" किया है (सहन किया है) कहा होगा। अर्थात् "उन्होंने जेल-की कठिनाई झेल ली है।" क्योंकि दोनों शब्दोंकी आवाज़ मिलती-जुलती है और रिपोर्टर स्वयं अयोग्य है इसलिये 'बरदाश्त'के स्थान 'बर्बाद' लिख गया।

**उर्दू शार्टहैण्ड—**

वास्तवमें बात यह है कि उर्दू मुख्तसरनवीसीका नियम और मुख्तसरनवीस-की अयोग्यता दोनों ही इन बातोंके लिये जिम्मेदार हैं। उर्दू मुख्तसरनवीसीका नियम १९०५ में क्रिश्चियन कालेज लखनऊके दो प्रोफेसरोंने आविष्कार किया। जिनमेंसे एक का नाम मिर्जा मुहम्मद हादी बी० ए० है। मैं उस समय लखनऊ ही में था, इसलिये मुझे विशेष तौर पर उसे देखने और उनसे बातचीत करनेका व्यक्तिगत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे मालूम है कि उसके थोड़ेसे परिवर्तन और चिन्ह अंग्रेजी शैलीसे लिये हैं, परन्तु वह उर्दु शब्दा-लेखन को पूर्ण रूपसे बदलनेमें सफल न हो सके। स्वयं उन्हें भी इस रूपकी एक हद तक चिन्ता थी। परन्तु वे विचार करते थे कि मुख़तसरनवीसकी योग्यता और स्मरण-शक्तिसे उसकी पूर्ति हो जायेगी। मैं अपने निजी अनुभवके आधार पर कहता हूँ कि इस धारणाके अनुसार विचार ठीक न निकला।

उत्तर-प्रदेशकी गवर्नमेण्टने प्रारम्भिक ज्ञानके लिये दो पुलिस सब-इन्सपेक्टरों-को शिक्षा दिलाई थी। उन्होंने सबसे पहले परीक्षाके रूपमें जिन पब्लिक तकरीरोंकी नकल ली, मैं बतलाना चाहता हूँ कि वह मेरी और स्वर्गीय शम्सुल उल्मा मौलाना शुबलीनुमानी के भाषण थे। हम दोनोंने अन्जुमन-ए-इस्लामिया हरदोईके वार्षिक जलसेमें भाषण दिये थे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि

मौलाना शुबलीने एक मिनटमें ६० शब्दोंकी चालसे भाषण दिया था और मेरा भाषण एक मिनट में ८० से ९० की चालमें था। जैसा कि स्वयं मुख्तसर-नवीसोंने प्रकट किया कि ये कोई तेज़ चाल न थी। फिर भी जब उन्होंने अपना कार्य करके दिखलाया तो बिल्कुल फालतू और गलत था। उसके पश्चात् भी मुझे कई बार अपने भाषणोंके लिखने व देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, परन्तु सदैव ऐसा ही नतीजा निकला। अभी कुछ समयकी बात है कि खिलाफत-कान्फ्रेन्स आगरामें मेरा मौखिक अध्यक्षीय भाषण एक सुप्रसिद्ध मुख्तसरनवीस सैयद गुलाम हुसैनने लिखा था, जो काफी समय तक यू० पी० के महकमा सी० आई० डी०में काम करनेके बाद अलग हुआ है। परन्तु जब लाँगहैण्डमें दोबारा अनुवाद करके दिखलाया गया तो उसका कोई भी हिस्सा स्पष्ट और पूर्ण न था।

यह तो वास्तविक नियमोंका स्वरूप है। परन्तु जब इसपर मुख्तसरनवीस की अयोग्यताकी वृद्धि हो जाये, तो फिर कोई कसर ऐसी बाकी नहीं है जिससे मनुष्योंके भाषणकी छीछालेदर न की जा सके। कलकत्ता और बङ्गालकी संदेह-जनक दशाने इस स्वरूपको और अधिक कठिनाइयोंसे पूर्ण बना दिया है। यहाँके देशी और यूरोपियन अफसर स्वयं उर्दू भाषासे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखते। यहाँ तक कि साधारण तौरपर बोल भी नहीं सकते। उनके पास शायद ऐसे रिपोर्टर हैं, जो अंग्रेजी भाषाके संकेतों द्वारा किसी खास भाषाका कुछ दूसरा ही मतलब निकालते हैं। फल यह है कि पुलिस और अदालत इन रिपोटरों और मुख्तसरनवीसोंको ऐसे काममें लगा रही है, जिनकी विचित्र शैलीकी सदैव हम लोग चर्चा किया करते हैं।

मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि कलकत्ताकी पुलिस और अदालतों में एक व्यक्ति भी उर्दू भाषाके लिये योग्य व्यक्ति नहीं है। यदि यहाँ इस सच्चाई-

का कुछ भी अनुभव होता तो केवल यही बात एक आश्चर्यजनक ख्यालकी जाती कि मेरे भाषणोंके लिये पुलिस और सी० आई० डी० के गरीब रिपोर्टरोंकी गवाही ली जा रही है ! मैं स्वीकार करता हूँ कि कमसे कम यह तरीका मेरे लिये अवश्य कष्टप्रद हैं ।

## पूर्वी साहित्य और सरकारी नौकरोंका ज्ञान—

यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं अपने डिफेन्सकी गरज़से इन गवाहियों-को झूठा प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ । मैं तो पूरी-पूरी प्रतिज्ञा कर चुका कि इस बारेमें कुछ न करूँगा । असल उद्देश्य केवल दो बातोंकी स्वीकृति है ।

प्रथम जो सरकारी मुकद्दमे उर्दू भाषण व तहरीरके किस आधार पर चलाये जाते हैं ? उनके प्रमाण किस प्रकार व्यर्थ, अयोग्य तथा अपूर्ण हैं !

हिन्दुस्तानमें ब्यूरोक्रेसीकी असफलता और अयोग्यताका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह डेढ़ सौ वर्ष तक राज्य करके भी इस योग्य नहीं हुई कि हिन्दुस्तानी भाषाओंके विषयमें ठीक और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सके । मुझे स्मरण है कि जब अक्टूबर १९१६ में नज़रबन्द किया गया और बिहार गवर्नमेण्टके अधिकारी और पुलिस अफसर तलाशीके लिये आये, तो उन्होंने मेरी समस्त किताबोंको भी भयानक लिटरेचर समझ कर अत्यन्त सावधानीके साथ अधिकारमें कर लिया । ये सब किताबें अरबी और फारसी भाषामें थीं । इसके अलावा इतिहास, दर्शन आदिकी पुस्तकोंका संग्रह था, जो बाज़ारोंमें बिकता रहता है । केवल एक किताब "मतलबे आलया" नामी हस्तलिखित थी जो सबसे अधिक खतरनाक समझी गई । आनन्द यह है कि उन पुस्तकोंकी सूची डिप्टी-कमिश्नरकी दरख्वास्तसे मुझे ही तैयार करनी पड़ी । क्योंकि जाँच करनेवालोंके इस पूरे कमीशनमें एक व्यक्ति भी इस योग्य न था कि किताबोंके टाइटिल पेज़को देख कर नाम ही पढ़ सकता ।

मैंने नजरबन्दीके समयमें चार साल तक अपनी डाकके लिये स्वयं ही सैन्सरशिपके कर्तव्य पूरे किये हैं, क्योंकि जो सरकारी अफसर इस उद्देश्यसे नियुक्त किया गया था, वह इतना अयोग्य व्यक्ति था कि उर्दूके साधारण लिखे हुए पत्र भी नहीं पढ़ सकता था। वह बहुधा मेरी डाक केवल हस्ताक्षर करके भेज देता और शामको आकर मुझसे अनुवाद लिखवा लेता।

जब कि नजरबन्दीमें मैं अपनी डाककी स्वयं ही देख-भालकर रहा था, तो शिमला और देहलीके अधिकारी अपनी कार्रवाईपर अत्यन्त गर्व कर रहे थे और समझते थे कि उन्होंने अपने एक भयंकर दुश्मनको बिल्कुल लाचार और मजबूरकर दिया है।

इस समय भी मेरी साहित्यिक सामग्री कलकत्ता-पुलिसके अधिकारमें है। इनमें सबसे अधिक भयंकर पाप 'तारीख', 'तफ़सीरे कुरान' आदि दूसरे लिटरेचर हैं। मैं यहाँ अरबीके व्यक्तियोंकी दिलचस्पीके लिये उन किताबोंके कुछ नाम बता देता हूँ, जिन्हें अत्यन्त भयानक समझ कर पुलिसने शिमला भेजा था था और कुछ समय तक सर चार्लस क्ल्यूलैण्डकी आज्ञा से मेरी नजरबन्दीके अन्य मामलोंके समान इनकी भी खोज होती रही। १—फतहउलकदीर शरअ, २—तवक्कात अशाफिया सबकी, ३—अजालता अलखफा, ४—किताब अलाम मदुन्त इमामुल्क, ५—मतालब आलिया इमामराजी शरअ, ६—हिकमतुल असराक, ७—शरअ मुस्लिम अलसबूत, ८—सहरुलउलूम, ९—किताब अलमस्तसफी, १०—किताब अलमुगा।

वास्तविकता यह है, कि किसी दोषके लिये, जो लिटरेचरसे सम्बन्ध रखता हो, कोई न्यायशाली अदालत ऐसी काररवाई नहीं कर सकती जो साधारण तौर पर खुद सलाह न दे सके, अर्थात् स्वयं उस भाषासे परिचित न हो। परन्तु वर्तमान ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसीके होनेके अतिरिक्त अब देशकी सरकार भी है, इसलिये हर विभागमें आश्चर्यजनक गुलामीके प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं। अदालतें हिन्दुस्तान-

की हैं और हिन्दुस्तानियोंके लिये हैं परन्तु उनकी भाषा वही ब्रिटेनकी है। और बहुधा अधिकारी या जज आदि ऐसे हैं जो देशकी भाषाका एक शब्द तक भी नहीं जानते।

यही कारण है कि अब हम इस गवर्नमेण्टसे और कुछ नहीं चाहते, केवल यही चाहते हैं कि जिस प्रकार भी शीघ्र सम्भव हो, वह अपनेसे अच्छे और हकदार के लिये अपनी जगह खाली कर दे।

**वर्तमान दशा स्वाभाविक है--**

मैं जैसा कि शुरूमें लिख चुका हूँ, अन्तमें भी दुहराऊँगा। आज गवर्नमेण्ट जो कुछ हमारे साथ कर रही है, वह कोई साधारण बात नहीं है जिसके लिये विशेष तौर पर उसे दोष दिया जाये। राष्ट्रीय जागरणके समक्ष मैं विरोध और अत्याचार करनेवाले अधिकारी वर्ग की समस्याको समझता हूँ और हमें यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि हमारे लिये मानवी स्वभाव बदल दिया जाए।

ये स्वाभाविक कमज़ोरी मनुष्यों और संस्थाओं, दोनोंमें एक समान होती है। दुनियाँमें कितने मनुष्य हैं जो अपने अधिकारमें आई हुई चीज़ केवल इसलिये लौटा देंगे कि वह इसके हकदार नहीं। फिर एक पूरे महाद्वीपसे इसके लिये क्योंकर आशा की जा सकती है? शक्ति कभी किसी बातको केवल इसलिये नहीं मान लेती कि वह यथार्थमें सच्ची और ठीक है। वह तो स्वयं भी अपनेसे बड़ी शक्ति की अयोग्यसे-अयोग्य माँगके आगे भी झुक जाती है। केवल प्रेरणा और प्रतीक्षा ही एक ऐसी स्वाभाविक बात है जिसको बिल्कुल दुनियाके मामूली कामों की तरह बिना किसी आश्चर्य व शिकायतके सफल होना चाहिये। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि इतिहासने इस सम्बन्धमें जो अनाचार तथा अत्याचार दिखलाये हैं, उनके मुकाबलेमें वर्तमान अत्याचार अधिक नहीं है। सम्भव है इसके लिये देशका तपोधन अभी जागृत नहीं हुआ अथवा अत्याचारोंका

संगठन नहीं हुआ है। भविष्य इसे स्पष्ट कर देगा। जिस तरह इस परिस्थिति का प्रारम्भ एक-सा हुआ है, इसी तरह अन्त भी एक ही तरह होगा। यदि हमारी आजादी व अधिकार की माँगका जोश सच्चा और अटल है, तो यही सरकार जो आज हमें सज़ावार समझ रही है, कल विजय दिलाकर देशभक्तके सेवकोंका स्वागत करनेमें अगुआ होगी।

**बग़ावत—**

मुझपर जो दोष लगाया गया है, वह 'बग़ावत' के नामसे पुकारा जाता है। क्या बग़ावत आज़ादीके आन्दोलनको कहते हैं, जो अभी सफल नहीं हुई? किन्तु इसको शुद्ध देशभक्ति ही कहते हैं। कल तक आयरलैण्डके जन-नेता बागी थे, लेकिन आज डीवेलरा और ग्रेआन्थके लिये ब्रिटिश सरकार महामान्यका सम्मान देती है। इसी आयरलैण्डके पारनलने कहा था कि—"हमारा कार्य पहिले सदा बग़ावतका और अन्तमें पवित्र देशभक्तिकी लड़ाई मानी गई है।"

मैं मुसलमान हूँ इसलिये कुरान शरीफके आदेशके अनुसार जीव और शरीरका सम्बन्ध उसके स्वाभाविक नियमके अनुसार मानता हूँ। ठीक इसी भाँति सारे सिद्धान्त और प्रयत्नोंमें भी वही नियम छाया हुआ है और विजय भी उन्हीं प्रयत्नोंकी होती है जो सत्य और उज्जवल हों। जब कभी न्याय और अन्यायमें मुकाबला होगा तो अन्तिम जीत न्यायकी होगी। कुरान-शरीफमें कहा है—"ज़मीन पर वही चीज़ शेष रहेगी जो लाभदायक होगी, और हानिकारक चीज़ छाँट दी जायेगी।" यही कारण है कि कुरानकी शिक्षामें सच्चाईका नाम अधिकार है, जिसका अर्थ जम जाने या सिद्ध हो जानेका है। तथा झूठ और बुराईका नाम बनावटी है जिसका अर्थ मिट जानेका है। "बनावटी तो सिर्फ इसलिये है कि मिट जाय। आज जो हो रहा है उसका निर्णय कल होगा। न्याय शेष रहेगा, तथा अन्याय मिटा दिया जायेगा।" हम

भविष्यके निर्णय पर अटल विश्वास रखते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि बादलोंको देखकर बरसातको समझ लें। हम देख रहे हैं कि ऋतु बदल गई है, फिर इन आँखोंको धोखा क्यों दिया जाय? मैंने अपने भाषणोंमें कहा है, जो अदालतमें पेश है, कि आजादीका बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता, जब तक अत्याचारके पानीसे उसकी जड़ें न खोद दी जायें। हाँ, सरकार ने वे सब अत्याचार प्रारम्भ कर दिये हैं।

**सरकारी वकील, पुलिस और मैजिस्ट्रेट--**

मैंने यह भी कहा है कि—"खिलाफतके नेताओंकी गिरफ्तारियों पर क्यों चिन्तित हो? अगर तुम सचमुच न्याय और आज़ादीके उपासक हो, तो जेल जानेके लिये तैयार हो जाओ। अलीपुर का जेल इस तरह भर दो कि उसकी कोठरियोंमें किसी दूसरे चोर आदि को जगह न मिले।" और यह सच निकला। जेलोंमें जगह नहीं रही है। प्रेसीडेन्सी और सेण्ट्रल जेलका बड़ा हिस्सा खाली करा लिया गया, फिर भी जगहकी कमी है। नया जेल बनाया गया, वह भी शीघ्र भर गया। जगह निकालनेके लिये सैकड़ों कैदी छोड़ दिये गये, किन्तु उनसे दुगुने नये आ गये अब और भी नये जेल बन रहे हैं।

मैं अपने उन देशबन्धुओं सम्बन्धमें के भी एक-दो वाक्य कहना चाहता हूँ, जो इस मुकद्दमेमें मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने ऊपर कहा है कि सी० आई० डी० का काम मूर्खता और विचित्रतासे भरा होता है। यह मैंने अपने कई निजी अनुभवोंके आधार पर कहा है। फिर भी मैं प्रकट करता हूँ कि सी० आई० डी० के जिन कर्मचारियोंने मेरे विरुद्ध गवाही दी है, उन्होंने अपनी कर्त्तव्यके अनुसार कुछ गलत नहीं कहा है। मेरे भाषणमें गवाहीके प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, अयोग्य और अनुभवहीन होनेके कारण कुछ शब्दोंका परिवर्तन खटकता है। कहीं-कहीं "शान्त रहने तथा

हड़ताल आदि विशेष आन्दोलन न करनेका मेरा मत था।" परन्तु उसकी जगह "अमन" को ईमान बना देना एक शरारत ही कहा जा सकता है। सम्भव है कि यह शरारत न भी हो, केवल अयोग्यता और असमर्थताके कारण हुआ हो। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी और कर्त्तव्यका पालन चन्द चाँदीके टुकड़ों या नौकरीकी रक्षाके लिये किया है। अगर वे सच्चाईसे कार्य करें तो उन्हें संसारमें कोई दोषी नहीं कह सकेगा—फिर भी उनकी असमर्थताको मैं समझता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया या लिखा, उसके लिये उन्हें क्षमा कर खुदासे भी प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें क्षमा करके सत्यताके समझनेकी हिम्मत दे।

सरकारी वकील जो इस मुकद्दमेमें प्रयत्न कर रहा है, मेरा ही एक देश-बन्धु है। उसका दिमाग़ या सम्मति मेरे सामने नहीं है। यह मजदूरी है, जो सरकार से वह इस कार्यके लिये प्राप्त करता है। उसकी तरफसे कोई रंज मुझे नहीं है; परन्तु इन सबके लिये मैं खुदासे वही प्रार्थना करूँगा, जो पैगम्बरे-इस्लामने एक समय की थी—

"खुदा इनको सत्पथ बता, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं!"

मैं मैजिस्ट्रेटके सम्बन्धमें भी कुछ कहना चाहता हूँ। वह अधिकसे अधिक सजा मुझे दे, जो उसके अधिकारमें हो। मुझे बिल्कुल शिकायत व रंज न होगा। मेरा मामला पूरी मशीनरीसे है, किसी एक पुर्जे से नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब तक पूरी मशीनरी नहीं बदलेगी, एक पुर्जा कुछ नहीं कर सकता।

मैं अपना ब्यान इटलीके महान् सत्यवक्ता गारडेन्यू-ब्रेनोके कथनपर समाप्त करता हूँ, जो मेरी ही तरह अदालतके सामने खड़ा किया गया था।

**"ज्यादा से ज्यादा सजा जो दी सकती है दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सजाका हुक्म लिखते हुए जिस तरह की कँपकपी और बेचैनी तुम्हारे दिल में पैदा हो रही है, उस सजाको सुनकर मुझे कुछ भी आश्चर्य व भ्रम न होगा!"**

**अंतिम—**

मैजिस्ट्रेट महोदय ! अब मैं और अधिक समय अदालतका न लूंगा। यह इतिहास का एक सुप्रसिद्ध और शिक्षाप्रद पृष्ठ है जिसकी पूर्तिके लिये मैं और आप दोनों एक समान प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे अधिकारमें मुल्जिमोंका यह कटघरा और आपके अधिकारमें वह न्यायालयकी गद्दी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कामके लिये वह कुर्सी भी उतनी ही आवश्यक है, जिस तरह यह कटघरा। आओ, इस स्मृति और कहानी बननेवाले कामको शीघ्रतासे ख़तम कर दें। इतिहासकार हमारी प्रतीक्षामें हैं और भविष्य हमारे मार्गको देखनेके लिये उत्सुक है। आप हमें जल्द-जल्द यहाँ आने दें और स्वयं जल्द-जल्द फैसला लिखते रहें। अभी तो कुछ दिनों तक यह काम जारी रहेगा; और तब तक रहेगा जब तक कि एक अन्य (ईश्वरीय) अदालतका दरवाज़ा न खुल जाय। वह अदालत खुदाके कानूनकी अदालत है। समय उसका जज है और वह जो फैसला लिखेगा, वही फैसला अन्तिम होगा।

"वलहम्दो लिल्लाह अव्वलान व आखिरिन"—अर्थात् सारी महानता उस खुदाके लिये है जो आदि में था और अन्त तक रहेगा।

११ जनवरी १९२२ ई०

(आजाद)

**प्रेसीडेन्सी जेल, अलीपुर कलकत्ता**



# ६

## मौलानाकी घोषणा

६ फरवरीसे पहिले मौलानाकी तरफसे अखबारों आदि द्वारा निम्न घोषणा हुई थी—

१. ६ फरवरीको कोई भी आदमी अदालतकी कार्रवाई देखनेके लिये न आये और न किसी तरह की भीड़ सड़कों पर हो।

२. सम्भव है कि उस दिन सजाका हुक्म सुनाया जाये। जनताको चाहिये कि पूरी शान्ति व धैर्य्यके साथ रहे और कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिये, तथा न कोई अन्य असहनीय विरोध किया जाय।

३. ६ फरवरीको जेलके आस-पास किसी प्रकारकी भीड़-भाड़ न हो और न कोई प्रदर्शन आदि ही हो। सिर्फ अपना दैनिक कार्य नियमानुसार चलता रहे और अपने ठोस कार्यकी तरक्की करें। कुछ खिलाफत और कांग्रेसके कार्यकर्ताओंने गलतीसे कारखानों और सरकारी महकमोंमें काम करनेवालोंको हड़तालके विचारसे रोका था। जब यह मौलानाको मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन बन्द करवाया और हर जगह यह बात पहुँचा दी गई कि जो भी आदमी इनके लिये कुछ करना चाहता है, उसके लिए प्रेम तथा सहानुभूतिका यही मार्ग है कि स्वयंसेवक बने और जेल जाये। हड़ताल और प्रदर्शन विरुद्ध हैं, बल्कि असली उद्देश्यके लिये हानिकारक भी हैं। चूँकि ये सारी कार्रवाइयाँ प्रकटमें हो रही थीं। इसलिए मौलाना जेलके अधिकारियोंके सामने सभी सन्देश देते और लिखवाते थे। फिर अखबारोंमें छपते थे; परन्तु सरकारी नौकरशाहीको इसपर भी विश्वास न था।

मौलाना और मि० दासके मुकद्दमोंमें अदालतकी ओरसे बड़ा प्रबन्ध किया गया। सरकारकी चौकसी और दौड़-धूप होती रही, राउण्ड टेबिल कॉफ्रेन्सके

प्रस्ताव आदि भी चलते रहे। इन सारी बातोंसे जनताको सन्देह हो गया था कि ये भी छोड़ दिये जायँगे। अधिकतर बङ्गाल व कलकत्तेके हालातसे भी सम्भावना यही थी। छोड़नेकी गर्म अफवाहें भी फैलती रहती थीं, परन्तु सरकारको मजदूरोंकी हड़तालकी बड़ी चिन्ता थी। खिदिरपुर डकके मजदूरों और शहरके खानसामाओं वगैरहका, जो १५-२० हजारकी संख्यामें होटलों और अंग्रेज बङ्गलोंमें काम करते हैं, एक दिनके लिये भी हड़ताल करना सारी अंग्रेजोंकी आबादीके जीवनको दूभर कर दे सकता था। इसी तरह डकके मज़दूरोंकी संस्था अगर अपना काम एक दिनके लिये भी छोड़ दे, तो दूसरे आदमी काम नहीं कर सकते। सारे व्यापारिक मालका आना-जाना इन्हींपर अवलम्बित था।

खानसामाओं और डक-मजदूरोंकी यूनियन बन गई थी। दोनोंने हड़तालका विचार कर लिया था। डकके मजदूर तो गिरफ्तारीपर हड़ताल कर भी चुके थे, किन्तु कांग्रेस-कमेटीने समझा-बुझा कर इन्हें कामपर लगाया।

इसी तरह कालेजके विद्यार्थीके लिये भी सरकारका भ्रम था। इसी डरसे फैसलेमें देर हो रही थी। लेकिन मौलानाने ता० ७ को एक सन्देश सारे अखबारोंमें छपवाया—"मुकद्दमेके सम्बन्धमें लोग कोई गलत धारणा न रक्खें। यह तो ठीक है कि सजा अवश्य दी जायेगी, सबको शान्ति व धैर्यसे अपने कर्त्तव्यको निभाना चाहिये।" 'हड़ताल' के सम्बन्धमें उन्होंने कहा—"हम एक सालसे कह रहे हैं कि सफलता इसी भर निर्भर है कि शान्तिसे गिरफ्तार हो जायँ, इसीलिये हजारों खुशीसे गिरफ्तार हो गये। अब जब हम गिरफ्तार होते हैं तो हमको भी वही पसन्द करना चाहिये—जो दूसरोंके लिये करते हैं। यह बड़ी गलती होगी कि हमारी सजाके सम्बन्धमें हड़तालें की गईं या किसी हिन्दुस्तानीने काम छोड़ा।"

इस सन्देशका अधिक प्रभाव पड़ा। सरकारको विश्वास न था, परन्तु सब

आदमी पत्थरकी तरह खामोश हो गये। हड़तालके विचार बदल गये और ६ ता० फैसलेके दिन भी कचहरी व जेलमें विशेष भीड़-भाड़ नहीं हुई।

११ बजेतक अदालत व जेलमें मालूम नहीं हुआ कि मुकद्दमा कहाँ होगा। जब भीड़-भाड़ न हुई, तो १२ बजे मौलाना कोर्टमें बुलाये गये। मैजिस्ट्रेटने दूसरा मुकद्दमा छोड़कर इन्हें एक सालकी कड़ी सजा सुना दी।

मौलानाने फैसला सुनकर मजिस्ट्रेटसे मुस्कराते हुए कहा—"यह तो उससे बहुत कम है जिसकी मुझे आशा थी।" मजिस्ट्रेट हँसने लगा। मौलाना बाहर आ गये। यहाँ कोर्ट-इन्पेक्टर मौजूद था जो उनको अपने आफिसमें ले गया और कहने लगा—"मुझे माफ़ कीजिये, मैं चन्द मिनट आपको यहाँ बैठाकर अपनी ज़रूरी खानापूरीकी कार्रवाई करूँगा।" मौलानाने कहा—"मैं ये चन्द मिनट एक साल कड़ी कैदमें शामिल न करूँगा।" यहाँ उनका नाम, पिताका नाम, आयु, हुलिया आदि सब रजिस्टरमें लिखा गया, फिर जेलकी मोटरमें बैठा कर पुलिस पहरेमें भेज दिये गये। इस तरह ६० दिनके बाद यह कहानी खतम हो गई। जिसको एक दिनके लिये कैद करनेमें सरकार लाखों आदमियोंके आन्दोलनका हौव्वा समझ रही थी, वह शान्तिके सुनसान वातावरणमें एक सालके लिये जेल भेज दिया गया। यह असहयोगका जादू है। अदालतका फैसला साधारण और थोड़ेमें लिखा गया है अर्थात् वाद-विवाद और मुल्जिमके किन शब्दोंपर दफा १२४ ए लगाई गई है और क्यों वे भाषण इस दफामें आते हैं। यह अवश्य लिखा है कि मुल्जिमने भाषणका वह भाग स्वीकार कर लिया जो गवर्नमेण्ट के सम्बन्धमें था। परन्तु वह क्या है इसपर ध्यान नहीं दिया गया। यह अच्छा होता कि सजाका भुगतान उसी बातपर रख दिया जाता कि मुल्जिमने स्पष्टताके साथ अपनेको दोषी बनानेकी स्वीकृति की है तथा घोषित किया है कि मौजूदा आजादीके लिये अधिकार हासिल करनेका नाम ही जुर्म या पाप है।

७

## फैसला

मुकद्दमा नं० २८, सन् १९२२ ई० कैसरे हिन्द बनाम मुहीउद्दीन अहमद उर्फ मौलाना अबुलकलाम आजाद।

इस मुकद्दमेमें मौलाना अबुलकलाम आजादपर दफा १२४ ए ताजीराते हिन्दसे दोषी पाये जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहिली जुलाई सन् १९२१ ई०को मिर्जापुर-पार्क कलकत्तामें खिलाफत-पंजाबके संघर्ष और देशकी आजादीके विषयपर तथा १५ जुलाई १९२१ ई० को इसी स्थानपर असहयोग पर उर्दूमें बोलते हुए ऐसे शब्द कहे जिनसे वर्तमान सरकारके कानूनके खिलाफ लोगोंके दिलोंमें घृणा और शत्रुता बढ़नेकी प्रेरणा हुई।

सरकारकी ओरसे जो गवाहियाँ पेश हुईं, उनसे ये बातें प्रकट होती हैं— मिस्टर गोल्डी डि० कमि० पुलिस स्पेशल ब्रान्च यह सूचना पाते ही कि पहली जुलाईको मिर्जापुर–पार्कमें कोई सभा होने वाली है, अपने उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अबुल्लेश मुहम्मद, इंसपेक्टर एस० के० घोषाल, स्व० इंसपेक्टर मुहम्मद इस्माईल और एस०सी० कर्भी को सभाकी कार्रवाई और भाषणोंके नोट लेनेके लिये मुकर्रर किया। यह अधिकारी सभामें पहुँचे और सारी कार्रवाई और भाषणोंके नोट्स लिये। इनमें मुल्जिमका भाषण भी है जो उस सभाके अध्यक्ष थे। सभामें लगभग १२ हजार आदमियोंकी संख्या थी। सभाका उद्देश्य खिलाफतके तीन कार्यकर्ता सईदुर्रहमान, अयोध्याप्रसाद और जगदम्बाप्रसादकी गिरफ्तारीके विरुद्ध आन्दोलन चलानेका था। सबके साथ मुल्जिमने भी भाषण

दिया। उन सबके भाषण सम्बन्धी नोट्स उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अबुल्लेश मुहम्मद-ने और कुछ भाग पुलिसके अफसरोंने लिये। यह नोट्स मि० गोल्डीके सामने पेश, हुए, तथा उन्होंने इनपर दस्तखत कर दिये। अबुल्लेशने अपने नोट्स सुधार कर उनकी नकल मि० गोल्डीके पास भेज दी। दूसरे पुलिस अफसरोंने भी उसी लम्बे-चौड़े भाषणकी कुल रिपोर्ट बनाकर उक्त अफसरके पास भेज दी थी।

१५ जुलाई सन् १९२१ ई० को मि० गोल्डीने इसी उर्दू शार्टहैण्ड रिपोर्टर अबुल्लेश मुहम्मद, इंसपेक्टर बी० बी० मुकर्जी, स्व० इं० मुहम्मद इस्माईल और एस० सी० कर्भी को दूसरी सभा की कार्रवाईयों और भाषण आदि के नोट्स लेनेके लिये मुकर्रर किया, जो कि इसीलिये हो रही थी। मुल्जिम भी वहाँ थे। उन्होंने उन्हीं तीन खिलाफत-कार्यकर्ताओं सईदुर्रहमान, जगदम्बाप्रसाद और अयोध्याप्रसादकी सजा के विरोध में उर्दू में भाषण दिया। खासकर लोगोंको भड़काया कि वे भी यही सब करें और जेल जायें। सभामें १० दस हजार आदमी थे। अबुल्लेशने मुल्जिमके भाषणके नोट्स लिखे और दूसरों-ने भी उनके पूरे भाषण लिखे। अबुल्लेशने कापी ठीक करके और दूसरे अधि-कारियोंने अपनी रिपोर्ट मि० गोल्डीके सामने पेशकी। अबुल्लेशकी दो उर्दू नकलोंका अनुवाद सरकारी अनुवादक मि० बामाचरण चटर्जीने अंग्रेजीमें किया है। मि० गोल्डीने इन सब नकलों व रिपोर्टोंको देखकर मुल्जिमके खिलाफ दफा १२४ ए के अनुसार बङ्गाल सरकारसे गिरफ्तारीके सम्बन्धमें प्रार्थना की और २२ दिसम्बर १९२१ ई० को मंजूरी मिली। उसने वह सब स्वीकृति भी प्रमाणित करा दी। अबुल्लेश मुहम्मद और दूसरे पुलिस वालों-ने हल्फिया ब्यान दिया है कि उन्होंने जो नोट्स लिये हैं वे सब सच्चे और ठीक हैं। बामाचरण चटर्जीने भी हल्फ दिया है कि जो उन्होंने नकलोंका अनुवाद किया है वह सब सच्चा है। इसलिये कोई कारण नहीं कि मैं उनकी

सच्चाईमें सन्देह करूँ। मुल्जिमने एक बड़ा ब्यान पेश किया है, जो कि गवर्नमेण्टकी बुराइयोंसे भरा है। उसमें उन सारी घटनाओंपर खुलासा प्रकाश डाला गया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेण्टको ज़ालिम सरकार कहा है और अपनी उन सारी कार्रवाइयोंकी चर्चा की है, जोकि उन्होंने सरकार-के खिलाफ कीं हैं। वे कहते हैं कि उनके भाषणकी नकल गलत, अशुद्ध और मनमानी है। कहीं-कहीं अर्थ का दूसरा रूप और शब्द व वाक्योंका परिवर्तन हुआ है। फिर भी वे उन सारे भागोंको मानते हैं जिनमें गवर्नमेण्टके खिलाफ विचार प्रकट किये गये हैं और जनताको उभाड़नेकी अपील की है। मैंने बड़ी साव-धानीसे वे भाषण पढ़े हैं और इनपर पूर्ण विचारके पश्चात् इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे बग़ावती हैं।

यह भी ठीक है कि मुल्जिमने इन भाषणों द्वारा वर्तमान गवर्नमेण्टके कानून-के खिलाफ घृणा और अशान्ति फैलानेकी कोशिश की है। मैं मुल्जिमको दोषी समझता हूँ और दफा १२४-ए ताजीराते-हिन्दके अनुसार एक साल कड़ी कैद की सजा देता हूँ।

९ फरवरी १९२२ ई०

**ह०—डी० सोनियो, चीफ प्रेसीडेण्ट मैजिस्ट्रेट,**

कलकत्ता।

